लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४८, १९६०/१८८२ (शक)

[२८ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६० / ७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४८ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड ४८—अंक ११ से २०—७ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६०/७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १२६१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ से ५००, ५१८ और ५०१ १२६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ से ५१७ और ५१९ से ५२६ . . १२८७—१२९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ९१३, ९१५ से ९३४। . . १२८९—१३४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४५

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ के बारे में विवरण १३४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३४५—४८

(१) स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यपर्ण

(२) कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बाद हो जाने का समाचार

समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड ७९ से ९७ और ९९ से १८१ . . . . . १३४८—७४

नालागढ़ समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा १३७४- —७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३८०—८५

अंक १२—मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६० / ८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३२, ५३४ से ५३६, ५३९, ५४१ और ५४२ . १३८७—१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३७, ५३८, ५४० और ५४३ से ५६६ . १४०९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से १०१३ . . . १४२४—५८

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बा में वक्तव्य . . १४५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६०–६१ के बारे में विवरण . १४५९

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि .	१४६०
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड १८१ से १९०, १९२ से २०३, २०५ से २१५, १९१, २०२ और २०४	१४६०—७९
प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१४७९—९३
दैनिक संक्षेपिका	१४९४—९९
अंक १३—बुधवार, ३० नवम्बर १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७१ और ५७३ से ५७६ .	१५०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७२ और ५७७ से ६०४ .	१५२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ से १०९० और १०९२ से १०९८	१५३९—७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१५७८—७९
राज्य सभा से सन्देश	१५७९
ब्रिटिश संविधि—(भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१५७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	१५७९
रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन . .	१५७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी समझौता .	१५८०—८१
कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . .	१५८२—८६
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंड ५ क, ९८ और १ . . .	१५८६—१६०४
पारित करने का प्रस्ताव . .	१६०४
सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा . .	१६०५—२६
दैनिक संक्षेपिका .	१६२७—३३

विषय	पृष्ठ
अंक १४—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६० / १० अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६०९, ६११, ६१२ और ६१४ . .	१६३५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१३, ६१५ से ६३४ .	१६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९९—११६८ .	१६६६—९४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१६९४—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
१३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना . .	१६९६—९७
भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१६९७—९८
गैर-प्रनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य .	१६९८—९९
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१६९९—१७१३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७१३—२७
कार्य मंत्रणा समिति—	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन .	१७२७
दैनिक संक्षेपिका . .	१७२८—३३
अंक १५—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६० / ११ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४५	१७३५—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ और ६४६ से ६७९ . . .	१७५५—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से १२५२ . .	१७७०—१८०८
स्थगन प्रस्ताव—	
बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्तांतरण और अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश .	१८०८—१२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१८१२–१३
सभा का कार्य .	१८१३–१४, १८१४–१५
कार्य मंत्रणा समिति––	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन . .	१८१४
निवारक निरोध (जा ी रखना) विधेयक––	
विचार करने का प्रस्ताव	१८१५––३४
ग़ैर सरका ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	१८३४
सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	१८३४––४४
निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बा ं में संकल्प . .	१८४४––५१
दैनिक संक्षेपिका	१८५२––५८

अंक १६––सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० / १४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८१, ६८३ से ६८६, ६८८, ६९०, ७०३, ६९४ से ६९९, ७०१ और ७०२ . .	१८५९––८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१८८३––८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ७०० और ७०४ से ७१८	१८८५––९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२६२, १२६४ से १३२८ और १३३०	१८९४––१९२६
स्थगन प्रस्ताव––	
भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	१९२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९२८
राज्य सभा से सन्देश	१९२८
निरसन तथा संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१९२८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९२९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक––	
प्रवर समति का प्रतिवेदन .	१९२९

विषय	पृष्ठ
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	१९२९
गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य पाकिस्तान को बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारके बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . .	१९२९—५१
खंड २ तथा १ .	१९५१—५५
पारित करने का प्रस्ताव	१९५५—५९
सभा का कार्य	१९६०
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) १९६०–६१	१९६०—६६
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	१९६६—७१
दैनिक संक्षेपिका .	१९७२—७९
अंक १७—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२०, ७२२ से ७२८ और ७३० से ७३२	१९८१—२००५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२९ तथा ७३३ से ७४३ .	२००५—११
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १४०५ . .	२०११—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२०४१–४२
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक	२०४२
(२) प्रसूति लाभ विधेयक . . .	२०४२
रेलवे अभिसमय समिति प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	२०४३—७२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ .	२०७३—७६
कृषि-जन्य पदार्थों के निम्नतम मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२०७७—८४
दैनिक संक्षेपिका	२०८५—८९
अंक १८—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०/१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७४७ और ७४९ से ७५२ . .	२०९१—२११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ तथा ७५३ से ७७८ . .	२११०—२१

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०६ से १४९६ . .	२१२१—६३
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
(१) एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला	२१६३–६४
(२) गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र	२१६५—६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१६४–६५
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि	२१६७–६८
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक-पुरस्थापित	२१६८–६९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ .	२१६९—९२
चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . .	२१९२—२२१५
पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२२१५—१८
दैनिक संक्षेपिका	२२१९—२५
अंक १९—गुरुवार, ८ दिसम्बर १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ७८२, ७८४, ७८५, ७८७ और ७८९ से ७९२ । . . .	२२२७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, ७८६, ७८८ और ७९३ से ८०४ .	२२४९—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९७ से १५५८ . .	२२५६—८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२२८४
राज्य सभा से सन्देश	२२८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय .	२२८४–८५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक-पुरस्थापित . .	२२८५
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में . .	२२८५–८६
वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२२८१—२३००
भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	२३००–२३०१
खंड १ और २ . .	२३०१
पारित करने का प्रस्ताव . .	२३०१
भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव	२३०२—१७
दैनिक संक्षेपिका	२३१९—२३

विषय	पृष्ठ
अंक २०—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८०७, ८०९ से ८११, ८१३ से ८१५ और ८१७ से ८१९	२३२५—४९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	२३४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१२, ८१६ और ८२० से ८२९ . .	२३५१—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ से १६२० . .	२३५७—८३
स्थगन प्रस्ताव—	
कांगो में भारतीय सैनिक दल	२३८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३८४—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता	२३८५—८६
सभा का कार्य . . .	२३८७
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०—पारित .	२३८७—८८
वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२३८८—२४०५
खंड २ से २२ और १ . .	२३९९—२४०५
पारित करने का प्रस्ताव .	२४०५
सदस्य की गिरफ्तारी	२४०५
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (श्री तंगामणि का) पुरस्थापित .	२४०५
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२४०६—११
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	२४११—१६
दैनिक संक्षेपिका	२४१७—२२

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LS III—1623(Ai)LSD—30-12-60—115.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६०
१४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सोडियम सल्फेट

†*६८०. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री रामजी वर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्भर झील के क्षेप्य लवण रस'-(बिटर्न) से प्रति वर्ष प्रचुर मात्रा में सोडियम सल्फेट प्राप्त करने की वाणिज्यिक संभावना को देखते हुए भारत सरकार औद्योगिक सोडियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला एक संयंत्र लगाने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). जी, हां । हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड प्रतिदिन १००० टन नमक धोने और नमक की 'वाशिंग्स' से और राजस्थान में साम्भर झील के बिटर्न से प्रतिवर्ष ११,००० टन सोडियम सल्फेट तैयार करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ।

(ग) कम्पनी धोने वाला-एवं-सोडियम सल्फेट निकालने वाले एक संयंत्र की स्थापना के लिये एक जर्मन फर्म से प्राप्त पुनरीक्षित लागत पर विचार कर रही है।

†मूल अंग्रेजी में

1550 (Ai) LSD—1.

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस कार्य को करने में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग २५ लाख रुपये विदेशी मुद्रा में और उतनी ही रकम रुपयों में ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि दस वर्ष पहले भूतपूर्व जोधपुर और जयपुर राज्यों की बिटर्न (लवण-रस) और सम्बन्धित उद्योगों के विदोहन की एक बड़ी भारी योजना थी ? वह योजना समाप्त कर दी गयी है या उसको क्रियान्वित किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक जोधपुर योजना का सम्बन्ध है, मुझे पता नहीं है । परन्तु राजस्थान सरकार सोडियम सल्फेट के लिये एक योजना क्रियान्वित कर रही है । उसने एक योजना क्रियान्वित की भी है । यह नमक धोने और सोडियम सल्फेट के लिये मिली जुली योजना है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह बहुत छोटी योजना है । साम्भर में हमारी बिटर्न (लवण-रस) के लिये एक बड़ी योजना थी और उस समय भी लगभग २ करोड़ रुपये का विनियोजन अवेक्षित था । उस योजना पर भी यहां वर्ष १९४७ में अखिल-भारत स्तर पर उद्योग मंत्री के साथ एक सम्मेलन में विचार किया गया था । क्या मंत्री महोदय को उसका पता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी**: इस विनियोजन से क्या लाभ होगा ? यह बताया गया है कि उसमें लगभग ३१ प्रतिशत लाभ होगा क्योंकि सामान्य प्रकार का नमक भी काफ़ी उपलब्ध होगा ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक लाभ का सम्बन्ध है, यह समस्यापूर्ण है । यह बड़ी लाभप्रद योजना होगी । परन्तु वास्तविक प्रतिशतता विभिन्न परिस्थितियों जैसे उत्पादन-लागत, वस्तुओं के विक्रय-मूल्य आदि बातों पर निर्भर होगी ।

नये उद्योग चालू करने के लिये लाइसेंस

†*६८१. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यापारिक फर्मों के नाम क्या हैं, जिन पर जुर्माना किया गया है और जिन्हें चालू करने के लिए सरकार द्वारा नये लाइसेंस दिये गये हैं, और

(ख) क्या सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखा जायेगा, जिसमें यह जानकारी दी गयी हो कि विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना होने के पश्चात प्रत्येक फर्म को कौन कौन से नये लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

जहां तक विदेशी मुद्रा नियम और विनियमों के उल्लंघन का सम्बन्ध है, उन सब उल्लंघनों के बारे में वित्त मंत्रालय कार्यवाही करता है और उचित दण्ड दिया जाता है और नियमों के अधीन उचित कार्यवाही की जाती है । इस बारे में जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०० के उत्तर में दी जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योग अधिनियम के अधीन लाइसेंसों का सम्बन्ध है, यदि कोई सार्थ, जिसके पास औद्योगिक लाइसेंस हो, औद्योगिक अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो सदैव उचित कार्यवाही की जाती है ।

आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम और उसके अधीन नियमों में अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के लिये विभिन्न प्रकार के दण्ड की व्यवस्था है और उल्लंघन करने वाले सार्थों के साथ उचित रूप से कार्यवाही की जाती है और उन्हें दण्ड दिया जाता है ।

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनमें से कुछ व्यक्तियों को, जिन पर विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिये जुर्माना किया गया है, और जिनके नाम अतारांकित प्रश्न संख्या २२०० के उत्तर में संलग्न विवरण में दिये गये थे, बाद में नये आयात लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न एक साथ मिला दिये हैं । जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन का सम्बन्ध है, वित्त मंत्रालय ने, जो इस बारे में कार्यवाही करता है, पर्याप्त उत्तर दे दिया है और इस बारे में यदि कोई और जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह उसी मंत्रालय से पूछी जाये । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, ऐसे सब मामलों के बारे में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत निश्चित नियम बनाये गये हैं और दोषियों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों पर विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कारण जुर्माना किया गया था, उन्हें बाद में आयात लाइसेंस दिये गये हैं या नहीं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन आयात लाइसेंस के उल्लंघन से भिन्न है । विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन अधिकांशतः व्यक्तियों द्वारा होता है, जब कि आयात लाइसेंसों के मामले में उल्लंघन फर्में करती हैं जो या तो पुराने आयातकर्ता होती हैं या वास्तविक उपभोक्ता । भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन आयात लाइसेंसों की विभिन्न श्रेणियों के अधीन हम प्रत्येक मामले में डिफाल्टर के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार नहीं दिया गया है । प्रश्न यह है कि जिन फर्मों ने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया है उन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं या नहीं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने विवरण में बता दिया है कि ये तीन विभिन्न मामले हैं और इनमें दण्ड दिये जाते हैं और हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि उस सार्थ को औद्योगिक लाइसेंस न दिया जाये जिसे किसी अन्य कारण से दण्ड दिया गया हो । हां, गम्भीर मामलों को को तो हम ध्यान में रखते ही हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या ऐसा कोई मामला है या नहीं ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी**: क्या मैं जान सकता हूं कि विवरण में शामिल कलकत्ता के श्री पी० एन० तालुकदार और मेसर्ज़ भारत ओवरसीज़, कलकत्ता को कोई और लाइसेंस दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट नाम बतायें, जैसा उन्होंने बताया है, तो मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा और उनको बता दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : जिन मामलों में नैतिक पतन अन्तर्ग्रस्त हो, क्या सरकार उन मामलों में कार्यवाही करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार**: मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण से ऐसा लगता है जैसे वह उन फर्मों के नाम बताना नहीं चाहते जिन्हों ने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या सरकार श्री मेहदी द्वारा बताई गई दो फर्मों के अतिरिक्त उन फर्मों की एक सूची सभा पटल पर रखेगी जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया है और जिन्हें लाइसेंस दे दिये गये हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह**: जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों के बारे में वित्त मंत्रालय कार्यवाही करता है और उस मंत्रालय ने समय समय पर इस सभा को आवश्यक जानकारी दी भी है । हमारा ताल्लुक तो वास्तव में उद्योग अधिनियम और वास्तविक उपभोक्ताओं अथवा पुराने आयातकर्ताओं तथा अन्य लोगों को नियमों के अधीन आयात लाइसेंस देने से है । वहां मैंने बताया है कि अधिनियम के अधीन उल्लंघन करने वालों को दण्ड दिया जाता है । इतने व्यक्तियों के नाम ब्लैक लिस्ट में दर्ज किये गये हैं और हम वे विवरण समय समय पर सभा के सम्मुख रखते रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानने के इच्छुक हैं । यदि किसी सार्थ को कोई न्यायालय किसी अनुचित कार्यवाही करने के कारण दोष सिद्ध कर देता है तो .....

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ऐसे मामले भी बताते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: जब तक ये मामले मंत्री महोदय को न बताये जायें, वे कैसे कार्यवाही कर सकते हैं ? वित्त मंत्रालय और इस मंत्रालय में कोई सम्बन्ध नहीं है । उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि व्यापार में कौन अनैतिक कार्यों के लिये दोषी है । क्या वे इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते और फिर लाइसेंस देने अथवा न देने के बारे में निर्णय नहीं करते ?

†**श्री मनुभाई शाह**: इस बारे में कुछ गलतफहमी है । यदि यह बड़े पैमाने पर उल्लंघन का गम्भीर मामला है, और कोई टेक्निकल अथवा छोटे पैमाने पर उल्लंघन का मामला नहीं है, तो उस पर अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जाती है । जैसा कि अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि यदि यह नैतिक पतन का मामला है, तो वह किसी नियम की सीमाओं से परे है और उस पर विचार किया जाता है ।

†**श्री नरसिंहन्**: क्या मंत्रालय को यह पता लगा है कि और क्या मंत्रालय ऐसा कोई एक भी मामला बता सकता है जहां नैतिक पतन के प्रश्न के कारण अथवा ऐसे ही कारण से उनको लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया ? क्या वे ऐसा एक भी मामला बता सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । मुझे कई मामलों का पता है । केवल चार वर्ष पहले बम्बई की एक फर्म का नाम ब्लैक लिस्ट पर दर्ज किया गया था और हमने चार वर्ष तक उनको कोई लाइसेंस नहीं दिया—यदि सभा नाम चाहती है तो मैं नाम भी बता सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरसिंहन्** : वह चार वर्ष बाद है ।

†**श्री मनुभाई शाह:** नियमों के अधीन इतनी ही अवधि की व्यवस्था है । फिर भी दण्ड शाश्वत नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो कुछ चाहते हैं वह यह है कि मंत्री महोदय विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें और फिर अपना विवेक इस्तेमाल करें। यदि उन्हें सूची भी नहीं मिलती, तो वे स्वविवेक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ? अत: उन्हें वित्त मंत्रालय से सम्पर्क बनाये रखना चाहिये और समय समय पर उन व्यक्तियों की सूची प्राप्त करते रहना चाहिये जिन्होंने उन विनियमों का उल्लंघन किया है और फिर वे स्वयं यह निर्णय करें कि क्या उल्लंघन किसी नैतिक पतन का परिणाम है और उन्हें कोई लाइसेंस न दिया जाये। वे उनसे सम्पर्क स्थापित करते रहें ।

†**श्री मनुभाई शाह:** हमारा उनका निरन्तर सम्पर्क रहता है और जहां तक किसी अधिनियम के गम्भीर उल्लंघन का सम्बन्ध है, केवल विदेशी मुद्रा विनियम ही नहीं परन्तु कोई भी जिसमें नैतिक पतन प्रतीत हो, जिसका सब मंत्रालयों को पता है, हम उन्हें कोई भी कार्यवाही करने के लिये ध्यान में रखते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के अतिरिक्त, क्या उन व्यक्तियों को, जिन्होंने औद्योगिक अधिनियम और आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण और नियमों का उल्लंघन किया है, नये उद्योग चलाने के लिये अथवा आयात तथा निर्यात के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह:** यह प्रश्न बड़ा सामान्य है । उद्योग अधिनियम तथा आयात और निर्यात विनियमों के अधीन हमें कई मामलों का पता है और मैं और मेरे साथी, जब भी कोई मामला उठाया गया हो, विवरण रखते रहे हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि उल्लंघन के प्रत्येक मामले में उचित कार्यवाही की जाती है और दण्ड दिया जाता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या मैं जान सकता हूं कि डालमिया फ़र्मों को, जिनके बारे में जांच हो रही है, इन चार वर्षों में, कोई लाइसेंस दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह मामला सदन के सम्मुख है । जैसे ही आयोग के निर्णयों का पता चल जावेगा, समुचित कार्यवाही की जायेगी । परन्तु पहले से हम कोई बात नहीं बता सकते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** मेरा प्रश्न यह है कि क्या इनको कोई लाइसेंस दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि जब तक न्यायालय अथवा न्यायाधिकरणों के निश्चित फैसले उन्हें नहीं मिल जाते हैं, वे लाइसेंस देने से इन्कार नहीं कर सकते। इसीलिये वे लाइसेंस देते रहे हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वह प्रथम दृष्ट्या मामला था । एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आयोग के परिणाम प्राप्त होने तक, क्या उनको कोई लाइसेंस दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय की राय यह है । मंत्री महोदय सोचते हैं कि अन्तिम निर्णय हो जाने से पहले उन्हें लाइसेंस देने से इन्कार नहीं करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात लाइसेंस

+

†*६८३. **श्री सै० अ० मेहदी :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री खेमजी :
श्री आसर :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात नियंत्रण अधिनियम १९६० में संशोधन होने के पश्चात् आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग और जाली आयात लाइसेंस बनाने के मामलों में कुछ कमी हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस समस्या को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) अब तक कितनी फ़र्मों का नाम काली सूची में लिखा गया है और कितनी फ़र्मों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). संशोधित अधिनियम के परिणामों का अभी उचित अनुमान लगाना कठिन है ।

(ग) १९५९ में तथा १९६० में (अक्तूबर) तक काली सूची में दर्ज की गई फ़र्मों की संख्या क्रमशः ५३ और ३४ थी ।

भारतीय प्रदेश को चीनी प्रदेश बताने वाले रूसी मान-चित्र

+

†*६८४. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री बै० च० मलिक :

क्या **प्रधान मंत्री** २२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी मानचित्रों में भारतीय प्रदेश के विशाल भू-भाग को चीन में दिखाने के प्रश्न के सम्बन्ध में सोवियत रूस की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सोवियत रूस की सरकार को इस सम्बन्ध में कोई स्मरण पत्र भेजा गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या हमने रूसी सरकार से यह प्रार्थना की है कि जब तक चीनी अधिकारियों के साथ यह प्रश्न अन्तिम रूप से तय नहीं हो जाता, तब तक इसे वे कम से कम विवाद ग्रस्त क्षेत्र ही दिखायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हमने यह बात उन्हें बता दी है तथा उनसे इस पर बातचीत भी कर ली है । । उन्होंने कहा है कि वे इस पर विचार करेंगे हम विदेशी सरकार पर बराबर यह जोर नहीं डाल सकेंते कि अपने प्रकाशन किस प्रकार के निकालें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इस रूप में उनसे कहा गया है कि ये क्षेत्र विवादग्रस्त क्षेत्र दिखाये जायें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि किस रूप में बातचीत हुई । किन्तु यह स्पष्ट है कि इस पहलू पर भी विचार किया गया होगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** इस सम्बन्ध में हमारे पत्र व्यवहार में हमारे स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर देने में रूस की चुप्पी का सरकार क्या अर्थ लेती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यूरोप में तथा अन्यत्र कई ऐसे देश हैं जिनके मानचित्रों में भारत की सीमायें हमारे मानचित्रों में दिखाई गई सीमाओं के अनुरूप नहीं हैं । यहां से कोई हिदायत देना बहुत कठिन है । हम उन्हें इसके बारे में बता सकते हैं और आशा करते हैं कि वे उसे मानेंगे । कभी कभी वे कह देते हैं कि वे इस मामले पर विचार करेंगे और हम उनका ध्यान उसकी ओर दिलाते रहते हैं । किन्तु हमें यह महसूस करना चाहिये कि स्वतंत्र देशों में कभी-कभी मानचित्रावलियां वहां की प्राइवेट फर्मों द्वारा छपवायी जाती हैं और कभी-कभी सरकारी अभिकरणों द्वारा । रूसी प्राधिकारियों से हमेशा यह उत्तर मिला है कि वे इस पर विचार करेंगे ।

†**श्री हेम बरूआ :** यह देखते हुये कि रूस ने चीन के कथनानुसार मानचित्र तैयार किया है भारत के कथनानुसार नहीं, क्या सरकार ने सोवियत रूस से यह पता लगाने की कोशिश की है कि यह इस बात का संकेत है कि वे भारतीय प्रदेश पर चीन के दावे का अनुमोदन करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किसी देश से ऐसा प्रश्न पूछना बड़ा ही गलत होगा । सोवियत रूस के मानचित्र का यह प्रश्न इस हाल की वर्तमान गड़बड़ के पूर्व ही १९५४ में उठा था । जब कि हमारे पास पहली एटलस आई तो हमने इसके बारे में उन्हें बताया और तब से हम बराबर उनसे कहते आ रहे हैं । यह स्पष्ट है कि जब उन्होंने १९५४ में ऐसी एटलस निकाली तो उन्होंने बिना अधिक विचार किये हुये चीनी मानचित्रों की ही नक्ल कर ली । उन्होंने उस एटलास में छोटे मोटे परिवर्तन करके जारी रखा क्योंकि शायद उन्होंने सोचा कि ऐसा करना वांछनीय नहीं होगा अथवा कोई विवाद खड़ा कर देगा । कुछ भी सही, मेरा तात्पर्य यह था कि यह प्रश्न छ : वर्ष पूर्व उठा था ।

पोर्टेबल टाइपराइटर

†*६८५. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में किसी प्राइवेट कम्पनी ने कलकत्ता में पोर्टेबल टाइपराइटर बनाना शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी का नाम क्या है और यह किस देश की है ;

(ग) इस टाइपराइटर के मार्केट में कब आने की सम्भावना है ;

(घ) क्या इससे विदेशी मुद्रा में कुछ बचत होगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा बचने की सम्भावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मेसर्स ब्लेकवुड्स इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता, जो कि पूर्णतः भारतीय संस्था है ।

(ग) ये टाइपराइटर बाजार में आ गये हैं ।

(घ) और (ङ). पोर्टेबल या स्टेन्डर्ड पूरे टाइपराइटरों के आयात पर प्रतिबन्ध है ।

†**श्री सुबिमन घोष** : यह भारतीय कम्पनी पुर्जे बना रही है अथवा केवल पुर्जे जोड़ने का काम कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे यहां भी पुर्जे बना रहे हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : इन टाइपराइटरों में देशी पुर्जे कितने हैं तथा वे किस कीमत पर बेचे जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ९३ प्रतिशत देशी पुर्जे हैं और ७ प्रतिशत विदेशी हैं । जो बड़े या मुश्किल पुर्जे हैं वे ही विदेशी हैं । उनकी कीमतें ६०० से १२०० रुपये तक हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि हाल्दस नाम की मद्रास फर्म ने भी प्रार्थनापत्र दिया है और क्या सरकार वहां भी टाइपराइटर बनाने के लिये लाइसेंस देने के बारे में विचार करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : टाइपराइटर बनाये जा रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि आयात रोक दिया गया है । क्या इसके परिणामस्वरूप आयातित टाइपराइटरों का मूल्य बाजार में बहुत बढ़ गया है और यदि हां, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि टाइपराइटर उचित कीमतों पर बेचे जायें।

श्री मनुभाई शाह : मूल्य वस्तुतः अधिक नहीं हुये हैं । जैसाकि सभा को मालूम है, विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इन चीजों की कमी है और देश के अन्दर मांग बढ़ती जा रही है । अतः यहां या वहां कभी-कभी कुछ कठिनाई हुई है किन्तु हम स्टैन्डर्ड और पोर्टेबल दोनों तरह के टाइपराइटरों के संबंध में लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं ।

अभ्रक का निर्यात

+

†*६८६. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक अभ्रक के निर्यात में कितनी कमी हुई है ?

(ख) भविष्य में इसके निर्यात की क्या सम्भावना है ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम अभ्रक के निर्यात को बढ़ावा देने में कोई रूचि ले रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अभ्रक के निर्यात में कमी नहीं आई है ।

(ख) १९६०–६१ में यदि १९५९–६० के मुकाबले अधिक निर्यात की नहीं तो कम से कम उतने ही अभ्रक के निर्यात की आशा है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अभ्रक का निर्यात बढ़ाने में राज्य व्यापार निगम कहां तक तथा किस रूप में सहायक सिद्ध हुआ है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य व्यापार निगम पूर्वी यूरोप के देशों को मुख्य रूप से अभ्रक भेजता रहा है और अमरीका से उसने वस्तु विनिमय संबंधी कुछ सौदे भी किये हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वस्तु विनिमय के आधार पर राज्य व्यापार निगम के जरिये पूर्वी देशों को अभ्रक भेजा जा सका है और कितना भेजा जा सका है तथा भावी आशायें क्या हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : शायद माननीय सदस्य आंकड़े चाहते हैं । उदाहरणतः इस वर्ष १९६० में प्रथम ग्यारह महीनों में राज्य व्यापार निगम ने पूर्वी जर्मनी को ७५,००० पौंड अभ्रक भेजा है, रूस को १०,००० पौंड भेजा है तथा अन्य देशों को कम-कम मात्रा में भेजा है । उसने पश्चिम जर्मनी को भी १८,००० पौंड अभ्रक भेजा है। इस्पात के बदले में संयुक्त राज्य अमरीका को १०,७०,००० पौंड अभ्रक भेजने का वस्तु विनिमय संबंधी सौदा किया गया है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या राज्य व्यापार निगम ने इस बात का आग्रह किया था कि जितना अभ्रक बाहर भेजा जाये, उसको भेजने से पूर्व उसके प्रति एकक पर १ रुपया राज्य व्यापार निगम को दिया जाये और क्या यह अभिसंविदा वापस ले लिया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह बड़े विस्तार की बातें हैं जिनके बारे में राज्य व्यापार निगम स्वयं निर्णय करता है । हमारे पास उनका ब्यौरा नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मेरा कहना यह था कि किस वर्ष से अभ्रक के निर्यात में राज्य व्यापार निगम ने दिलचस्पी ली, इस अभिसंविदा के कारण ही उसका निर्यात घट गया । मैं नहीं जानता कि उसका इस निर्यात-आयात के व्यापार के साथ कुछ संबंध था ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि अभ्रक का निर्यात घटा नहीं है । जहां तक राज्य व्यापार निगम द्वारा लिये जाने वाले थोड़े से कमीशन का संबंध है, वह सौदे प्राप्त करने तथा इस काम के लिये अतिरिक्त कर्मचारी लगाने के लिये जो कुछ करता है, उसको देखते हुये वह उचित है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : राज्य व्यापार निगम द्वारा अभ्रक के निर्यात का काम अपने हाथ में लेने से तुरन्त पूर्व कितना निर्यात होता था और बाद में कितना हुआ ? अभ्रक का निर्यात अवश्य घटा, भले ही वह एक या दो साल के लिये ही रहा हो ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सब धारणायें हैं । राज्य व्यापार निगम पूर्वी यूरोपीय देशों को अभ्रक भेज रहा है जो कि पहले नहीं भेजा जाता था । जहां तक आंकड़ों का संबंध है, यह माननीय

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य चाहते हों तो मैं १९५८ के बाद के आंकड़े दे सकता हूं। राज्य व्यापार निगम ने तो यह काम १९५९ से अपने हाथ में लिया है। १९५८ में अभ्रक का कुल निर्यात लगभग १०,२०,००,००० पौंड था। १९५९ में ११,१४,००,००० पौंड हो गया। १९६० के छः महीनों में लगभग ५,५९,००,००० पौंड अभ्रक का निर्यात हुआ। इससे यह नहीं प्रकट होता कि अभ्रक का निर्यात घट रहा है।

कपड़ा उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल

+

†*६८८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
कुमारी मो० वेदकुमारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा-कारखानों में आधुनिकीकरण के बारे में कपड़ा-उद्योग संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) और (ख). यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में भी यह बताया गया था कि विषय विचाराधीन है। इस विषय में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मेरे विचार में लगभग तीन महीने के अन्दर सरकार निर्णय कर लेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** कामगरों को इस बात की शंका है कि आधुनिकीकरण से श्रमिकों की संख्या कम हो जायेगी। क्या अन्तिम निर्णय करने से पूर्व विभिन्न कर्मिक संघों के संगठनों को इस बारे में बताया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह:** बात बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी हमेशा यह नीति रही है कि किसी की छंटनी किये बिना तथा भारतीय श्रमिक सम्मेलन के निर्णय के अनुसार आधुनिकीकरण किया जाये। इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है। अतः इस संबंध में आगे आश्वासन देने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

तिब्बत में काश्मीरी मुसलमानों की गिरफ्तारी

+

†*६९०. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री हेम बरूआ :
श्री प्र० के० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ल्हासा में अभी हाल ही में काश्मीर के कुछ मुसलमान नेताओं को चीनी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या उनको ल्हासा जेल में रखा गया है अथवा कहीं और ले जाया गया है ; और

(घ) क्या उन मुसलमान नेताओं के बारे में सरकार को चीनी अधिकारियों से कोई जानकारी मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) हाल ही में तिब्बत में कोई भी काश्मीरी मुसलमान गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री रघुनाथ सिंह: प्रश्न संख्या ७०३ और प्रश्न संख्या ६९० एक से हैं । एक तिब्बत से आने वाले काश्मीरी मुसलमानों के बारे में है और दूसरा तिब्बत में काश्मीरी मुसलमानों की गिरफ्तारी के बारे में है । वे दोनों साथ-साथ मिले लिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ७०३ का भी साथ साथ उत्तर दे दिया जाये ।

तिब्बत से आने वाले काश्मीरी मुसलमान

†*७०३. **श्री सुबिमन घोष :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वोडयार :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ल्हासा से अभी हाल ही में काश्मीरी मुसलमानों का निकास पुन : शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आकस्मिक निकास और प्रव्रजन के कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) इस बीच कितने काश्मीरी मुसलमान भारत आये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) हाल ही में तिब्बत से काफी संख्या में काश्मीरी मुसलमान आये हैं ।

(ख) पिछले डेढ़ साल से ये काश्मीरी मुसलमान भारत आने की सोच रहे थे । चीनी अधिकारियों ने उनको चीनी राष्ट्रजन बताकर उनकी वापसी में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर दीं । भारत चीन संबंधों के बारे में श्वेत पत्र संख्या १ से ४ तक में इस संबंध में कई नोट प्रकाशित किये गये हैं । सितम्बर, १९६० में चीनी अधिकारियों ने इन काश्मीरी मुसलमानों को तिब्बत से जाने की अनुमति दे दी ।

(ग) लगभग ६७५ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या लद्दाखी मुसलमानों को जो हाल ही में नहीं अपितु कुछ समय पूर्व गिरफ्तार किये गये थे, ल्हासा जेल में रखा गया है या कहीं और क्या हमारे वाणिज्य दूतावास के लोग अथवा कोई अन्य व्यक्ति उनसे सम्पर्क स्थापित कर सका है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : लद्दाख के इन अधिकांश मुसलमानों को भारत आने की अनुमति दे दी गई है । वे वस्तुतः भारत में हैं । मैं नहीं कह सकता कि वे कहां रखे गये थे । वे वहां हिरासत में रखे गये थे । कुछ लोगों को हिरासत में नहीं रखा गया था । किन्तु उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी होती थी । कुछ उनमें से शायद अब भी वहां हैं । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य और क्या जानकारी चाहते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : श्वेत पत्र में यह बताया गया है कि कुछ लोग गिरफ्तार किये गये थे और उन्हें १० या १५ साल की सजा दी गई थी । क्या हमारे किसी पदाधिकारी ने उन से जेल में भेंट की है अथवा उनसे भेंट करने के लिये कम से कम चीनी सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार में हमारे किसी पदाधिकारी को उनसे भेंट करने की अनुमति नहीं दी गई । चीनियों का यह कहना था कि वे चीनी राष्ट्रजन हैं । किन्तु बाद में महीनों इस विषय पर बात चीत करने के पश्चात् उन्होंने उनमें से कई व्यक्तियों को जिनकी संख्या उसमें दी गई है, भारत आने की अनुमति दे दी । कितने रह गये हैं, यह पता नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यही वस्तुतः मैं पूछना चाहता था । पहले जब कि चीनियों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रजन नहीं माना तो उन्होंने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और १० से १५ साल तक के कठोर कारावास की सजा दे दी । अब क्या वे उन सजा पाने वाले व्यक्तियों के मामलों के बारे में नये सिरे से विचार करेंगे या नहीं क्योंकि अब उन्होंने यह मान लिया है कि वे भारत लौट सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें जेल में रखा जाता है ?

†**श्री सादत अली खां** : ल्हासा स्थित भारतीय महा वाणिज्य दूत बराबर विदेशी विभाग से यह प्रार्थना करता रहा है कि हिरासत में रखे हुये काश्मीरियों को छोड़ दिया जाये और उनको भारत आने की सुविधा दी जाये । विदेशी विभाग ने इसकी प्रार्थनायें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है और कहा है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं । महा वाणिज्य दूत फिर भी उनको छुड़ाने की कोशिश करता रहेगा । वे अब भी वहां हैं ।

†**श्री वाजपेयी** : तिब्बत में रोके गये व्यक्तियों की संख्या क्या है ? क्या हम उनकी संख्या का भी पता नहीं लगा सकते ?

†**श्री सादत अली खां** : तिब्बत में चीनी प्राधिकारियों ने लग भग ग्यारह काश्मीरी गिरफ्तार कर लिये हैं । हाल में वहां कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है । किन्तु इस समय तीन व्यक्ति जेल में है; चार हिरासत में हैं और शेष चार व्यक्तियों को भिन्न भिन्न तारीखों पर छोड़ दिया गया था ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि तिब्बत में इन काश्मीरी मुसलमानों में से कुछ को यह राजनैतिक शिक्षा दी गई थी कि भारत विस्तारवादी देश है जो दूसरों के प्रदेश हड़प लेता है और भारत ने ही तिब्बत में विद्रोह उकसाया है ? यदि हां, तो जो व्यक्ति आये हैं उनके भ्रम को दूर करने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री ब्रज राज सिंह ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या चीनी प्राधिकारियों ने उन ११ व्यक्तियों के बारे में, जो हिरासत में हैं अथवा तिब्बत में जेल में हैं, यह कहा है कि वे भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उनसे यह कहा है कि वे उन व्यक्तियों के समान ही भारतीय राष्ट्रजन हैं जो भारत लौट आये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कुछ महीनों तक यही तो तर्क दिया जाता रहा है । इन में से कई व्यक्ति कई वर्षों से तिब्बत में हैं । कुछ लोगों ने तिब्बत की स्त्रियों से शादियां कर ली हैं । यह तर्क चलता रहा है कि वे भारतीय राष्ट्रजन हैं, अथवा तिब्बत राष्ट्रजन है या चीनी राष्ट्रजन हैं । इन लोगों के स्वयं बहुत आग्रह करने पर ही उनमें से अधिकांश व्यक्तियों को वापस आने की अनुमति दी गई है । ११ व्यक्तियों के बारे में, चीनी प्राधिकारी इस बात से सहमत नहीं हुये हैं कि वे भारतीय राष्ट्रजन हैं । इसी बात को लेकर हम तर्क करते रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं क्या तिब्बत से आने वाले इन ६०० काश्मीरियों को भारतीय नागरिक माना जायेगा अथवा नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रश्न यह है कि वे चीनी राष्ट्रजन हैं अथवा भारतीय राष्ट्रजन । उनको चीनी राष्ट्रजन मान कर उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके विचार राज्य के विचारों से भिन्न हैं और वे राज्य के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं । मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि क्या आरोप लगाया गया है । किन्तु मैं समझता हूँ कि क्योंकि वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो चीनी सरकार के विरुद्ध है अतः उन्हें गिरफ्तार किया गया है ।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या चीनी लोग ल्हासा के सभी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं अथवा केवल काश्मीरी मुसलमानों के साथ ही वे ऐसा कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ऐसा केवल उन व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा रहा है जिनकी राष्ट्रीयता मालूम नहीं है । कुछ लोग वहां १०, २० या ३० साल से रह रहे हैं और उन्होंने वहां विवाह कर लिये हैं । चीनी कहते हैं कि वे या तो चीनी राष्ट्रजन हैं या तिब्बती राष्ट्रजन जब कि वे कहते हैं कि नहीं हम भारतीय राष्ट्रजन हैं और हम उनका समर्थन करते हैं ।

†**श्री रंगा :** यह देखते हुये कि वे वहां रहने लगे हैं और उन्हों ने वहां शादी सम्बन्ध कर लिये हैं और वे अब भी भारतीय नागरिक हैं, क्या भारत सरकार ने इसका पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया है कि वहां कितने भारतीय हैं वे कहां हैं और क्या करते हैं ? क्या इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि वे यहां लौटकर आना चाहते हैं तो सरकार इसके लिये उनकी मदद करे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि माननीय सदस्य श्वेत पत्र पढ़ें तो उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा ।

†**श्री रंगा :** मैं उत्तर नहीं समझ सका ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इन मामलों की चर्चा श्वेत पत्र में, जो कि जारी किया गया है, संदेशों में की गई है । अतः माननीय सदस्य वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । जो अपने आपको भारतीय राष्ट्रजन कहते हैं हम उनके बारे में पूरी तरह से जानते हैं । कुछ लोगों के बारे में कोई विवाद नहीं है, अतः वे वापस आ गये हैं । कुछ के बारे में कुछ झगड़ा है कि वे काश्मीरी मुसलमान

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं अथवा लद्दाखी बोद्ध तथा वे किस राष्ट्र के हैं। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब डेढ़ वर्ष पूर्व तिब्बत में बडे रुप में गड़बड़ हुई। तभी यह मामला उठा। उसके बाद, उन्होंने अपने को भारतीय राष्ट्रजन बता कर तिब्बत से आने की इच्छा प्रकट की। अतः उन्होंने हमारे महावाणिज्य दूत से प्रार्थना की और अब कुछ व्यक्तियों को आने की अनुमति दे दी गई है। किन्तु कुछ व्यक्ति अब भी वहां हैं और यह झगड़ा अब भी है कि वे किस राष्ट्र के हैं।

†**श्री हेम बरुआ** इस बात को देखते हुये कि कुछ काश्मीरी मुसलमानों ने तिब्बती औरतों से विवाह कर लिये हैं तो क्या उन काश्मीरी मुसलमानों को, जो यहां आना चाहते हैं अपने साथ अपनी तिब्बती पत्नियां भी लाने की अनुमति है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्रीमती मफीदा अहमद।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या इस संबंध में कोई प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं कि इन काश्मीरी मुसलमानों में से कोई अवांछित व्यक्ति यहां न आ जायें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कुछ उपाय किये गये हैं किन्तु मैं इस बात की गारंटी नहीं कर सकता कि वे कहां तक प्रभावशाली सिद्ध होंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं।

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड

+

†*६९४. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री सा० म० गांधी :

क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान साल्ट (प्राइवेट) कम्पनी लिमिटेड ने ३० लाख मन खाराघोडा नमक ४२ न० पै० प्रति मन की दर से बेचा है;

(ख) क्या कोई टेंडर मांगे गये थे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि जिस दिन यह सौदा किया गया उस दिन मंडी में विक्रय-मूल्य ५५ न० पै० प्रति मन था;

(घ) खाराघोडा नमक भेजने के लिए हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड के पास कितने मन का आर्डर पड़ा हुआ था और क्या ये आर्डर ५५ न० पै० प्रति मन की दर पर स्वीकार किये गये थे;

(ङ) क्या ५५ न० पै० प्रति मन के मार्केट भाव और ४२ न० पै० प्रति मन के बातचीत द्वारा तय किये गये विक्रय मूल्य के अन्तर से कम्पनी को ३९०,००० रु० की हानि होने की सम्भावना है; और

(च) क्या बातचीत के द्वारा यह सौदा 'गुजरात साल्ट ट्रेडिंग कारपोरेशन' नामक फर्म के साथ किया गया, जो बिल्कुल अभी हाल ही में शुरू की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (च). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इस सौदे का सम्बन्ध ऐसे चूरा नमक की बिक्री से है जो कि १९५८ के उत्पादन में से अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया था और जिसके लिये कोई मांग नहीं थी। टाटा कैमिकल्ज़ ने अपने सोडा एश के कारखाने में इस्तेमाल के लिये ५ लाख मन इस नमक को खरीदने के लिये प्रस्ताव किया था। उस फर्म से इस नमक के लिये अधिकतम ४० नये पैसे प्रति मन का मूल्य प्राप्त किया जा सकता था क्योंकि उस फर्म को नमक के परिवहन पर स्वयं खर्च करना था और उपकर भी अदा करना था। उस बिक्री से इस चूरा नमक की खरीद के सम्बन्ध में और पूछताछ प्रारम्भ हो गयी और खाराघोडा नमक के कुछ व्यापारियों ने उसी दर पर लगभग ३० लाख मन नमक की सम्पूर्ण मात्रा को खरीद लेने का प्रस्ताव किया। परन्तु बातचीत के द्वारा हिन्दुस्तान नमक कम्पनी इसके लिये कुछ ऊंचे दर अर्थात् ४२ नये पैसे मन के दर निर्धारित करने में सफल हुई और इस दूसरे सौदे में १९५८ के चूरा नमक की सम्पूर्ण मात्रा बिक गयी। इन दो सौदों के परिणामस्वरूप अब १९६० के उत्पादित नमक के लिये स्टोर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो जायेगा, नहीं तो स्थान की कमी के कारण १९६० की उत्पादन मात्रा को पर्याप्त सीमा तक कम कर दिया गया होता।

(ग) हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी द्वारा अपने क्रिस्टल नमक के लिये ५५ नये पैसे प्रति बंगाली मन की दर निर्धारित की गयी थी।

(घ) जिस दिन उक्त सौदे का निर्णय किया गया था, उस दिन कम्पनी के पास ५५ नये पैसे प्रति मन की दर से ७३,९१४ बंगाली मनों का एक सौदा विचाराधीन था।

(ङ) जी, हां।

(च) यह सौदा खाराघोडा के कुछ प्रमुख व्यापारियों द्वारा की गयी बातचीत के आधार पर किया गया था, और उन्हीं व्यापारियों ने बाद में 'गुजरात नमक व्यापार निगम' के नाम से एक फर्म बना ली थी।

†श्री पु० र० पटेल : विवरण में यह कहा गया है :—

"इस सौदे का सम्बन्ध ऐसे चूरा नमक की बिक्री से है जो कि १९५८ के उत्पादन में से अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया था और जिसके लिये कोई मांग नहीं थी।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने मन नमक तैयार किया गया था और उसमें से कितने प्रतिशत चूरा नमक था ? क्या गैर सरकारी व्यक्तियों को नमक बेचने से पहले उसके लिये कोई टेण्डर मांगे गये थे ?

†श्री भानुभाई शाह : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर तो यह है कि १९५८ में ७३,१८,००० मन नमक का निर्माण किया गया था और १९५९ में केवल ५२,००,००० मन का निर्माण किया गया था। यह नमक सामान्य स्तर का नमक नहीं था। यह तो चूरा नमक था। यह सामान्यतया कम दामों पर बिकता है और प्रायः टेण्डर पर बेचा जाता है। जहां तक इस सौदे का सम्बन्ध है, स्टोर को खाली करना था क्योंकि ताज़े नमक को उसमें रखना था। इसीलिये वह नमक एक कैमिकल फर्म को लगभग उसी भाव पर बेच दिया गया और फिर उन लोगों से बातचीत प्रारम्भ की गई है जो कि प्रति वर्ष नमक खरीद रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लंका के तट पर भारतीयों की लाशें

†*६९५. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९६० में लंका के तट पर १८ भारतीय राष्ट्रजनों की लाशें पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उच्चायुक्त ने उनके अन्तिम संस्कार का प्रबन्ध किया था;

(ग) लंका सरकार द्वारा की गयी जांच का क्या परिणाम निकला है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये लोगों को किसी अपराध के लिये दंडित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रजनों को अवैध आप्रवासियों के रूप में नजरबन्द कर लिया जाता है; और

(च) यदि हां, तो इस कष्टदायक स्थिति को दूर करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) सरकार द्वारा की गयी जांच के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि १६ भारतीय राष्ट्रजनों की लाशें अगस्त, १९६० में लंका के उत्तरी तट पर समद्र के किनारे पायी गयी थीं।

(ख) भारतीय उच्चायुक्त के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में दो पुरोहितों—एक हिन्दू और एक मुस्लिम—के द्वारा अन्तिम धार्मिक संस्कारों के बाद उन लाशों का अन्तिम संस्कार कर दिया गया।

(ग) जांच सम्बन्धी कार्यवाही की एक प्रति अभी तक लंका सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये ६ व्यक्तियों में से ४ को मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही जांच के सम्बन्ध में बाद में भी हिरासत में रखा गया था। वह जांच १० अक्तूबर को पूरी हुई है। लंका के महाअभ्यर्थी से उस कार्यवाही की एक प्रति प्राप्त हो जाने पर वह प्रव्रजन नियंत्रक, मद्रास के पास भेज दी जायेगी। लंका सरकार से प्राप्त होने वाली उन १६ व्यक्तियों की फोटो और ४ बचे हुए व्यक्तियों के बयानों की प्रतियां प्रव्रजन नियंत्रक, मद्रास के पास भेज दी गयी थीं। वह यथाकाल अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मामला चलाने के सम्बन्ध में विचार करेगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री तंगामणि** : जिन चार व्यक्तियों को हिरासत में रखा गया था, उनके सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट के न्यायालय की क्या उपपत्तियां हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें अभी तक वहां से इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री तंगामणि** : माननीय उपमंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि गिरफ्तार किये गये ६ व्यक्तियों में से ४ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। उनके सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट की उपपत्तियां क्या क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने यही बताया है कि वहां के महाअभ्यर्थी से प्रति आने पर वह प्रव्रजन नियंत्रक, मद्रास के पास भेज दी जायेगी ।

†**श्री तंगामणि** : जानकारी यह प्राप्त हुई है कि एक नौका में ३६ व्यक्ति थे और उन में से १६ व्यक्तियों की लाशें पायी गयी और मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो चार व्यक्ति पकड़े गये हैं, वे अवैध आप्रवासी नहीं थे ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं यह बता देना चाहती हूं कि उस नौका में ३६ व्यक्ति नहीं अपितु ४२ व्यक्ति थे, और दो चालकवृन्द तथा कुछ एजेन्ट थे ।

†**श्री तंगामणि** : उस नौका में जो दो अन्य माहीगीर थे, उनका क्या बना है ? क्या वे इस समय भारत में हैं या लंका में ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उन ४२ व्यक्तियों में से १६ मर गये, ६ को गिरफ्तार करके देश से निकाल दिया गया, ७ को देश से निकाला जा रहा है, दो नाविक वापिस आ गये हैं और ७ भी संभवतः वापिस आ गये हैं या कहीं छिप गये हैं ।

†**श्री तंगामणि** : प्रश्न के भाग (ङ) और (च) के सम्बन्ध में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को लंका में यातना सहने वाले एक व्यक्ति श्री वेदनायगम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि यद्यपि वह लंका का राष्ट्रजन था तो भी उसे भारत भेज दिया गया क्योंकि उच्चायुक्त ने यह प्रमाणित किया था कि वह एक भारतीय राष्ट्रजन है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस सम्बन्ध में हमें कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित कर देना चाहती हूं कि इस बात का निश्चय करने के सम्बन्ध में एक निश्चित प्रक्रिया है कि क्या कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रजन है या कि अवैध आप्रवासी है । जब भी किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता के बारे में कोई विवाद होता है, तो उस समय उस व्यक्ति का ही यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सिद्ध करे कि वह भारतीय राष्ट्रजन है और अवैध आप्रवासी नहीं है । उस समय लंका सरकार वह मामला भारतीय उच्चायुक्त के पास भेज देती है । उच्चायुक्त आवश्यक पूछताछ करता है और यदि उसे विश्वास हो जाये कि वह भारतीय राष्ट्रजन है तो वह उचित प्रकार के पत्र दे देता है जिससे वह व्यक्ति वापिस आ सकता है । परन्तु यदि वह व्यक्ति १-११-४९ से पहले लगातार लंका में ही रह रहा है, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति भारतीय राष्ट्रजन के रूप में नहीं समझा जाता अपितु वह लंका का राष्ट्रजन समझा जायेगा । और यदि उसके पास उपयुक्त कागजात नहीं हैं, तो वह एक राज्य विहीन व्यक्ति समझा जायेगा । उसी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें देश से निकाल दिया जाता है या उन्हें उपयुक्त प्रमाण पत्र दे दिये जाते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हमारा प्रश्न यह है कि वे १६ व्यक्ति मारे कैसे गये । उनके सम्बन्ध में न्यायालय में क्या ब्यान दिये गये थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जहां तक हमें ज्ञात है, वे लोग इसलिये मर गये थे कि वे तैरना नहीं जानते थे । वे गहरे पानी में चले गये थे । वे वास्तव में अवैध आप्रवासी थे । जब वे लंका के तट के पास पहुंचे, तो नाविकों ने उन्हें नौका से निकल जाने के लिये कहा । वे पानी में उतर पड़े । पानी गहरा था । उन्होंने वापिस नौका में चढ़ने की इच्छा प्रकट की परन्तु उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया जिससे वे पानी में डूब गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों के दावे

†*६९६. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के दावों को निपटाने के लिए एक अभिकरण स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभिकरण के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कार्य की समाप्ति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) और (ख). विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के दावों को निपटाने के लिये एक अलग अभिकरण स्थापित करने का कोई विचार नहीं है । इन दावों का फैसला पहले से ही दोनों देशों में स्थापित केन्द्रीय दावा संगठन के द्वारा किया जाता है ।

(ग) इस कार्य की पूर्ति के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है । फिर भी इस काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में यत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : कितने सरकारी कर्मचारियों के मामले अभी तक विचारधीन हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को सौंपे गये १३,३०० से अधिक मामले अभी तक उस सरकार के विचाराधीन हैं ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : कितने समय से ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हम समय समय पर मामले भेजते रहते हैं । परन्तु उनकी अवधि निश्चित रूप से बताना कठिन है ।

लोहा और इस्पात उद्योग में औद्योगिक सम्बन्ध

†*६९७. **श्री कुन्हन** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार लोहा और इस्पात उद्योग में औद्योगिक सम्बन्धों के विषय को केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में लेने का है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : फिलहाल इस प्रकार का कोई भी सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

†**श्री कुन्हन** : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में किसी भी केन्द्रीय कार्मिक संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । वास्तव में प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में एक सिफारिश की थी । हमने इस सम्बन्ध में मंत्रालय से बात चीत प्रारम्भ की है, मंत्रालय से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । उत्तर प्राप्त होने पर राज्य सरकारों से बातचीत की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस उद्योग के उत्पादन, मूल्य तथा अन्य सभी बातों का विनियमन केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जाता है, इसे अपने हाथ में ले लेने में क्या कठिनाई है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : इस सम्बन्ध में एक साल पहले राज्य सरकारों से बातचीत की गयी थी, परन्तु बहुत सी राज्य सरकारें इस से सहमत नहीं हुई थीं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि क्योंकि सम्पूर्ण उद्योग का विनियमन तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, और औद्योगिक सम्बन्ध राज्य सरकारों के क्षेत्र में आते हैं, विवादों को निपटाने के सम्बन्ध में मजदूरों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : इस सम्बन्ध में कुछ भी कठिनाई नहीं है । कई मामले जैसे कि रोज़गार के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार में स्वेच्छा पूर्वक करार कर लिये गये हैं । यदि राज्य सरकरें कोई भी कार्यवाही करनी चाहें तो उन्हें केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेना पड़ता है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या भारत के इस्पात निगम ने सरकार से यह सिफारिश की है कि इन सभी औद्योगिक सम्बन्धों को सरकार अपने हाथ में ले ले ?

†श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि स्वयं कई सरकारी इस्पात कारखानों द्वारा श्रम विधियों का उल्लंघन किया गया है ? उन विधियों की पूर्ण रूपेण कार्यान्विति के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : हाल ही में इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात के कारखानों में अधिकांश श्रम विधियों को कार्यान्वित कर दिया गया है ।

†श्री ल० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर में से किसी भी कारखाने में कर्म समितियां नहीं हैं और ऐसी कोई संस्था नहीं जिसके द्वारा वे अपनी शिकायतें अभिव्यक्त कर सकें । वहां पर कर्म समितियां चलाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि वहां पर अभी कर्म समितियां तथा संयुक्त विचार विमर्ष संस्था स्थापित नहीं की गयी है । परन्तु प्रबन्धकों ने यह विश्वास दिलाया है कि जब फैक्टरी में उत्पादन पूरी मात्रा में प्रारम्भ हो जायेगा तो ये समितियां भी स्थापित कर दी जायेंगी ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या आगामी स्थायी श्रम समिति की कार्य सूची में इसे सभी सम्मिलित किया जायेगा ?

†श्री ल० ना० मिश्र : मेरा ऐसा ख्याल नहीं है ।

भारतीय सीमा के बारे में शक करने वाले प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध

†*६९८. श्री अ० मु० तारिक : क्या प्रधान मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ नवम्बर, १९५९ के गजट आफ इंडिया में प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत, भारत में किसी ऐसी पुस्तक, पत्रिका, पुस्तिका अथवा किसी अन्य दस्तावेज के जिसमें भारत की

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा पर शक करने वाला कोई शब्द चिह्न अथवा स्पष्ट निर्देश हो, दाखिले पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रकाशनों के क्या नाम हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां ।

(घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७३]

(ग) उन प्रकाशन को या तो राज्य सरकारों ने जब्त कर लिया है या सीमा-शुल्क पदाधिकारियों ने रोक लिया है । कुछ एक पुस्तकों के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को सचेत कर दिया गया है कि वे इस प्रकार की पुस्तकों को देश में आने न दें ।

†श्री अ० मु० तारिक : ये पुस्तकें या पुस्तिकायें किस वर्ष बन्द की गयी थीं और क्या उनका दाखिला बन्द कर दिया गया था या कि उनका परिचालन बन्द कर दिया गया था ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह कार्यवाही समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन की गयी है । समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ के अधीन इस प्रकार की पुस्तकों पर एक सामान्य प्रतिबन्ध है और इस का अनुसमर्थन २६-११-५० को किया गया था ।

†श्री अ० मु० तारिक : तो फिर पीयर्स एन्साइक्लोपीडिया का ५९वां संस्करण जो कि १९६० के प्रारम्भ में छपा था, भारत में कैसे दाखिल हो गया ? और माइकल ब्रेशर द्वारा लिखित 'पोलिटिकल बायेग्राफ़ी आफ नेहरू' नामक पुस्तक, जो कि १९५९ में प्रकाशित हुई थी और फिर अभी हाल ही में प्रकाशित होने वाली जनरल थिम्मय्या की जीवनी भारत में कैसे दाखिल हो गयी ?

†अध्यक्ष महोदय : ये तो अधिक विस्तृत ब्यौरे हैं । माननीय मंत्री से इनके उत्तर की आशा कैसे की जा सकती है ।

†श्री अ० मु० तारिक : ये अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । उक्त आदेश के अनुसार कोई भी आपत्तिजनक पुस्तक भारत में दाखिल नहीं हो सकती तो फिर उक्त पुस्तकें कैसे दाखिल हो गयीं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की पुस्तकों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि किसी भी नकशे में कुछ भेद तो होती ही है । विश्व के सभी देशों से सभी प्रकार की किताबें आती रहती हैं । यदि हम प्रत्येक पुस्तक के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का यत्न करेंगे तो वह न ही उचित होगा और न ही लाभदायक । मुख्य लक्ष्य यह है कि यदि वे पुस्तकें प्रचार के लिये हों तो उनका परिचालन बन्द कर दिया जाये ।

†श्री अ० मु० तारिक : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान विश्व विख्यात लेखक माइकल ब्रेशर द्वारा लिखित पुस्तक 'पोलिटिकिल वायेग्राफी आफ जवाहरलाल नेहरू' की ओर आकृष्ट किया गया है । इस पुस्तक का सम्पादन भारत के नेताओं और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से परामर्श करने के बाद किया गया था । उस पुस्तक में काश्मीर को एक विवादास्पद क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है । इसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही हम कोई कार्यवाही करना चाहते हैं । हो सकता है कि इस प्रकार की पुस्तकों में कुछ ऐसी बातें हों जिन्हें हम पसन्द नहीं करते परन्तु मैं तो इसे एक सामान्य सी बात समझता हूं । यदि हम उस प्रकार की पुस्तकों या पत्रों के आगमन पर प्रतिबन्ध लगा दें तो ऐसा करना उचित न होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का यह कहना है कि उन पुस्तकों का विवरण वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : इस मंत्रालय के द्वारा वितरण नहीं किया गया है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि इसका सम्पादन वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के परामर्श से किया गया था ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : सभा पटल पर रखी गयी सूची में "चायना रिकन्स्ट्रक्स" नामक पत्रिका भी सम्मिलित है जिसके प्रश्न पर दो बार प्रतिबन्ध लगाया गया है । परन्तु क्या यह सच नहीं है कि उस पत्रिका का खुले आम भारत में परिचालन हो रहा है और सभी लोगों के हाथ में पहुंच जाने के बाद सरकार को ज्ञात होता है कि कोई आपत्तिजनक पत्रिका परिचालित की जा रही है और उसके बाद कार्यवाही की जाती है ? क्या इस पत्रिका को स्थायी आधार पर भारत में प्रवेश करने से रोक दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री तिरुमल राव** : क्या 'बायोग्राफी आफ़ नेहरू' में लगाये गये इस ग़लत नक्शे की ओर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय अपना ध्यान देगा और इस ग़लती को दूर करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । हो सकता है कि कोई व्यक्ति देश के किसी भी भाग को विवादास्पद क्षेत्र के रूप में दिखाता है और हमारा दृष्टिकोण अलग है । परन्तु हम उसे कैसे बाध्य कर सकते हैं कि वह हमारे दृष्टिकोण से अवश्यमेव सहमत हो ।

कांगो में भारतीय राजनयिक अधिकारी की पत्नी पर आक्रमण

\+

†*६९९. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री प्रभात कार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगों में भारतीय राजनयिक अधिकारी की पत्नी से ११ नवम्बर, १९६० को कर्नल मोबूतू के सैनिकों ने दुर्व्यवहार किया; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली)** : (क) और (ख). उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। जब वह कार चला रही थीं तो कांगो के कुछ सैनिकों ने कार को ठहरा लिया, वे चिल्लाने लगे और कार को वापस लौटा दिया। उनके साथ कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : ज्ञात होता है कि कांगो में खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। वहां की विधि और व्यवस्था अब खराब हो रही है। क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के भारतीय राजदूतावास के कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा तथा इज्ज़त के लिये कौन जिम्मेवार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सामान्यतया उस देश की सरकार ही जिम्मेदार होती है। जहां तक कांगो का सम्बन्ध है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं की भी कुछ जिम्मेवारी है। मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि मूल रूप से कौन जिम्मेवार है, क्योंकि कांगो की सरकार एक असाधारण प्रकार की सरकार है और कांगो की सेना भी एक अजीब किस्म की सेना है जोकि अपनी मरजी से ही कोई कार्य करती है। और वहां पर इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं का अधिक प्रभाव नहीं है। बस इसके अतिरिक्त इस समय मैं और कुछ नहीं कह सकता।

आज के समाचार पत्र में यह छपा है कि छोटी छोटी अन्य चोटों के अतिरिक्त श्री लुमुम्बा की कुछ एक उंगलियां भी चबा ली गईं। इस प्रकार की स्थिति से साधारण भाषा में निपटना बड़ा कठिन है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : आज के समाचारपत्र में यह भी पढ़ा गया है कि कर्नल मोबुतू की सेनाओं ने इस महिला की कुछ वस्तुएं भी छीन ली थीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां; उस समाचार के अनुसार कुछ पैकेज और क्रेट, जिन में हमारे राजदूत की व्यक्तिगत वस्तुएं तथा अन्य कागजात थे, कुछ ऐसे लोगों द्वारा रोक लिये गये हैं जो वर्तमान कांगोली प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सम्बन्ध में विरोध-पत्र भेज दिये गये हैं और हमारा राजदूतालय इसके लिये यत्न कर रहा है।

†**श्री ही० न० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तथाकथित पश्चिमी देशों ने ही ऐसी स्थिति पैदा की है, क्या सरकार कांगो की स्थिति को सुधारने के लिये अपने अफ्रेशिया मित्र देशों से सहयोग करने का यत्न कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां। इस सम्बन्ध में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ, अफ्रेशिया ग्रुप, कांगो सम्बन्धी परामर्श समिति और महासचिव द्वारा अच्छी प्रकार से विचार किया जा रहा है। यह मामला बड़ा गंभीर है। हम कुछ भी कह नहीं सकते कि मामला कैसी सूरत अख्तयार कर लेगा। यह सूरत बहुत खराब भी हो सकती है। हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और इस सम्बन्ध में हमने अपनी चिन्ता प्रकट कर दी है।

†**श्री तंगामणि** : यह बताया गया है कि यद्यपि श्रीमती रहमान की कार को रोका गया था तथापि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। तो उनसे छीनी गयी वस्तुओं को वापिस दिलाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम इसके लिये यत्न कर रहे हैं। खबर आज सुबह को ही आयी है। परन्तु कांगो की स्थिति के बारे में उत्तर देना बहुत कठिन है क्योंकि वहां की हालत इस समय असाधारण से भी बदतर है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ने इस दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ को विरोध पत्र भेज दिया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राधिकारियों से भेंट भी की है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राधिकारियों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने दो तीन दिन पहले उन व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की थी जिन्हें जिन पर कांगो के सैनिकों ने आक्रमण किया था उन में अन्य देशों के राष्ट्रजन भी सम्मिलित हैं। वहां के लोग राष्ट्रों के अनुसार अन्तर नहीं समझते, वे तो किसी भी व्यक्ति को न पसन्द करने पर उस पर आक्रमण कर रहे हैं, वह भले ही कहीं का भी रहने वाला हो। वहां की स्थिति अत्यधिक असाधारण है और न ही केवल स्थानीय सरकार अपितु अन्य लोगों की भी बड़ी भारी जिम्मेवारी है।

आयात आवेदन पत्र

†*७०१. **श्री महन्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल—सितम्बर, १९६० के लिए मशीनी औजारों, औद्योगिक कच्चे माल और अन्य उपकरणों के, जिन्हें आवश्यक समझा जाता है, आयात के बहुत से आवेदन पत्रों को अभी तक निबटाया नहीं गया ;

(ख) यदि हां, तो इन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और उन्हें किस प्रकार निबटाने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानून गो)**: (क) और (ख). जी, नहीं। अप्रैल—सितम्बर, १९६० में कुल ९०,९३७ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से केवल ४५७ ही अभी तक अनिर्णीत हैं। सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें ब्यौरा निहित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७४]**

†**श्री महन्ती** : मशीनी औजारों के लिये जो १६० आवेदन पत्र लम्बित हैं, उनका ब्यौरा क्या है, यानी बड़े और लघु उद्योगों के लिये कितने कितने हैं ?

†**श्री कानूनगो** : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के आयात के बारे में फैसला पूंजीगत वस्तु समिति द्वारा किया जाता है।

†**श्री महन्ती** : विवरण में लिखा है कि पूंजीगत वस्तुओं के लिये १९२ आवेदन पत्र लम्बित हैं और वे वस्तुयें निर्माण के लिये बहुत जरूरी हैं। तो इतने अधिक इन आवेदन पत्रों को कैसे निपटाया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : ये आवेदन पत्र बहुत अधिक तो नहीं हैं। और फिर एक बात और है कि पूंजीगत वस्तुओं की कमी है क्योंकि उनके लिये विदेशी मुद्रा की कमी है और इसलिये एक पूंजीगत वस्तु समिति द्वारा प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ती है।

†**श्री महन्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्त मंत्री के विदेशों की यात्रा के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार हो गया है, क्या अब आवेदन पत्रों को शीघ्र ही निपटा दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : शीघ्र ही निपटा देने की कोई आशा नहीं है ।

†**श्री रंगा** : इन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में फैसला करने में भारी मशीनरी समिति, मशीनी औजार समिति तथा अन्य समितियों को कितना समय लगेगा ?

श्री कानूनगो : निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है और फिर इसका आवेदनों में प्राथमिकता के आधार पर ही वितरण करना पड़ता है ।

†**श्री रंगा** : तो फिर इस कार्य में कितने महीने लग जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे इस समय इसका उत्तर नहीं दे सकते ।

†**श्री रंगा** : ये आवेदन पत्र सितम्बर में मांगे गये थे और उनमें से १०० सेअधिक आवेदन पत्र अभी तक लम्बित हैं । उन्हें निपटाने में अभी और कितने महीनों का समय लग जायेगा ? यदि इन्हें शीघ्र न निपटाया गया तो गैर-सरकारी उद्योगपति अपने उद्योगों का विकास कैसे करेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि कुल २,००० से भी अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से केवल १६० आवेदन पत्र लम्बित हैं। उन में से कुछ एक के सम्बन्ध में प्रविधिक बातों का निर्णय करना है और फिर उनके लिये विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था करनी है ।

†**श्री महन्ती** : क्या सरकार बता सकती है कि इन सभी आवेदन पत्रों का लागत बीमा भाड़ा कितना होगा ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं ।

मेंढ़कों का निर्यात

†*७०२. **श्री पु० र० पटेल** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री आसर :
श्री कोरटकर :
श्री कोडियान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेंढ़कों की टांगों के निर्यात-व्यापार के विकास की सम्भावनाओं का अन्वेषण किया जा रहा है और किन देशों के साथ ;

(ख) क्या मेंढ़कों की टांगों के परिरक्षण और डिब्बों में बन्द करने के उद्योग को चालू करने का कोई विचार है ; और

(ग) मेंढ़कों के निर्यात से १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९६० तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) मुख्यत: मांग अमरीका में है और कुछ कम फ्रांस में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निर्यात कार्य के लिये एक उद्योग स्थापित करने वाले गैर-सरकारी उपक्रमियों को सुविधा देने के बारे में सरकार विचार करेगी ।

(ग) निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

आधुनिक सतग्राम कोयला खान

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री केशव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को यह पता लगा है कि 'माडर्न सतग्राम कोलियरी' में बल प्रयोग किया जा रहा है और सारे डिपो पर श्रमिकों के एक दल ने कब्जा कर लिया है जो वह प्रशासकों को सौंपने से इन्कार करते हैं ;

(ख) उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनाने और डिपो को इसके मालिकों को सौंपने के बारे में यदि सरकार ने कोई पग उठाये हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ग) गोली चलने से कितनी मौतें हुई हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस क्षेत्र में विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार आवश्यक पग उठा रही है ।

(ग) जी, कोई नहीं ।

†**श्री केशव** : क्या यह सच है कि अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस से सम्बद्ध साम्यवादी तत्व अब भी वैगनों और ट्रकों पर कब्जा किये हुए हैं और वे उन पर इस कारखाने से लकड़ी का कोयला लाद कर दूर ले जा रहे हैं ?

†**श्री आबिद अली** : रिपोर्ट यही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि इस घटना के बाद **श्रम** मंत्री महोदय ने उस क्षेत्र का हाल ही में दौरा किया और वहां वे प्रशासन और संघ-दोनों के प्रतिनिधियों से मिले और यदि हां तो उस बैठक का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम, रोजगार और योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैंने उस स्थान पर कुछ घंटे बिताये और श्रमिकों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों से मिला । अन्त में एक रास्ता निकला जिस पर सारा विवाद सुलझाना है । उस दिशा में कुछ प्रगति हो रही है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इस सतग्राम कोलियरी में कोयला खान क्षेत्र में विधिहीनता के कारण, कोयले के उत्पादन में लगभग ९० प्रतिशत तक की कमी हुई है ?

†**श्री आबिद अली** : जी, हां । उत्पादन काफी हद तक कम हो गया है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : श्रमिकों और प्रबन्धकों में यह झगड़ा किस कारण हुआ और क्या वह विवाद अब भी सरकार के पास लम्बित है अथवा निबटारे में वह विवाद भी शामिल है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : यह मुसीबत प्रबधकों और कर्मचारियों के बीच किसी विवाद के कारण नहीं खड़ी हुई परन्तु क्योंकि, जैसा मैं कुछ दिन पहले यहां बता चुका हूं, कम्पनी के दो कर्मचारी जो चपरासी का काम कर रहे थे, रुपय के लेन देन का व्यापार कर रहे थे और श्रमिकों से ८,००० रुपये के कर्जे पर ३,००० रुपये तक ब्याज वसूल कर रहे थे। श्रमिकों ने इस पर एतराज किया। साहूकार चपरासियों को अखिल भरत कार्मिक संघ कांग्रेस की सहायता मिल गई और कार्मिक संगठन के कारण उन्हें पर्याप्त बल मिल गया और झगड़ा शुरू हो गया।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि जिन ६०० श्रमिकों को हटा दिया गया था क्या उन्हें दुबारा काम पर लगा दिया गया है, और यदि नहीं, तो करार की शर्तों के अनुसार कितनों को अभी काम पर पुनः लगाना बाकी है ?

†**श्री नन्दा** : यह तै हुआ कि यदि कुछ व्यक्तियों को पुनः काम पर लगाने में प्रबन्धकों को कोई कठिनाई नहीं हुई, तो उन्हें फौरन रोजगार दे दिया जायेगा। बाकियों के बारे में, जिनके बारे में अभी भी विवाद है, उनके मामले पहले तो आपसी समझौते से सुलझाये जायेंगे और यदि यह झगड़ा तब भी नहीं सुलझा तो फिर यह मध्यस्थ-निर्णय द्वारा सुलझाया जायेगा। यह अब अन्य मामलों पर भी लागू होती है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : प्रबन्धकों ने वहां किस संघ को मान्यता दी है ? क्या यह सच है कि उस विशेष संघ की नेतागिरी को सभी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : वहां पर मोडर्न सतग्राम कोलियरी श्रमिक संघ नामक एक संघ है जिसे प्रबन्धकों ने मान्यता दे रखी है। दूसरे संघ को, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, जिसका सम्बन्ध अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस से है, मान्यता नहीं दी गयी है। वास्तव में यह अभी रजिस्टर्ड नहीं है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या यह मान्यता-प्राप्त संघ किसी केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन से सम्बद्ध है ?

†**श्री आबिद अली** : जी, नहीं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या पश्चिम बंगाल में मद्रास श्रमिक संरक्षक अधिनियम की तरह एक श्रमिक संरक्षण अधिनियम है जिसमें रुपया उधार देने और अन्य बातों पर प्रतिबन्ध है ?

†**श्री आबिद अली** : जी, हां। इस प्रकार का रुपये का लेन देन पश्चिम बंगाल में भी अवैध है।

†**श्री आ० चं० गुह** : कोयला खान में काफी समय से चली आ रही गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि क्या इस कोयला खान की स्वामिनी फ़र्म सब नियमों और विनियमों का पालन कर रही है अथवा उन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है अथवा वहां उल्लंघन का कोई गम्भीर मामला हुआ है ?

†**श्री आबिद अली** : मजूरी आदि के बारे में सभी श्रम अधिनियमों को लागू करने के बारे में इस प्रबन्ध का काफी अच्छा रिकार्ड है। परन्तु, हाल ही में, खछ अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस के व्यक्तियों ने कुछ शिकायतें की थीं और उनकी जांच की गयी और वे गलत पायी ग ीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री केशव :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डिपो का इस कोयला खान के संचालन में एक बड़ा हाथ है। और यह गड़बड़ी काफी पहले आरम्भ हुई थी, क्या यह अब भी गैर-प्रबन्धक तत्वों के हाथ में है और यदि हां, तो डिपो को प्रबन्धकों को दिलाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली :** जी, हां। यह सच है कि डिपो, जहां से कोयला भेजा जाता है, इन व्यक्तियों के कब्जे में है जो गड़बड़ी कर रहे हैं और इसीलिये कोयला खान में सामान्य रूप से कार्य नहीं हो सकता। इस मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी:** उस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, जो श्रमिकों को रुपया पाने में हो रही है, क्या वहां पर ऐसी कोई निधि है, जहां से वे, सूदखोरों से रुपया लेने के बजाय जिसके कारण यह सब गड़बड़ पैदा हुई, ऋण ले सकते हैं ?

†**श्री आबिद अली :** उस क्षेत्र में सहकारी समितियां हैं और कोयला खान कल्याण निधि संगठन द्वारा और अधिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भवन निर्माण निगम

†***६८२. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण निगम की स्थापना का प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को समवाय अधिनियम, १९५६ के अधीन १५ नवम्बर, १९६० को रजिस्टर किया गया था।

जूते बनाने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†***६८७. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा में जूते बनाने आदि के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो ये केन्द्र कब खोले जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह केन्द्र जूता निर्माण में विभिन्न तरीकों में प्रशिक्षण देगा । प्रशिक्षण में डिजाइन बनाना, नमूने काटना, ऊपर का हिस्सा बनाना, ऊपर का हिस्सा जोड़ना, नीचे का तला बनाना, सारे जूते को जोड़कर उसे तैयार करना शामिल है । कुल अनावर्ती व्यय के ६.४० लाख रुपये होने की आशा है । प्रशिक्षणार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष ६० होगी ।

(ग) और (घ). मद्रास में वर्ष १९५७ से एक जूता प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है । इस समय अन्य स्थानों पर ऐसे ही केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रसायन उद्योग

†*६८९. **श्री कोडियान:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में रसायन उद्योग के लिए संयंत्र निर्माण का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इस सिलसिले में कितना व्यय किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र में कुछ योजनाओं के लिये विभिन्न प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं । उसके अतिरिक्त देश में कितने ही इंजीनियरिंग कारखाने विभिन्न रसायन उद्योगों के लिये बड़ी संख्या में मशीनें और संयंत्र बना रहे हैं और बनाने की प्रस्थापना है ।

राज्य व्यापार निगम

†*६९१. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वस्तुओं के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम को दिये गये लाइसेंसों को कुछ अन्य पार्टियों के नाम किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी, नहीं । तथापि जब भी ठीक हो लाइसेंस की शर्तों के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं आदि को अधिकार पत्र दिये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

†*६९२. **श्री प्र० के० देव :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के ट्रस्टियों के केन्द्रीय बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस अधिनियम को सभी उद्योगों पर लागू कर दिया जाये ;

(ख) आज कल ऐसे कौन से उद्योग हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते ; और

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि के ट्रस्टियों के केन्द्रीय बोर्ड की इस सिफारिश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं । बोर्ड ने यह सिफारिश की थी कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को अधिनियम के अधीन लाया जा सके, लाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय ४७ उद्योगों पर अधिनियम लागू है। इनमें से ३९ के नाम वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये हैं। बाकी आठ ये हैं:

१. अभ्रक कारखाने
२. अभ्रक खानें
३. पलाईवुड कारखाने
४. मोटरगाड़ी मरम्मत उद्योग
५. चीनी कारखानों के गन्ना फार्म
६. चावल मिलें
७. आटा मिलें
८. दाल मिलें

(ग) समय-समय पर यह अधिनियम अधिक उद्योगों पर लागू किया जाता है।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*६९३. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले सभी सरकारी विभागों के पुनर्गठन के बारे में कोई निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). इस बारे में प्राक्कलन समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। उन पर सरकार विचार कर रही है।

हिन्दी में छपाई का काम

*७००. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में फार्म तथा लेखन सामग्री (स्टेशनरी) छापने के लिये आवश्यक विभिन्न प्रकार के टाइप पर्याप्त मात्रा में सरकारी मुद्रणालयों में उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनकी व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) हिन्दी में फार्मों तथा लेखन सामग्री की छपाई के लिए आवश्यक प्रकार के टाइप भारत सरकार के प्रपत्र (फार्म) मुद्रणालयों में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हस्तिनापुर में विस्थापित व्यक्ति

†*७०४. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों को काम पर लगाने के लिए हस्तिनापुर में कोई नए उपक्रम शुरू किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये किस किस्म के उद्योग हैं और इनमें कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : स्थिति लगभग वही है जैसी कि दिनांक १२-८-१९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५५ के उत्तर में बतायी थी ।

गंधद्रव्य उद्योग[1]

†*७०५. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नींबू घास तेल पर आधारित गंधद्रव्य–उद्योग चालू करने की सम्भावना की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में गंधद्रव्य निर्माण के लिए कोई कारखाना खोलने की प्रस्थापना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). जी, हां । मामले की जांच की गयी थी परन्तु नींबू घास तेल पर आधारित गंधद्रव्य बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करना उचित नहीं समझा गया ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ को भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

†*७०६. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी हाल ही के भारतीय प्रतिनिधिमंडल में मिस जोन ग्रान्ट की नियुक्ति आशु-लिपिका (स्टेनोग्राफर) के रूप में करने के सम्बन्ध में ५ अक्तूबर, १९६० के "दी करंट" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) सरकार ने ५ अक्तूबर, १९६० के 'दि करंट' अंक में प्रकाशित समाचार देखा है ।

(ख) और (ग).महासभा के १४ वें सत्र में, पहले वर्षों की भांति, महासभा के सत्र के अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिये हमारे स्थायी मिशन में टाइपिस्टों के कुछ अतिरिक्त पद बनाने पड़े थे । अभ्यर्थियों का चुनाव मिशन द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया गया । मिस ग्रान्ट को उपयुक्त पाया गया और उन्हें १५ दिसम्बर, १९५९ को टाइपिस्ट के एक पद पर नियुक्त कर लिया गया । रोजगार के अल्प-कालीन होने के कारण उनकी नियुक्ति से पहले उनके परिचय-पत्र देखना उचित नहीं समझा गया । तथापि, जैसा रिवाज है, भारतीय शिष्टमंडल ने उनकी नियुक्ति के बारे में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को तत्काल सूचना दी । मिस ग्रान्ट को १६ फरवरी, १९६० को काम पर से हटा दिया गया और तब से उनको फिर दुबारा नहीं रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Perfumery Industry.

अनुशासन संहिता

†*७०७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों ने अनुशासन संहिता को अपनाने के संबंध में अपने रवैये पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा उपक्रमों, बकों और जीवन बीमा निगम को छोड़ कर सार्थों और निगमों के रूप में कार्य करने वले सभी सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में अनुशासन संहिता लागू है । रेलवे ने संहिता को लागू करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि उनकी राय में इसके मुख्य उद्देश्य उनकी पुरानी प्रक्रियाओं और निरूढ़ियों में शामिल है । बाकी सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में संहिता को लागू करने के प्रश्न पर जोर डाला जा रहा है ।

सिंदरी उर्वरक कारखाने में उत्पादन

†*७०८. **श्री तंगामणि:** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने का उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप हो रहा है;

(ख) जुलाई, अगस्त, सितम्बर, १९६० में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) १९६० में कितना उत्पादन होने का अनमान है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) उत्पादन में कमी हुई है ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जुलाई-सितम्बर, १९६० में अमोनियम सल्फेट, यूरिया और डबल साल्ट का उत्पादन क्रमश: ७१,०२७, २,२६५ और ७,५७४ मीटरिक टन हुआ जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ७३,७३०, १,१०६ और ९,६४५ मीटरिक टन हुआ था ।

अमोनियम सल्फेट	२,९५,००० मीटरिक टन
यूरिया .	९,२०० मीटरिक टन
डबल साल्ट . .	३४,७०० मीटरिक टन

हिन्दी में छपाई का काम

*७०९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से हिन्दी की छपाई का कितना काम निकलेगा क्या इसका कोई अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है;

(ख) क्या उस अनुमान के आधार पर सरकारी मुद्रणालयों को हिन्दी में छपाई का काम करने के लिये पर्याप्त मशीनों से सुसज्जित करने की कोई योजना बनाई गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) जी, हां। मोटे तौर पर अन्दाज़ा कर लिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह प्रस्ताव है कि हिन्दी में छपाई का काम करने की योजना के एक अंग के रूप में नई दिल्ली में एक नया मद्रणालय स्थापित किया जाये और फार्मों की छपाई का काम करने वाले भारत सरकार के मद्रणालयों में और अधिक उपकरण लगाये जायें ।

चाय के निर्यात का लक्ष्य

†*७१०. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० के लिए चाय के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है ; और

(ख) लन्दन मार्केट में चाय की बिक्री में कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) कुछ समय पहले तैयार किये गये प्राक्कलनों के अनुसार वर्ष १९६०–६१ में ४,८०० लाख पौंड के निर्यात होने की आशा थी ।

(ख) ब्रिटेन, आयरलैण्ड और स्कैन्डीनेवियाई देशों में भारतीय चाय की बिक्री बढ़ाने के लिये लन्दन में एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । चाय निर्यात की प्रगति को देखने के लिये चाय बोर्ड में एक निर्यात संवर्द्धन समिति नियक्त कर दी गयी है । इस समिति को ब्रिटेन के लिये एक विशेष पदाली द्वारा सहायता दी जाती है ।

बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघे

†*७११. **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री याज्ञिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघों के मालिक बुनकरों से कहा है कि वे प्रत्येक करघे के नियमितकरण शुल्क के रूप में ५०० रु० अदा करें;

(ख) प्रत्येक राज्य में बिजली से चलने वाले इस प्रकार के अनधिकृत करघों की संख्या कितनी है और उनके एक करघे के और चार से अधिक करघों के एकक कितने हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को विद्युत्-करघों के मालिकों के संघ की ओर से उनकी शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें राज्य-वार अनधिकृत विद्युत्-करघों की संख्या बतायी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]** । अकेले विद्युत् करघों और ४ से अधिक करघों के एककों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अभ्यावेदन में उठायी गयी बातें सरकार के विचाराधीन हैं।

पूंछ क्षेत्र में भारतीय गश्ती दस्ते पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना

†*७१२. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री आचार :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में पूंछ क्षेत्र के मनधार नामक स्थान पर भारतीय सीमान्त पुलिस और पाकिस्तानी नागरिकों तथा सैनिकों के बीच गोली चली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जब भारतीय सीमान्त पुलिस के सिपाही गश्त कर रहे थे तो पहले पाकिस्तानियों ने गोली चलानी शूरू की; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ सप्ताहों में पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से लोगों के आने में वृद्धि हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). मनधार क्षेत्र से ऐसी कोई घटना की खबर नहीं आयी है । तथापि, १८ नवम्बर, १९६० को उरी से ११ मील दक्षिण-पूर्व में पाकिस्तानी/पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के सैनिकों और हमारी गश्ती पुलिस में गोली चली थी । हमारी ओर से कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ । युद्ध-विराम रेखा के अतिक्रमण के बारे में शिकायत भेज दी गयी है ।

(ग) क्योंकि महीने महीने आंकड़ों में घटती-बढ़ती होती रहती है, नवम्बर में हुई मामूली वृद्धि को कोई महत्व नहीं दिया गया है ।

नई दिल्ली में खुले कुंए

†*७१३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पानी के स्तर के ऊपर चढ़ने की समस्या का सामना करने के लिए इन इलाकों में अभी हाल ही में बहुत से कुएं खोदे गये थे;

(ख) क्या तालकटोरा रोड, नार्थ एवेन्य आदि स्थानों पर ये कुएं खुले ही रखे गये हैं;

(ग) क्या राह चलते लोगों का इनमें गिर जाने का खतरा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या लोगों को इस खतरे से बचाने के लिए सरकार कोई प्रबन्ध करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां, लगभग १०० ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । नल (ट्यब) चार इंच व्यास के हैं जमीन के स्तर के पास लगभग ६ इंच बाहर निकले हुए हैं और ऊपर से अच्छी तरह बन्द हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ब्रिटेन को नारियल का निर्यात

†*७१४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाकलेट बनाने वाली एक ब्रिटिश फर्म ने भारत से नारियल के आयात की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में नारियल जटा उद्योग

†*७१५. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए कुल कितनी धन-राशि निर्धारित की थी;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक इस राशि का केवल अत्यल्प भाग ही खर्च किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए राज्यवार कोई रकम नियत नहीं की थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में केरल सरकार को ७,०३,४२१ रुपये का अनुदान और ३०,३९,२९४ रुपये का ऋण मंजूर किया गया था । १९६०–६१ के लिए ३ लाख रुपये का अनुदान और १७ लाख रुपये का ऋण नियत किया गया है । १९६०–६१ के लिए मंजूरी राज्य सरकार के वास्तविक खर्च के आधार पर दी जायेगी ।

(ख) जी नहीं । योजना के पहले चार वर्षों में केरल सरकार ने कुल ५४,८७,२११ रुपये खर्च किये हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार का और राज्य सरकार का हिस्सा शामिल है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में चीनी गुप्तचर

†*७१६. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री बा० च० कामले :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जमयांग ग्यांत्से और एक अन्य नाम के दो चीनी गुप्तचरों में से, जिनके बारे में यह बताया जाता है कि वे उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के कामेंग सीमान्त जिले की नामखा चू घाटी में जासूसी कर रहे थे, एक व्यक्ति को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). इस संबंध में चीन सरकार के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ है वह सभा पटल पर रखे गये श्वेत पत्र ४ में दिया हुआ है । उसके बाद और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

दूसरी योजना और प्रसारण

†*७१७. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना में प्रसारण के लिए निर्धारित सारी रकम व्यय हो गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस रकम को व्यय करने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी नहीं । अनुमान है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में प्रसारण के लिए नियत की गयी ८ करोड़ रुपये की रकम में से १८० लाख रुपये खर्च नहीं हुए ।

(ख) और (ग). इसके मुख्य कारण यह हैं। कुछ बड़ी परियोजनाओं के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेने की कठिनाई और जमीन तथा इमारतें प्राप्त करने में विलम्ब निर्धारित लक्ष्य योजना काल में ही यथासंभव पूरे कर लेने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । गत वर्ष जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार (टेलीकम्यूनिकेशन) संघ के संकल्प से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, संपूर्ण देश में कई मीडियम वेव ट्रांसमीटर बनाने की योजना मान ली गयी है और आशा है कि उस बचत का काफी बड़ा हिस्सा इस परियोजना में काम आ जायगा ।

रूई की कीमतें

†*७१८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काटन मिल्स फेडरेशन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उद्योग के लिये अपेक्षित मात्रा में भारतीय रूई खरीदने में उसकी सहायता करे ताकि रूई के मूल्य अधिकतम

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा से आगे न बढ़ सकें और पिछली दरों पर भारतीय रूई की खरीद के जोर को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं । व्यक्तिगत रूप से कुछ मिलों ने उन्हें आवश्यक भारतीय रूई का स्टाक प्राप्त करने के लिए वस्त्र आयुक्त से सहायता की प्रार्थना की है ।

(ख) वस्त्र आयुक्त ने मिलों की मांगों के मुताबिक रूई ले ली है ।

हिन्द–चीन

†**१२५३. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६० से अक्तूबर, १९६० की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण तथा नियंत्रण आयोग ने अनियमितता की कितनी शिकायतों की ओर (१) वियत नाम अधिकारियों का और (२) वियत मिन्ह अधिकारियों का ध्यान दिलाया ; और

(ख) उनमें से कितनी शिकायतों के मामलों में संतोषजनक ढंग से कार्यवाही की गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) उपरोक्त अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण तथा नियंत्रण आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है । अपेक्षित जानकारी उसके प्रकाशन के बाद ही उपलब्ध होगी ।

पंजाब राज्य में असैनिक निर्माण-कार्य

†**१२५४. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५९-६० के लिए पंजाब राज्य में सामान्य संग्रह में असैनिक निर्माण कार्यों के लिए कुल कितनी रकम नियत की है ; और

(ख) उस अवधि में पंजाब में असैनिक निर्माण कार्यों पर वास्तव में कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) कोई रकम नियत नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिजली के केबल और वायर (ए सी एस आर) कन्डक्टर

†**१२५५. श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में बिजली के कितने केबल और वायर्स (ए सी एस आर) कन्डक्टर्स का उत्पादन हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना में योजना का लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लिए कितनी रकम नियत की गयी थी और पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए लक्ष्य क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लिए कितनी रकम नियत की गयी थी और अब तक कितनी रकम वास्तव में खर्च की जा चुकी है; और

(घ) ये लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के, यदि कोई हो तो, क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) डेवलपमेंन्ट विंग की सूची में रखी गयी फर्मों ने १९५०-५१ में १७०० टन ए सी एस आर और ए० ए० सी० कन्डक्टर्स का उत्पादन किया ।

(ख) और (ग). पहली पंचवर्षीय योजना के लिए अर्थात् वर्ष १९५५-५६ के लिए ५००० टन ए सी एस आर और ए० सी० सी० कन्डक्टरों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था और उस वर्ष में ८,७३० टन का उत्पादन हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अर्थात् वर्ष १९६०-६१ के लिए लक्ष्य २०,०००टन रखा गया है और उस वर्ष में २२,००० टन उत्पादन का अनुमान है । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में इस उद्योग के लिए नियत की गयी रकम और वास्तव में खर्च की गयी रकम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) में बतायी गयी स्थिति को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिजली के पंखे

†१२५६. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में बिजली के पंखों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना में योजना का लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लिये कितनी रकम नियत की गयी थी और पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये लक्ष्य क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लिये कितनी रकम नियत की गयी थी और अब तक कितनी रकम वास्तव में खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) ये लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के, यदि कोई हो तो, क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) डेवलपमेन्ट विंग की सूची में रखी गयी फर्मों ने १९५०-५१ में बिजली के १,९४,१०६ पंखों का उत्पादन किया ।

(ख) और (ग). पहली पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित उत्पादन-लक्ष्य ३,२०,००० से ३,५०,००० संख्या तक का था और १९५५-५६ में वास्तविक उत्पादन २,८७,३३६ संख्या का हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ९,००,००० संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष १९६०-६१ में १,०००,००० संख्या के उत्पादन का अनुमान है, इसके अलावा छोटे पैमाने के क्षेत्र में भी काफी उत्पादन हुआ है जिसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधियों

†मूल अंग्रेजी में

में इस उद्योग के लिए नियत की गयी रकम और वास्तव में खर्च की गयी रकम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) में बतायी गयी स्थिति को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिजली के बल्ब

†१२५७. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में बिजली के बल्ब का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना में योजना का लक्ष्य क्या था ; उसी अवधि में कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लिये कितनी रकम नियत की गयी थी और पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये लक्ष्य क्या था, दूसरीपंचवर्षीय योजना में अब तक कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लिये कितनी रकम नियत की गयी थी और अब तक कितनी रकम वास्तव में खर्च की जा चुकी है; और

(घ) ये लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के, यदि कोई हों तो, क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) डेवलपमेंट विंग की सूची में रखी गयी फर्मों ने १९५०–५१ में बिजली के कुल १४५ लाख बल्ब का उत्पादन किया ।

(ख) और (ग). पहली पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित उत्पादन-लक्ष्य ३ करोड़ संख्या का था और डेवलपमेंट विंग की सूची में दर्ज फर्मों ने १९५५–५६ में वास्तव में २४२·३ लाख संख्या का उत्पादन किया । दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ५ करोड़ संख्या का उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अनुमान है कि इस वर्ष में ४ करोड़ का उत्पादन होगा । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधियों के लिए नियत की गयी रकम और वास्तव में खर्च की गयी रकम के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) संयंत्र और मशीनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण, १९६१ में कुछ विस्तार योजनाएं जिनके लिए मंजूरी दी जा चुकी है संभवत: कार्यान्वित की जायेंगी और इस लिए ५ करोड़ का उत्पादन लक्ष्य संभवत: १९६०–६१ में पूरा पूरा प्राप्त न हो सकेगा ।

ड्राइ बैटरी

†१२५८. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में ड्राइ बैटरी का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना में योजना का लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लिये कितनी रकम नियत की गयी थी और पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि के लिये लक्ष्य क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लये कितनी रकम नियत की गयी थी और अब तक कितनी रकम वास्तव में खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) ये लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के, यदि कोई हो तो, क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). १९५०–५१ में १३६५ लाख सेल्स और १९५५–५६ में १६१५ लाख सेल्स । १९६०–६१ के लिए २७५० लाख सेल्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और अनुमान है कि इस वर्ष लगभग २२०० लाख सेल्स का उत्पादन होगा । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के लिए इस उद्योग के लिए नियत की गयी और वास्तव में खर्च की गयी रकमों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने में कमी का कारण यह है कि फ्लैश लाइट केसेज के आयात पर रोक लगा देने से वे बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं । दूसरा कारण यह था कि ड्राइ सेल्स तैयार करने वाला एक बड़ा कारखाना बंद हो गया । फ्लैश लाइट केसेज का उत्पादन अभी हाल ही में शुरू किया गया है और इनका उत्पादन बढ़ने के साथ साथ फ्लैश लाइट सेल्स का उत्पादन भी बढ़ने की संभावना है ।

स्टोरेज बैटरी

†**१२५९. श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में स्टोरेज बैटरी का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना में योजना का लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लिये कितनी रकम नियत की गयी थी और पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये लक्ष्य क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक कितना उत्पादन हुआ तथा उसके लिये कितनी रकम नियत की गयी थी और अब तक कितनी रकम वास्तव में खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) ये लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के, यदि कोई हो तो, क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) डेवलपमेंट विंग की सूची में रखी गयी फर्मों ने १९५०–५१ में १,९४,००० स्टोरेज बैटरी का उत्पादन किया ।

(ख) और (ग). पहली पंचवर्षीय योजना में स्टोरेज बैटरी के लिए लगभग ४ लाख संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और १९५५–५६ में लगभग २,५८,००० संख्या का उत्पादन हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६ लाख संख्या का लक्ष्य था और अनुमान है कि १९६०-६१ में ४,५०,००० संख्या का उत्पादन होगा । इसके अलावा छोटे पैमाने के क्षेत्रों में भी काफी उत्पादन हुआ है । उस क्षेत्र में उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधियों में इस उद्योग के लिए नियत की गयी और वास्तव में खर्च की गयी रकमों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) छोटे पैमाने के क्षेत्र में उत्पादन की गणना कर लेने के बाद अनुमान है कि उत्पादन देश के लिए निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक बढ़ जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

†१२६०. **श्री पांगरकर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पिछले छ : महीनों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों के क्या आंकड़े हैं ; **और**

(ख) उसी अवधि में कितने बेरोजगार ग्रैजुएट, इंटरमीडियेट और मैट्रिक पंजी कृत हुए ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :**

(क)

महीना	महीने में पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या
१९६०	
अप्रैल	२०,८५२
मई	२२,४३०
जून	२७,२६५
जुलाई	२५,५५१
अगस्त . . .	२२,०२३
सितम्बर	२७,१४६

(ख)

श्रेणी	*पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या	
	अप्रैल–जून १९६०	जुलाई-सितम्बर १९६०
ग्रैजुएट	१,६५८	२,२२९
इंटरमीडियेट . . .	१,०८४	१,०६३
मैट्रिक	१७,३५५	१९,१५७
कुल शिक्षित . . .	२०,०९७	२२,४४९

*यह जानकारी केवल प्रत्येक तिमाही के लिये इकट्ठी की जाती है ।

दिल्ली में बेरोजगार व्यक्ति

†१२६१. **श्री बी० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली में १९६० की तीसरी तिमाही में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) उसी अवधि में कितने बेरोजमार ग्रैजुएट, इंटरमीडियेट और मैट्रिक पंजीकृत हुए ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :

(क)	महीना	महीने में पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या
१९६० :		
	जुलाई . . .	१२,१५८
	अगस्त . .	९,०६९
	सितम्बर	६,९२३

(ख)	श्रेणी	जुलाई-सितम्बर, १९६०* की तिमाही में शिक्षित व्यक्तियों के संबंध में पंजीकृत की संख्या
	ग्रैजुएट .	२,०४०
	इंटरमीडियेट . .	१,२२५
	मैट्रिक	९,०९०

*यह जानकारी केवल प्रत्येक तिमाही के लिए इकट्ठी की जाती है ।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का आगमन

†१२६२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९६० से कितने हिन्दू पूर्व पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अक्टूबर के अन्त तक २३०० ।

आकाशवाणी द्वारा पंजाबी पुस्तकों की समीक्षा

†१२६४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में आकाशवाणी ने कितनी पंजाबी पुस्तकों की समीक्षा की ; और

(ख) इनमें से कितनी पुस्तकों के लेखक भारतीय थे और कितनी पुस्तकों के लेखक पाकिस्तानी थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) ३८ ।

(ख) जितनी भी पुस्तकों की समीक्षा की गयी उन सभी के लेखक भारतीय थे ।

भ्रष्टाचार

†१२६५. **श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या प्रधान मंत्री** २२ फरवरी, १९६० को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद विवाद में मेरे प्रश्न के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में भ्रष्टाचार के जो एक या दो मामले मिले हैं क्या उनके संबंध में सरकार ने छानबीन की है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हां। मामलों की जांच की गयी है लेकिन जो आरोप लगाये गये हैं उनमें कोई सार नहीं है।

बर्मा में भारतीय

१२६६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत विश्व युद्ध में कितने भारतीयों को बर्मा में हानि उठानी पड़ी थी ;

(ख) उन्हें कुल कितनी कीमत की हानि उठानी पड़ी थी ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों ने भारत सरकार के कहने पर अपने दावे बर्मा सरकार को प्रस्तुत किये ; और

(घ) वर्मा सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) आंकड़े सुलभ नहीं हैं।

(ख) १९४१ में जो क़ीमतें चालू थीं, उनके अनुसार अनुमानत: १५ करोड़ पौंड स्टर्लिंग की कुल हानि हुई ; इसमें से जो हानि बर्मा-स्थित भारतमूलक लोगों को उठानी पड़ी, वह अनुमानत: लगभग ७ करोड़ ३० लाख पौंड स्टर्लिंग की थी।

(ग) उनकी संख्या मालूम नहीं है।

(घ) जहां तक भारत सरकार की जानकारी है, बर्मा सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

१२६७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज के एक कारखाने की स्थापना के निर्णय के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अखबारी कागज़ के कारखाने के लिए वनों के कच्चे माल की उपलब्धि के प्रश्न की राज्य सरकार अभी जांच कर रही है। यदि कच्चे माल के साधन पर्याप्त पाये गये तो जिस किस्म का कच्चा माल मिलेगा उसी के अनुसार अखबारी कागज़ अथवा साधारण कागज़ का कारखाना ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने पर विचार किया जायेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूचित किया है कि योजना कमीशन ने राज्य के लिए जो अधिकतम सीमा निर्धारित की है वह विभिन्न कार्यक्रमों की योजनाओं द्वारा पूरी हो चुकी है, इसलिये राज्य के सरकारी क्षेत्र में इस कारखाने के खोले जाने की सम्भावना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में घरेलू कर्मचारियों का कल्याण

१२६८. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५८ और २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थापित घरेलू नौकर कल्याण केन्द्र ने इस बीच क्या प्रगति की है;

(ख) परामर्शदात्री समिति ने इस बीच क्या कार्यवाही की है; और

(ग) परामर्शदात्री समिति और कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति से घरेलू नौकरों को कहां तक लाभ हुआ है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) घरेलू कर्मचारियों के लिये जो खास काम दिलाऊ दफ़्तर खोला गया है वह काम कर रहा है ।

(ख) सलाहकार समिति की बैठकें समय-समय पर बुलाई जाती हैं । कल्याण और ट्रेनिंग की सुविधाओं की जरूरत पर विचार करने के अलावा इस समिति ने सिफारिश की है कि :—

दिल्ली सामाजिक कल्याण बोर्ड और दिल्ली कांग्रेस रचनात्मक समिति को नियोजकों और खास काम दिलाऊ दफ्तर के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाना चाहिए और उनमें इस दफ्तर की उपयोगिता के बारे में विश्वास पैदा करना चाहिए ।

(ग) अभी इस बारे में कोई अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता ।

श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति

१२६९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८ और २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३० के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन समाचारपत्रों के मालिकों के विरुद्ध श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न करने की शिकायतें मिली हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). समिति की सिफ़ारिशों को अमल में लाने की ज़िम्मेवारी राज्य सरकारों की है । इस वक्त जो सूचना प्राप्त है वह निम्नलिखित है :—

आंध्र प्रदेश .	वेतन निश्चित करने के बारे में एक शिकायत मिली थी । सम्बन्धित प्रबंधकों से मुनासिब कार्रवाई हो रही है ।
बिहार .	पांच अखबारी संस्थाओं में समिति की रिपोर्ट के अमल में न लाये जाने की कुछ शिकायतें मिलीं । इनके बारे में जांच हो रही है ।
मद्रास	एक अखबार के प्रबंधकों ने सिफ़ारिशों पर अमल नहीं किया है । कर्मचारियों को यह सलाह दी गई है कि उनकी जो रक़म नहीं मिली है, उसके बारे में सरकार को दरखास्त दे दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पोलीटिकल अफसर, सिक्किम

१२७०. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** १२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम स्थित पोलीटिकल अफसर (राजनैतिक पदाधिकारी) के कार्यालय में कथित अनियमितताओं के बारे में जो जांच की गई थी उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस मामले पर अभी हमारे सिक्किम स्थित राजनीतिक अधिकारी के साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

†**१२७१. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के (जो अब श्री एच० डी० मूंदड़ा चला रहे हैं) कुछ हिस्से खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य के; और

(ग) ये हिस्से किन परिस्थितियों में खरीदे गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). सरकार ने इन हिस्सों को ले लेना इसलिये जरूरी समझा कि ६५ लाख हिस्सों की कुल साम्य पूंजी में से ७,५२,५०१ हिस्से जीवन बीमा निगम के पास पहले ही थे । इस कम्पनी में पहले ही सरकार का काफी हिस्सा था। चूंकि चार बैंकों में से दो ने अपने हिस्से बेचना मंजूर कर लिया था, सरकार ने वे खरीद लिये और वे राष्ट्रपति के नाम हस्तांतरित किये गये और कम्पनी के खातों में पंजीकृत किये गये ।

मेसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी

†**१२७२. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन संस्था मेसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी को सरकार अपने अधिकार में सम्भवत: ले लेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई निर्णय लिया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो मंत्री)** : (क) सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रोटोटाइप चमड़ा प्रशिक्षण संस्था

†**१२७३. श्री अ० मू० तारिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** २ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यूगोस्लाव सरकार के सहकार्य से प्रोटोटाइप चमड़ा प्रशिक्षण संस्था और फलों को डिब्बों में बन्द करने का संयंत्र (फ्रूट कैनिंग प्लान्ट) स्थापित करने के विषय में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यूगोस्लाव सरकार से और आगे चर्चा के लिए अस्थायी योजनाएं तैयार की गयी हैं ।

जम्मू और कश्मीर में कागज की मिलें

†१२७४. श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में कागज की मिलों के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ की रिपोर्ट इस बीच सरकार को मिल चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उस विशेषज्ञ की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किये हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

औद्योगिक लाइसेंस

†१२७५. श्री श्रीनारायण दास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नये उद्योगों को या वर्तमान उद्योगों को उन विस्तार के लिए जिन्होंने अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निर्यात के लिए रख छोड़ने का वचन दिया है, औद्योगिक लाइसेंस देने में प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). जो योजनाएं अन्यथा ठोस हों और जिनमें निर्यात करने की निश्चित क्षमता हो उन्हें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस देने के विषय में प्राथमिकता दी जाती है ।

उड़ीसा खनन निगम

†१२७६. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा खनन निगम के लिए वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० के लिए नियत किया गया लौह-अयस्क का कोटा पूरा-पूरा दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो कितना दिया जा चुका है;

(ग) क्या निगम को वर्ष १९६०-६१ के लिए कोई कोटा अब तक दिया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). वर्ष १९५८ और १९५९ में राज्य व्यापार निगम ने उड़ीसा खनन निगम द्वारा ३१-१२-६० तक कुल ७०,००० टन लौह-अयस्क दिये

†मूल अंग्रेजी में

जाने के लिए आर्डर दिया था। इसमें से ६४,६४९ टन लौह-अयस्क वह निगम राज्य व्यापार निगम को दे चुका है। ३० जून, १९६२ तक ५०,००० टन लौह-अयस्क पहुंचाने के लिए एक और ठेका निगम को दिया जा चुका है।

उड़ीसा में विस्थापितों के लिये बस्ती

†१२७७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिये उड़ीसा राज्य में किओनझर ज़िले के आनन्दपुर नगर में कोई बस्ती बनाई गई थी;

(ख) क्या वहां विस्थापितों को बसाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन बसाये गये विस्थापितों की संख्या क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क), (ख) तथा (ग). १९५१ में आनन्दपुर में ५ परिवारों को बसाया गया था।

वनस्पति तेल तथा तिलहनों का निर्यात

†१२७८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति तेल, तिलहन तथा खली का निर्यात करने के लिये बनाये जाने वाले केन्द्रीय संगठन को बनाने की प्रगति की स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : हमारे देश में वनस्पति तेल का अधिक मूल्य होने एवं निर्यात में कमी हो जाने के कारण इस व्यवसाय के उद्योगपतियों को यह सुझाव दिया गया था कि वे अपनी एक संस्था बना लें जो निर्यात करने के बारे में अच्छी स्थिति का पता लगा सकते हैं और इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना निर्यात किया जा सकता है, तथा इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि निर्यात को बढ़ाने के लिये किस ढंग से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। चूंकि यह व्यवसाय इस प्रकार के निर्यात संगठन बनाने के विपक्ष में है अतः इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

कलकत्ता ट्रामवे हड़ताल के बारे में जांच प्रतिवेदन

†१२७९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या श्रम और रोज़गार मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता ट्रामवे हड़ताल सम्बन्धी त्रिदलीय जांच समिति के निष्कर्षों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन निष्कर्षों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति ने १४ अक्तूबर, १९६० को अपनी चौथी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया है लेकिन कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हतिया (रांची) में विशेषज्ञों का होस्टल

†१२८०. श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हतिया का २०० कमरों वाला विशेषज्ञ होस्टल निश्चित अवधि में बनकर तैयार हो जायेगा; और

(ख) क्या यह सच है कि उचित आवास की कमी के कारण रांची के भारी उद्योग में काम करने के लिये विशेषज्ञ नहीं आ रहे हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची ने विदेशी संगठनों अर्थात् प्रोमाश एक्सपोर्ट, मास्को और टेक्नोएक्सपर्ट, प्रेग के साथ जो विभिन्न करार हुए हैं उनके अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर ही विदेशी विशेषज्ञ भारत आयेंगे।

कोयला खनन मशीन

†१२८१. श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन मशीन परियोजना के साइडिंग के लिये अनुमानित आय का अनुमान लगा लिया गया है; और

(ख) क्या दुर्गापुर औद्योगिक बोर्ड साइडिंग के इस व्यय को करने के लिए तैयार हो गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). दुर्गापुर औद्योगिक बोर्ड एक रेलवे साइडिंग बना रहा है जो बहुत से उद्योगों के काम आयेगा उनमें से कोयला खनन मशीनरी परियोजना भी एक उद्योग है। इस पर कुल १६ लाख रुपये लगने का अनुमान है जो दुर्गापुर औद्योगिक बोर्ड व्यय करेगा। इस रेलवे साइडिंग का उपयोग करने वाले उद्योग इसके लिये वार्षिक आवर्त्तक व्यय देंगे जिसमें लागत मूल्य का अवक्षयण और ब्याज भी सम्मिलित होगा।

मैसूर में अलमूनियम गलाने का कारखाना

†१२८२. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में अलमूनियम गलाने का कारखाने (स्मेलटर) की स्थापना करने के बारे में मैसर्स मौंटे काटनिस (Messrs Montecatinis) इटली से प्रविधिक और वित्तीय सहयोग लेने सम्बन्धी बातचीत अन्तिम रूप से तै हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शर्तें और निर्देश क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). इस योजना के प्रवर्त्तकों ने मैसर्स मोंटे काटनिस, इटली, से सहयोग लेने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिस पर विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रबन्ध अभिकर्ता

†१२८३. श्री साधन गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री हेम बरूआ :
श्री दामानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ के लागू होने से पूर्व कितने प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने जो एक साथ १० समवायों से अधिक का प्रबन्ध कर रहे थे, १० से अधिक समवायों का प्रबन्ध करना छोड़ दिया है ;

(ख) इस प्रकार के कितने समवाय अपने निजी बोर्डों द्वारा प्रबन्ध किये जा रहे हैं और कितने समवायों को दूसरे प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हस्तान्तरित कर दिया गया है ;

(ग) ऐसे समवाय कितने हैं जिनको ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हस्तांनतरित किया गया है जो इन उपर्युक्त समवायों के पहले प्रबन्ध अभिकर्ताओं के दल के ही हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने समवायों को हस्तांतरित किया गया है और उन प्रबन्ध अभिकर्ताओंकी संख्या कितनी है जिन को कि ये हस्तांनतरित किये गये हैं ; और

(ङ) इस प्रकार के हस्तांनतरण को रद्द करने एवं उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ता समवायों की जो १० या १० से अधिक समवायों का प्रबन्ध कर रहे थे संख्या ३१-३-१९५६ को १६ थी। वे कुल मिला कर ३२४ समवायों का प्रबन्ध कर रहे थे । इन १६ प्रबन्ध अभिकर्ता समवायों में से केवल ६ समवाय १६-८-१९६० तक १० समवायों का प्रबन्ध करते रहे और शेष १० से कम समवायों का प्रबन्ध करते रहे । उस तारीख को ३२४ प्रबन्धित समवायों में से १३० समवाय तो उन्हीं प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अधीन बने रहे, १०९ समवायों ने उन्हीं प्रबन्ध अभिकर्ताओं को सचिव तथा खजांची के रूप में अपने यहां नियुक्त कर लिया ; ७ समवायों ने दूसरे निकायों को सचिव एवं खजांची के रूप में अपने यहां नियुक्त किया, ५४ समवाय प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने निदेशक मंडलों के प्रबन्ध में आ गये, १५ समवाय बन्द हो गये अथवा कारबार बन्द कर दिया, २ समवाय जो रेलवे समवाय थे, रेलवे बोर्ड ने अपने प्रबन्ध में ले लिये और शेष ७ समवाय दूसरे प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अधीन चले गये ।

इन सात समवायों में से ४ समवाय तो १ प्रबन्ध अभिकर्ता समवाय से २ प्रबन्ध अभिकर्ता समवायों को हस्तांनतरित कर दिये गये (प्रत्येक प्रबन्ध अभिकर्ता समवाय ने २ समवाय ले लिये) और ये तीनों प्रबन्ध अभिकर्ता समवाय एक ही दल के थे ।

भाग ङ में पूछे गये प्रश्न के बारे में यह कहा जा सकता है कि धारा ३३२ के वर्तमान उपबंधों के अनुसार इस बात की अनुमति नहीं थी कि इन कुछ समवायों को दूसरे प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हस्तांनतरित करने के विरुद्ध, भले ही वे उस के क्यों न हों, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि के अनुसार उन्हें एक प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं समझा जा सकता। समवाय (संशोधन) विधेयक १९५९ के खंड १२० में प्रस्तावित संशोधन इस बात पर प्रतिबन्ध लगायेगा कि एक ही दल के प्रबन्ध अभिकर्ता कुल मिलाकर १० से अधिक समवायों का प्रबन्ध नहीं कर सकते।

विदेश में रहने वाले भारतीयों को सुविधाएं

†१२८४. **श्री साधन गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संस्था के सचिव के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जो स्टेट्समैन के दैनिक संस्करण दिनांक ३ सितम्बर, १९६० में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में रहने वाले बहुत से भारतीयों को जो बाहर से पूंजी लेकर आये थे वापस जाना पड़ा क्योंकि उन्हें उचित सुविधायें नहीं दी गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). स्पष्ट उदाहरण न होने के कारण इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी। सामान्य रूप से ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होतीं।

'सोल्विंग दी प्रोबलम' नामक फिल्म

†१२८५. **श्री सुबिमल घोष :** क्य सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीज़न ने बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों के लाभार्थ 'सोल्विंग दी प्रोबलम" नामक फिल्म प्रदर्शित की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों पर इसे दिखाया जा रहा है ; और

(ग) जिन लोगों के लिये यह फिल्म बनाई गई उन को इसे दिखाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी हां।

(ख) यह फिल्म भारत के सभी सिनेमाओं में दिखाई जा रही है।

(ग) सिनेमाओं में दिखाने के अतिरिक्त यह फिल्म केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की चलती फिरती गाड़ियों के द्वारा गांवों तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में काफी मात्रा में दिखाई जा रही है।

श्रीलंका में भारतीय

१२८६. **श्री पद्म देव :**
श्री डामर :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५९ को श्रीलंका में भारतीय उद्भव के ऐसे कितने लोग थे जिन्हें श्रीलंका की नागरिकता के अधिकार नहीं दिये गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) भारतीय राष्ट्र-जनों को श्रीलंका की नागरिकता अपनाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) श्रीलंका की नागरिकता के लिये श्रीलंका के जिन भारतमूलक लोगों की अर्ज़ियां रद्द की गई हैं, उन की संख्या ३१ दिसम्बर १९५९ तक २,००,०६० है ।

(ख) श्रीलंका की नागरिकता के लिये अर्ज़ियां भारतीय और पाकिस्तानी निवासी (नागरिकता) अधिनियम (इंडियन ऐण्ड पाकिस्तानी रेज़ीडेंट्स (सिटिज़नशिप) ऐक्ट के अन्तर्गत दी जाती हैं । श्रीलंका के सभी भारतमूलक लोग श्रीलंका की नागरिकता के लिये अर्ज़ियां दे सकते हैं और ऐसा करने वाले लोगों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाती । श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करना श्रीलंका की सरकार के हाथों में है ।

केरल का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†१२८७. **श्री वारियर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य का प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई प्रतिवेदन अभी तक मिला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) तथा (ख). मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिये प्रबन्ध किया है, और वह सर्वेक्षण अभी तक हो रहा है ।

सिनेमा की कच्ची फिल्में

†१२८८. **श्री प्र० के० देव**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष में सिनेमा की कच्ची फिल्मों का आयात करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन संस्थाओं को यह अनुमति दी गई है, कितने फुट के आयात की अनुमति दी गई है और इस पर कितना विदेशी विनिमय व्यय होगा ;

(ग) क्या इन फिल्मों को उपभोक्ताओं को बेचने के लिये कोई मूल्य निश्चित किया गया है ; और

(घ) इस आयातित फिल्म में से कितने फुट फिल्म सफेद, कितने फुट काली और कितने फुट रंगीन होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) वांछित जानकारी देने वाले तीन विवरण संलग्न हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]

(ग) निम्नलिखित शर्त के आधार पर आयात अनुज्ञप्ति दी गई है :—

"कि सभी प्रकार की आयातित कच्ची फिल्में १–१–१९५८ को प्रचलित विक्रय मूल्य से अधिक दामों पर नही बेची जायेंगी । साथ ही ३५ एम० एम० सफेद तथा काली फिल्मों पर लिये जाने वाला लाभ १०००फुट के प्रति रोल पर, उस के भारत में आने पर जो मूल्य पड़ा है, उस से १० रुपये से अधिक नहीं लिया जायेगा ।"

†मूल अंग्रेजी में

(घ) आयात की जाने वाली फिल्मों में से कितनी फुट काली फिल्म होगी, कितनी सफेद तथा कितनी रंगीन, इस के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है ।

इंजन तथा डिब्बे

†१२८९. **श्री कालिका सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे के लिये कौन सी फर्में इंजन तथा डिब्बे बना रही हैं ;

(ख) रेलवे वैगनों का निर्माण इस समय कौन से रेलवे कारखानों में होता है ;

(ग) वैगनों के निर्माण में फर्मों तथा रेलवे कारखानों की क्षमता क्या है ;

(घ) क्या वैगनों का निर्माण अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम है ; यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या रेलवे कारखानों तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में एक दूसरे को इस्पात और वैगनों के संभरण के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) (१) मैसर्स मैकेन्ज़ी लिमिटेड, बम्बई
(२) मैसर्स जीसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
(३) मैसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता
(४) मैसर्स इंडिया स्टैड वैगन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
(५) मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (आई) लिमिटेड, कलकत्ता
(६) मैसर्स आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी, मुजफ्फरपुर
(७) मैसर्स के० टी० स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बम्बई
(८) मैसर्स टैक्सटाइल मैशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, बेलगुडिया, कलकत्ता
(९) मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा
(१०) मैसर्स सेंट्रल इंडिया मैशीनरी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड, भरतपुर
(११) मैसर्स सदर्न स्ट्रक्चरल लिमिटेड, मद्रास
(१२) मैसर्स रेमन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता
(१३) मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली

(ख) कोई नहीं ।

(ग) चार पहियों के २३,४८८ ।

(घ) जी हां, कमी के कारण ये हैं :—

(क) समय पर एकसा इस्पात नहीं मिला ।

(ख) नये डिजाइन के बेगन में परिवर्तन के कारण क्योंकि आधे रूप का परीक्षण करने के बाद नये डिज़ायन को बनाने और उसको अन्तिम रूप देने में तथा नये डिज़ायन के औजार बनाने में समय लगता है ।

(ङ) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मोटरगाड़ियां

†१२६०. **श्री कालिका सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर गाड़ियों का निर्माण करने वाली तथा जोड़ने वाली (असेम्बलिंग करने) वाली अलग अलग कौन कौन सी फर्में हैं तथा कहां पर स्थित हैं ; उनकी अनुमानित क्षमता क्या है और उत्पादन क्या है ;

(ख) १६५१ की तुलना में आज मोटरगाड़ी उद्योग में कुल कितना विनियोजन है ; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स और प्रीमियर आटोमोबाइल्स ने १६५१ में निर्धारित अनुसूची के अनुसार प्रगति की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) इस समय कोई भी फर्म केवल मोटर गाड़ी जोड़ने (असेबलिंग) का काम नहीं कर रही है। सभी स्वीकृत निर्माताओं के लिये निर्माण के क्रमवार कार्यक्रम बनाये गये हैं जो निम्नलिखित हैं :—

निर्माता का नाम और उसका स्थान	लाइसेंस अथवा निर्धारित वार्षिक क्षमता संख्या		उत्पादन (जनवरी-अक्तूबर, १६६०) संख्या
१. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल	कार,	१०,०००	७,४१६
	ट्रक और बसें	६,०००	५,५८१
२. मैसर्स प्रीमियर (आटोमोबाइल्स) लिमिटेड, बम्बई	कार,	७,२००	५,४०७
	ट्रक और बसें	७,०००	५,२७१
३. मैसर्स स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास	कार	३,०००	२,६६४
४. मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर	ट्रक और बसें	१२,०००	७,८४०
५. मैसर्स अशोक-लेलैंड लिमिटेड, बम्बई	ट्रक और बसें	६,०००	१,६०३
६. मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा-लिमिटेड, बम्बई	जीप गाड़ियां	५,५००	५,६६६
७. मैसर्स बजाज आटो (पी) लिमिटेड, बम्बई	३ पहियों वाली हल्की वाणिज्यिक गाड़ियां	१,०००	७३३

(ख) मोटर उद्योग में इस समय कुल पूंजी (प्रदत्त) लगभग ३० करोड़ रुपया विनियोजित है। १६५१ के विनियोजन की सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु १६५३ में चार मुख्य निर्माताओं का विनियोजन लगभग ८ करोड़ रुपये है।

(ग) मोटर गाड़ी उद्योग पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६५३) मिल जाने पर मोटर-गाड़ी निर्माताओं के निर्माण कार्यक्रम स्वीकार किये थे। मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स और मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल दोनों ने तब से बहुत प्रगति कर ली है। ब्यौरेवार जानकारी के लिये १६६० में प्रकाशित मोटरगाड़ी उद्योग सम्बन्धी तदर्थ समिति का प्रतिवेदन जिसमें उद्योग द्वारा की गई प्रगति का अन्तिम ब्यौरा है, देखा जाये।

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर-पूर्व भारत में चाय का निर्यात

†१२६१. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २८ अगस्त, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से उत्तर-पूर्व भारत से चाय का निर्यात बढ़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सितम्बर, १६६० तक निर्यात में १६५६ की इसी अवधि की तुलना में, लगभग ४६१·२ लाख पौंड की कमी हुई है ।

फिल्मों का निर्यात

†१२६२. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारतीय फिल्मों के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १६५७–५८, १६५८–५६ और १६५६–६० में किन देशों को तथा कितनी फिल्मों का निर्यात किया गया और इन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जनवरी-अगस्त, १६६० में, १६५६ की इसी अवधि की तुलना में फिल्मों का निर्यात बढ़ा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १६५७, १६५८, १६५६ और जनवरी-अगस्त, १६६० में विभिन्न देशों को निर्यात की गई फिल्मों की फुटों में लम्बाई दिखाने वाला और उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]**

ब्रिटेन में भारतीय

†१२६३. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में कुछ भारतीय राष्ट्रजन बेकार हैं, कुछ इंडिया हाउस में नियुक्त हैं तथा कुछ बड़ी दयनीय स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). सरकार की जानकारी के अनुसार ब्रिटेन में भारतीय और अन्य विदेशी, कोई भी बेकार नहीं हैं । इसलिये दयनीय स्थिति की कोई बात ही नहीं है । कुछ भारतीय राष्ट्रजन भारतीय उच्चायोग में नियुक्त हैं और क्योंकि उनकी नियुक्ति स्थानीय रूप से की गई है इसलिये ब्रिटिश असैनिक सेवाओं में दिये जाने वाले वेतन उनको दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्युमिनियम

†१२६४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अल्युमिनियम धातु की उत्पादन लागत घटाने के प्रयत्नों में कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) क्या अधिक उत्पादन-क्षमता वाले 'स्मैल्टरों' (धातु गलाने के संयंत्र) ने किसी प्रकार इस लागत को घटाने में सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). यदि निम्नलिखित बातें पूरी हो जायें तो अल्युमिनियम की उत्पादन लागत कम हो सकती है :

(१) संयंत्र मिला जुला हो अर्थात् बौक्साइट से अल्युमिना बनाने और अल्युमिना का शोधन करके अल्युमिनियम बनाने का कार्य एक ही जगह किया जाये ।

(२) संयंत्र न्यूनतम लाभप्रद आकार का, अर्थात्, २०,००० टन वार्षिक उत्पादन वाला हो ; और

(३) बिजली भी सस्ती दरों पर मिलती हो ।

देश के कारखानों में इस समय पहली दोनों बातें तो हैं । जिन कारखानों में तीनों बातें होंगी ऐसे कारखाने तीसरी योजना में चालू हो जायेंगे ।

जापानी हस्तशिल्प विशेषज्ञ का प्रतिवेदन

†१२६५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ अगस्त, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी हस्तशिल्प विशेषज्ञ की सिफारिशें लागू हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह**): (क) और (ख). विवरण संबद्ध है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८]

नया नंगल नगर (टाउनशिप)

†१२६६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड से सम्बद्ध नया नंगल नगर (टाउनशिप) के निर्माण पर अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(ख) क्या इस पर और कुछ व्यय करने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) अक्तूबर, १६६० तक २५६·०२ लाख रुपये ।

(ख) २० लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाइजीरिया

†१२९७. { श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया के स्वतंत्रता समारोहों में कोई भारतीय शिष्टमंडल गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल में कौन कौन थे तथा इसका नेतृत्व किसने किया था ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) शिष्टमंडल का नेतृत्व विधि मंत्री श्री अ० कु० सेन ने किया था तथा उसके सदस्य श्री पी० एन० हक्सर, नाइजीरिया के लिये मनोनीत भारतीय उच्चायुक्त तथा श्री रामेश्वर राव संसद् सदस्य थे ।

लाख

†१२९८. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से लाख का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितना निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) क्या निर्यात राजकीय व्यापार निगम द्वारा किया गया था या गैर-सरकारी अभिकरण के द्वारा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) १९५७, १९५८ और १९५९ में निर्यात किये गये लाख की मात्रा और मूल्य नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	मात्रा हंडरवेट	मूल्य रुपये
१९५७	५३८,२१६	७,०९,०१,३९२
१९५८	५११,६२७	५,८९,०८,४१४
१९५९	५३४,२०२	६,१०,१७,७८९

(ग) राजकीय व्यापार निगम तथा गैर सरकारी निर्यातकों के द्वारा ।

भविष्य निधि

†१२९९. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के सभी ठेका वाले मजदूरों को बीच में लाने के लिये भविष्य निधि नियमों में "निर्माण करने के काम" की परिभाषा में संशोधन करने के मार्ग में खड़ी होने वाली कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पटना हाई कोर्ट में दी गई लेखा अभियाचना का निपटारा हो चुका है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना १६५२ में आवश्यक संशोधन पहले ही किया जा चुका है ।

(ख) जी, नहीं ।

काजू के छिलके का तेल

†१३००. श्री कोडियान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में काजू के छिलके का कितना तेल निकाला जाता है ;

(ख) इसमें से कितना तेल प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने इस तेल से राल तैयार करने की संभावना का विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या तीसरी योजना में इस तेल को परिशोधन करने की फैक्ट्री लगाने की कोई सम्भावना है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ३००० टन प्रति वर्ष ।

(ख) प्रायः सारा तेल निर्यात कर दिया जाता है। १६५८, १६५६ और १६६० (जनवरी-अगस्त) में कुल निर्यात इस प्रकार थी :–

वर्ष	मात्रा हंडरवेट	मूल्य रुपये
१६५८ .	७१,०००	२६,४५,०००
१६५६ . .	१,००,०००	४०,०४,०००
१६६० (जनवरी–अगस्त) .	७४,०००	३२,०००

(ग) काजू के छिलके के तेल से राल गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाई जाती है ।

(घ) उद्योग का निकाय गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा । यदि कोई संयंत्र लगाने के लिये तैयार होता है तो सरकार उस की योजना को प्रोत्साहन देगी ।

भारत में बर्मी पेंशनर

†१३०१. श्री वोडयार :
श्री सैं० अ० मेहदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने उन पेंशनरों पर प्रतिबन्ध लगाये हैं, जो बर्मा सरकार से पेंशन लेते हैं और भारतीय नागरिकों के रूप में भारत में रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख): माननीय सदस्य किन प्रतिबन्धों का उल्लेख कर र हैं यह स्पष्ट नहीं है। भारत में रहने वाले बर्मी सरकार के पेंशनरों के बारे में बर्मा सरकार के आय कर के बारे में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उन्हें १९४० से जो छट मिल रही थी, वह १ अक्तूबर, १९५४ से बर्मा सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा, जो १९५७ में और बाद में अदायगी के साथ संबद्ध भारतीय कोषों में आई, हटा ली गयी थी। इसलिये बर्मा आयकर की भूतलक्षी कटौती का प्रश्न उत्पन्न हुआ। तथपि बर्मा सरकार ने समझौते द्वारा इस मामले को अस्थायी रूप से हल कर दिया है, कि चालू पेंशनों की अदायगी की जाये और अनुसूचित दरों पर आयकर का हिसाब लगाया जाये तथा अवशष आयकर का प्रश्न दोनों सरकारों के बीच तय होने के लिये छोड़ दिया गया।

मैंगनीज़ विषाकृता[1]

†१३०२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के पंचमहल जिला में शिवराजपुर मैंगनीज़ खानों से मैंगनीज़ विषाकृता के किसी मामले की सूचना मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी के प्रबन्धकों को कोई उपचारिक उपाय का सुझाव दिया गया है ?

†**श्रम तथा रोज़गार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तिब्बत के लामा विस्थापितों को अमरीकी छात्रवृत्तियां

†१३०३. **श्री प्र० के० देव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में अध्ययन करने के लिये तिब्बत के कुछ लामा विस्थापितों को, जो अब दार्जलिंग में हैं, अमरीकी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ;

(ख) वे अमरीका में क्या अध्ययन करेंगे;

(ग) इन लामाओं को चुनने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस विषय में भारत सरकार की सहमति प्राप्त की गई थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ग). राकफैलर फाउंडेशन ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तिब्बती शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये एक अनुदान की व्यवस्था की है और उस यूनिवर्सिटी ने तिब्बती भाषा का भाषा सम्बन्धी अन्वेषण करने तथा तिब्बती धार्मिक एवं सामाजिक विषयों का अनुसंधान करने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया था। इस काम के लिये यूनीवर्सिटी को योग्य तिब्बती लामाओं की सेवाओं की ज़रूरत थी और उस यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भारत आया था जिसने तीन तिब्बती विस्थापित लामाओं को चुना था जो दार्जिलिंग और कालिंपोंग में रहते थे। उनके पारिवारिक जीवन में भंग न पड़े इसलिये यूनिवर्सिटी ने उनके परिवारों को भी, अर्थात् कुल दस व्यक्तियों को निमंत्रित करने का फैसला किया। शुरू में, वे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तीन वर्षों के लिये रहेंगे। उनका यूनिवर्सिटी के तिब्बती भाषा के छात्रों और अध्यापकों के साथ सीधा सम्बन्ध रहेगा और उनसे तिब्बती धार्मिक सिद्धांतों, जीवन प्रणाली, विचार आदि के बारे में सही और विस्तृत जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Manganese Poisoning.

तिब्बत में भारतीय

†१३०४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तिब्बत में कितने भारतीय राष्ट्र जन हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सरकार को जो सूचनायें मिली है उनके अनुसार लगभग २०० भारतीय राष्ट्रजन अभी तिब्बत में रहते हैं।

बाढ़ों से सरकारी इमारतों को क्षति

†१३०५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष (१९६०) में १९५९ की तुलना में बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार की इमारतों और अन्य सम्पत्तियों को कितनी और किस प्रकार की क्षति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) सी० पी० डब्ल्यू० डी० भारत सरकार की जिन इमारतों की देख भाल करता है उनको पहुंची क्षति का ब्योरा इस प्रकार है :—

सम्पत्ति	क्षति
१९५९. नीफा में इमारतें और दूसरी सम्पत्ति . . .	लगभग ८०,००० रुपये
दक्षिण हाल डिवीज़न बनिहाल में कर्मचारियों को जारी किया गया सामान . . .	६४ रुपये
१९६०. नीफा में इमारतें और दूसरी सम्पत्ति . .	लगभग ३०,००० रुपये
लखनऊ में २४० बोरी सीमेंट की खराबी और इमारतों को छोटी क्षति।	
सूरतगढ़ में १६५ बोरी सीमेंट की खराबी, लखनऊ में केन्द्रीय डेरी अनुसंधान संस्था के क्वार्टर और आयकर दफ्तर बिल्डिंग का कम्पाउंड बाढ़ के पानी से भर गया था ।	

(ख) बाढ़ के पानी की ऊंचाई तक दीवारों पर पुनः पलास्टर करने, द्वारों पर पुनः रंग करने तथा अन्य आवश्यक मरम्मतों का विचार है। इन कामों के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

कालीन उद्योग का सर्वेक्षण

†१३०६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १२ अगस्त १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कालीन उद्योग का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का क्या ब्योरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जी, नहीं।

आमों का निर्यात

†१३०७. **श्री मोरारका** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में आमों के निर्यात द्वारा भारत सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा कमाई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या आमों की उपज और निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई विशेष प्रयत्न किये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में आमों के निर्यात से क्रमशः १० लाख और ११.५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है।

(ख) इसके लिये कोई विशेष उपाय नहीं किया गया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†१३०८. **श्री तंगामणि** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ऐसे कर्मचारियों की प्रत्येक स्थान के अनुसार संख्या कितनी थी जिनकी सेवायें, जुलाई १९६० की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हड़ताल के सम्बन्ध में समाप्त की गई थीं ;

(ख) उनमें से कितने वापिस काम पर ले लिये गये हैं;

(ग) प्रत्येक स्टेशन के अनुसार कितने कर्मचारी इसी सिलसिले में मुअत्तिल किये गये थे ; और

(घ) उनमें से अभी तक मुअत्तिल लोगों की संख्या कितनी है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) दिल्ली—३

(ख) २ ।

(ग) दिल्ली—३

बम्बई—२

भुवनेश्वर—४

कलकत्ता—१५

डमडम—११

चकूलिया—१७

(घ) कोई नहीं ।

सरकारी क्षेत्र

†१३०९. **कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं के चोटी के प्रबन्धकों का पुनर्गठन करने के किसी प्रस्ताव या योजना का विचार करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). इन प्रश्नों पर सतत पुनर्विचार किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माडर्न सतग्राम कोलियरी

†१३१०. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल में माडर्न सतग्राम कोलियरी में कुछ कर्मचारियों ने अवैध रूप से धन उधार दिया है ;

(ख) क्या इस में कर्मचारियों का कोई संघ अन्तर्ग्रस्त है ;

(ग) क्या अवैध ऋण लेने और देने की बात मालूम होने पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है, जिसके कारण कर्मचारियों के दो वर्गों में भारी झगड़े हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऋण देने वालों और उन के साथियों द्वारा ऐसी अवैध जबरदस्ती वसूली को कारगर रूप से रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). माडर्न सतग्राम कोयला खान के कुछ चपरासी भारी ब्याज दर पर मजदूरों को ऋण देते रहते थे। यह सूचना मिली है कि जब प्रबन्धकों ने उन पर दोषारोपण किया तो उन्होंने अपने हितों को बचाने के लिये स्थानीय ए० आई० टी० यू० सी० के नेताओं की सहायता से एक संघ संगठित करने का प्रयत्न किया। ४-१०-१६६० को एक ऋण दाता एवं संघ के आयोजक ने एक मजदूर को निर्दयता से पीटा तथा जब उसने अपनी पत्नि की बीमारी के कारण ब्याज की वसूली को बाद में देने के लिये कहा, तो उसका वेतन छीन लिया गया। मजदूरों ने इस घटना पर रोष प्रकट किया और प्रबंधकों तथा कुछ ऋणदाताओं तथा उनके सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई की। एक ऋणदाता चपरासी को मारने पीटने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। तब से ए० आई० टी० यू० सी०, संघ के नेता तथा उनके समर्थक हिंसा तथा गड़बड़ी के काम कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप शान्तिभंग हो गई है और काम रुक गया है।

(ग) तथा (घ). प्रबन्धकों ने दो चपरासियों को नौकरी से निकाल दिया है जो ऋण देने का काम किया करते थे। बंगाल ऋणदाता अधिनियम, १६४० के अन्तर्गत अवैध रूप से ऋण देना अपराध है।

युद्ध-विराम सीमा का अतिक्रमण

†१३११. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १६५६ से जून १६६० तक काश्मीर में युद्धविराम सीमा का पाकिस्तानियों ने कितनी बार अतिक्रमण किया है ;

(ख) कितने व्यक्ति मारे गये और घायल किये गये ; और

(घ) इस मामले में क्या निरोधक कार्रवाई की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ५७ बार।

(ख) ५ व्यक्ति मारे गये और १६ घायल हुए।

(ग) युद्ध-विराम सीमा की रक्षा के लिये प्रत्येक व्यवहारिक कार्रवाई की गई थी। यह इस बात से स्पष्ट है कि हमारे सैनिकों के साथ मुकाबले में पाकिस्तानी अतिक्रमणकारियों के २८ व्यक्ति मारे गये, ११ घायल हुए और २४१ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

रामपुर में छोटे पैमाने के उद्योग

†१३१२. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प स्तर उद्योग सेवा संस्था ने रामपुर में उद्योगों को कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो १ सितम्बर १९५९ से ३० नवम्बर १९६० तक रामपुर में जिन-जिन फर्मों को सहायता दी गई है उस का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७९]**

औद्योगिक प्लास्टिक

†१३१३. **श्री कुन्हन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्लास्टिकों के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने के लिये नारियल जटा तथा नारियल के छिलके को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाने की सरकार की कोई योजना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

नेफा का नया प्रधान कार्यालय

†१३१४. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुबांसरी सबडिवीजन में याचोली में नेफा का नया प्रधान कार्यालय बनाने के प्लान तैयार किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इसके कब पूर्ण होने की संभावना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)**: (क) से (ग). नेफा के आन्तरिक भाग में आयुक्त के दफ्तर के लिये कई स्थान संभव स्थान के रूप में चुने गये हैं। सुबांसरी सीमांत डिवीज़न में याचोली और ज़िरो को अस्थायी तौर पर चुना गया है किन्तु यह मामला अभी विशेषज्ञों के विस्तृत विचाराधीन है जो परियोजना की अनुमानित लागत का भी हिसाब लगायेंगे। इस स्थिति पर इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि इस परियोजना के कब पूर्ण हो जाने की संभावना है।

कलकत्ता में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†१३१५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५५-५६ से १९५९-६० तक के वर्षों के लिये कलकत्ता में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये कोई राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो राशि कितनी है और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना मई १९५६ में जारी की गई थी। ३८० लाख रुपये में से, जिस सीमा तक पश्चिम बंगाल में दूसरी योजना अवधि के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों की सफाई की परियोजनायें मंजूर की जा सकती हैं, ११८४ मकानों के निर्माण के लिये ७१.०४ लाख रुपये की अनुमदित लागत की दो परियोजनायें अक्तूबर १९५७ में कलकत्ता के लिये मंजूर की गई थीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि तब से उन्होंने अगस्त १९६० में, कलकत्ता में ६८८ मकानों के निर्माण के लिये ४९.४० लाख रुपये की अनुमानित लागत की तीन और परियोजनायें मंजूर की हैं तथा कुछ और परियोजनायें विचाराधीन हैं। ३० सितम्बर १९६० तक राज्य सरकार से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के अनुसार ६६० मकान पूर्ण हो चुके थे और दूसरे १७२ मकान मंजूर परियोजनाओं में से बनाये जा रहे हैं।

सीमेंट का विक्रय

†१३१६. श्री अरविन्द घोशाल: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट मान्यता प्राप्त व्यापारियों के द्वारा बेचा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें सीमेंट नियमित रूप से दिया जाता है ; और

(ग) क्या यह नियंत्रित मूल्य पर बेचा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। मान्यता प्राप्त व्यापारी राजकीय व्यापार निगम के विक्रेता अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्त किये गये सीमेंट के स्टाकधारी होते हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा बताई गई क्षेत्रवार सीमेंट की आवश्यकताओं के आकार पर अपने स्टाक वालों को नियमित रूप से सीमेंट देना विक्रेता अभिकर्ताओं का काम होता है।

(ग) जी, हां। सीमेंट नियंत्रण आदेश, १९५८ के अन्तर्गत, राजकीय व्यापार निगम को छोड़ कर व्यापारियों द्वारा राज्य में जिस भाव पर सीमेंट बेचा जा सकता है, वह भाव राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। निगम द्वारा बेचे जाने का भाव सीमेंट नियंत्रण आदेश द्वारा निश्चित किया गया है।

मीटर बनाने की फैक्टरी

†१३१७. श्री अरविन्द घोशाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में स्थापित की गई मीटर बनाने की फैक्टरी ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति मास कितने मीटर बनाये जाते हैं और आयात किये गये मीटरों की तुलना में उनका मूल्य कैसा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात स्टेशनों के रेडियो कार्यक्रम

†१३१८. **श्री क० अ० परमार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अहमदाबाद और राजकोट के आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रमों का स्तर बहुत गिर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्तर को ऊंचा रखने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार करती है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) प्रत्येक दूसरे केन्द्र की तरह आकाशवाणी के अहमदाबाद और राजकोट स्टेशनों पर भी कभी कभी या तो कार्यक्रमों के बारे में या कभी कभी व्यक्तियों के बारे में इक्का दुक्का शिकायतें आती हैं। प्रश्नकर्त्ता मा० सदस्य द्वारा की गई शिकायत को छोड़ कर कोई दूसरी बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) शिकायतों की हमेशा जांच की जाती है । इस मामले में शिकायतों पर पूरी तरह विचार किया गया था । जहां तक कार्यक्रमों का संबंध है, यह पाया गया कि दोनों केन्द्रों के कार्यक्रमों के स्तर में कोई गिरावट नहीं है ।

वाराणसी में रेडियो स्टेशन

†१३१९. **श्री कालिका सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाराणसी में प्रस्ताविक रेडियो स्टेशन की अनुमानित प्रतिष्ठापित क्षमता कितने किलोवाट-घंटे हैं ;

(ख) यदि स्थापित किया गया, तो क्या वाराणसी का रेडियो ट्रांसमिटर सेट शोंट वेव का होगा या मीडियम वेव होगा ; और

(ग) वाराणसी रेडियो ट्रांसमिटर की अनुमानित लागत क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). अतिरिक्त मीडियम वेव ट्रांसमिटर स्थापित करने की योजना में वाराणसी में मिडियम वेव रिले ट्रांसमिटर लगाने का विचार किया गया है । इस केन्द्र में स्टुडियो लगाने का इरादा नहीं । सही विद्युत आवश्यकता और अन्य बातों का इस समय अन्तिम रुप में निर्णय किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही उनके बारे में फैसला कर दिया जायेगा ।

(ग) अनुमानतः १० लाख रूपये ।

निर्यात संवर्धन निदेशालय

†१३२०. **श्री राम गरीब** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात संवर्धन निदेशालय में बहुत से पद हैं जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पदों पर भरती कैसे की जाती है,;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ऐसे पदों का समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा या अन्यथा परिचारी पत्रों द्वारा विस्तृत प्रचार किया जाता है ताकि उपयुक्त व्यक्ति मिल सकें ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में इस निदेशालय में कितने पदों पर भरती की गयी थी और कैसे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) अधिकांश पद इस समय विभिन्न सेवाओं के उपयुक्त अफसरों को डेपुटेशन पर बुला कर भरे गये हैं । कुछ श्रेणी २ नान गजेटिड और श्रेणी ३ के पद सीधी भरती द्वारा उपयुक्त व्यक्ति चुन कर भरे गये हैं ।

(ग) तथा (घ). चूंकि अधिकांश पदों की भरती विभागीय तबादले के द्वारा की जाती है, अभी तक वे पद समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं किये गये हैं । यह अस्थायी उपाय तब तक के लिये अपनाया गया है जब तक कि विभिन्न पदों की भरती का तरीका परामर्श के साथ, जहां आवश्यकता हो, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के साथ तय नहीं कर लिया जाता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रम-अधिकारी

†१३२१. **श्री तंगामणि : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कितने श्रम-अधिकारी हैं ;

(ख) उनका क्षेत्राधिकार और कृत्य क्या हैं ;

(ग) क्या रजिस्टर्ड कार्मिक संघों द्वारा कर्मचारियों के कष्टों की ओर उनका ध्यान दिलाये जाने पर, वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं और उनसे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) नौ ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रम-अधिकारियों के अधिकार-क्षेत्र का ब्यौरा देने वाला एक विवरण **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]** संलग्न है । श्रम-अधिकारी कार्य-प्रभारित संस्थानों में विभागीय रूप से नियुक्त किये गये श्रमिकों तथा ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों के कल्याण-अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं । वे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरे किये जा रहे कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों और विभाग के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के वास्ते सम्पर्क-अधिकारियों के रूप में भी काम करते हैं । श्रम मंत्रालय के श्रम-अधिकारी (केन्द्रीय पूल) के भर्ती और सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियमों में उनके कर्त्तव्यों का सविस्तार उल्लेख किया गया है ।

(ग) और (घ). जी, हां । वे सभी कर्मचारियों की शिकायतों को सुनते हैं, चाहे उनकी तरफ उनका ध्यान किसी एक कर्मचारी की ओर से दिलाया जाये अथवा किसी रजिस्टर्ड कार्मिक संघ द्वारा । किन्तु वे किसी ऐसे कार्मिक संघ से, जिसे मान्यता प्राप्त न हो, कार्य-प्रभारित संस्थान के किसी मामले के बारे में पत्र-व्यवहार नहीं कर सकते । ठेकेदारों पर नियुक्त श्रमिकों के बारे में, रजिस्टर्ड कार्मिक संघों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे श्रम-अधिकारियों द्वारा 'केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के मजदूरों सम्बन्धी विनियमों' के अन्तर्गत की जा रही जांच अथवा पूछताछ में अपना पक्ष पेश कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक कार्य-प्रभारित कर्मचारियों का सम्बन्ध है, श्रम-अधिकारी केवल श्रम-कल्याण अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। विभाग सामान्यतः अमान्यताप्राप्त कार्मिक संघों के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करता। इसलिए श्रम अधिकारियों को, जो विभागीय अधिकारी भी होते हैं, अमान्यताप्राप्त कार्मिक संघों से पत्र-व्यवहार करने का प्राधिकार नहीं होता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†१३२२. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के लिए चतुर्थ श्रेणी के कुल क्वार्टर कितने हैं ;

(ख) विभिन्न प्रभागों में उनका वितरण किस प्रकार किया गया है ;

(ग) क्या इन क्वार्टरों को अलाट करने के कोई नियम हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) रहने के क्वार्टरों की संख्या लगभग २३१२ है।

(ख) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१]**

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम का नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तांतरण

†१३२३. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ इमारतों और सड़कों की देख रेख करने का कार्य नई दिल्ली नगरपालिका को दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कार्य कौन कौन से हैं और इस हस्तान्तरण से प्रत्येक वर्ग की नौकरियों के कितने कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस प्रकार प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सड़कों और इमारतों की देखरेख का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं किया जाता है। इस प्रकार की कोई सड़क अथवा काम नई दिल्ली नगरपालिका को नहीं सौंपा गया। किन्तु १९५८ से पहले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली नगरपालिका की कुछ सड़कों और इमारतों की देखरेख का काम कर रहा था। इन कार्यों को 'डिपाज़िट' कार्य कहा जाता था। १९५८ में नई दिल्ली नगरपालिका ने इस सड़कों और सेवाओं सम्बन्धी कार्य को स्वयं करना प्रारम्भ कर दिया। नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तान्तरित किये गये कर्मचारियों की संख्या और श्रेणी का ब्यौरा संलग्न विवरण **[देखिये परिशिष्ठ २, अनुबन्ध संख्या ८२]** में दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) जिन कर्मचारियों को नई दिल्ली नगरपालिका में भेजा गया था, उनके सामने यह विकल्प रखा गया था कि वे एक वर्ष के पश्चात् वापस आ सकते हैं अथवा नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा पेश की गयी शर्तों पर वहीं रह सकते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वापिस आने पर, उन्हें उस मंडल में पुनः रखने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, जिसमें वे जाने से पहले काम कर रहे थे बशर्ते कि उस मंडल के कार्य-प्रभारित संस्थान में उनके कनिष्ठ कर्मचारी उस समय अपने स्थान पर हों।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से औद्योगिक कार्यों का नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तांतरण

†१३२४. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ औद्योगिक कार्यों की देखरेख का कार्य नई दिल्ली नगरपालिका को सौंपने का निश्चय किया गया है?

(ख) यदि हां, तो वे कार्य कौन से हैं और इस हस्तान्तरण से प्रत्येक वर्ग के कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे; और

(ग) यह हस्तान्तरण कब होगा?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से विद्युत-कार्यों का दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरण

†१३२५. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री १६ मार्च, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३८ के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किन विद्युत-कार्यों को दिल्ली नगर निगम को सौंपा जा रहा है और इस हस्तान्तरण से प्रत्येक वर्ग के कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे; और

(ख) इन प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की सेवा की स्थितियों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३] संलग्न हैं।

(ख) स्थायी कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नगर निगम में जाने का अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में रहने का विकल्प दिया गया है। जो लोग केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में रहने का विचार प्रकट करेंगे उन्हें यथासम्भव विभाग में रखने का प्रयत्न किया जायेगा।

अस्थायी कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नौकरी से मुअत्तिल करने का नोटिस दिया जा रहा है और इसके साथ उन्हें सूचित किया जा रहा है कि यदि वे चाहें तो दिल्ली नगर निगम में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली नगर निगम में नौकरी करना स्वीकार करने वाले लोगों पर निगम द्वारा स्वीकृत सेवा-शर्तें लागू होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेलों के सामान का निर्यात

†१३२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलों के सामान को आयात करने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना का पुनरीक्षण करने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमान है कि पुनरीक्षित की घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी ।

चाय क्षेत्रों में पुनारोपण

†१३२७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पुराने चाय क्षेत्रों को बदलने और वहां पर पुनारोपण करने के लिए १५ करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था करने के वास्ते केन्द्रीय चाय बोर्ड के संकल्प के बारे में कोई फैसला किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पुराने चाय क्षेत्रों को बदलने और पुनारोपण करने के लिए ऋण-सहायता के बारे में चाय बोर्ड की योजना और इस सम्बन्ध में अन्य प्रस्थापनाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

चाय-यंत्रों की किराया-खरीद योजना

†१३२८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड को चाय-यंत्रों की किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत चाय उद्योग से कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) इन आवेदनपत्रों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई २ करोड़ रु० की सारी रकम इस्तेमाल की जा चुकी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३१-८-६० तक बोर्ड को १३१ आवेदन पत्र मिले थे । इस अन्तिम तिथि के पश्चात् २० आवेदन पत्र और प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अभी तक ६० आवेदन-पत्रों की जांच की जा चुकी है । इनमें से ११ को मंजूर किया गया है । ३६ के मामले में और जानकारी और दस्तावेज मांगे गये हैं । १३ मामलों में "मौका देखने" (spot inspection) की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) और (घ). अभी तक कुछ भी खर्च नहीं हुआ क्योंकि सम्भरणकर्त्ताओं से अभी कोई मशीन प्राप्त नहीं हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

†१३३०. { **श्री बि० दास गुप्त :**
श्री अरावन्द घोषाल :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व पाकिस्तान से आये राजनैतिक पीड़ितों के सहायता के लिए १८७ आवेदनपत्र अस्वीकार कर देने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या आर्थिक अनुदान के अलावा और कोई सहायता, जैसे आवास के लिये या सहायता विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों द्वारा चलायी जाने वाली औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को सहायता, सेवाओं में नियुक्ति, उनके बच्चों आदि को शिक्षा सम्बन्धी और भरणपोषण सम्बन्धी सहायता, दी गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ये आवेदनपत्र अस्वीकार करने का मुख्य कारण यह था कि आवेदकों को सरकार से पहले ही सहायता मिल चुकी थी और उन पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं थी ।

(ख) पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता उन लोगों को जो उसके पात्र थे, दी गयी है :

(१) उनकी छोड़ी हुई जमीन के बदले में जमीन खरीदने के लिए ऋण

(२) मकान बनाने के लिये ऋण

(३) व्यापार के लिये ऋण

(४) भरणपोषण अनुदान

(५) बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता ।

स्थगन प्रस्ताव

भिलाई इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की प्रस्तावित छटनी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे निम्नलिखित विषय के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है :

"६ दिसम्बर, १९६० से भिलाई इस्पात कारखाने के लगभग १६,००० कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी "

क्या माननीय मंत्री स्थिति बतायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य निर्माण कार्य में लगे हुए मज़दूरों का ज़िक्र कर रहे हैं । यह तो निश्चित ही है कि निर्माण कार्य समाप्त हो जाने पर वे फालतू हो जायें । इसलिये उन की छंटनी होनी तो आवश्यक ही हो जाती

---

†मूल अंग्रेज़ी में

है। जो मजदूर निर्माण कार्य के लिये नियुक्त किये जाते हैं वह स्वयं जानते हैं कि निर्माण कार्य की समाप्ति पर उन की सेवायें समाप्त हो जायेंगी। परन्तु फिर भी उन को जो भी छंटनी की सुविधायें दी जा सकती हैं उन्हें दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है उन के नाम अन्य संगठनों को भेजे जाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिस से उन को वहां पर नियुक्त किया जा सके। निर्माण कार्य के मजदूर केवल निर्माण कार्य के लिये नियुक्त होते हैं। काम समाप्त हो जाने पर हम उन को दूसरे राज्यों में भी नहीं भेज सकते क्योंकि अधिकांशत: जहां परियोजना आरंभ होती है वहीं के मजदूरों को नियुक्त किया जाता है। हजारों मजदूरों को एक परियोजना से दूसरी परियोजना में ले भी नहीं जाया जा सकता और नये परियोजना क्षेत्र के मजदूरों को काम से वंचित नहीं किया जा सकता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मुझे यह पता लगा है कि इन १६,००० व्यक्तियों में से लगभग ९००० व्यक्ति विभागीय मजदूर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री, ठेके के मजदूरों और विभागीय मजदूरों के, जिन को वैकल्पिक काम दिये जा रहे हैं, अलग-अलग आंकड़े बतायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं कि इन १६,००० मजदूरों में से कितने प्रवीण मजदूर हैं जिन को अन्य उद्योगों में नियुक्त किया जा सकता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : निर्माण कार्य पर लगे हुए जो मजदूर अब निकाले जा रहे हैं वह निर्माण कार्य पर ही लगे हुए थे। यह सच है कि इन में से कुछ विभागीय मजदूर थे तथा कुछ ठेके के मजदूर थे। विभागीय तौर पर कुछ काम करने के लिये एक निर्माण विभाग बनाया गया था तथा उसी में से कुछ काम ठेकेदारों को भी दिया गया था। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे विभागीय मजदूर हों या ठेके पर मजदूर, यह सभी लगे हुए थे निर्माण कार्य पर ही। यह सच है कि इन में से कुछ प्रवीण थे, कुछ अर्द्ध-प्रवीण, तथा कुछ अप्रवीण। परन्तु यह सब थे निर्माण कार्य के लिए ही। इन में से कुछ मजदूरों को स्थायी काम पर लगा दिया गया है तथा कुछ को लगा दिया जायेगा।

परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अधिकांश निर्माण मजदूर दूसरे प्रकार का काम करने को इसलिये तैयार नहीं होते हैं क्योंकि निर्माण कार्य में मजूरी अधिक मिलती है। देश में निर्माण कार्य की अधिकता के कारण वह एक परियोजना से काम छोड़ कर दूसरी परियोजना में लग जाते हैं। सामान्यत: ऐसा ही होता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : सरकार विभागीय मजदूरों का एक भवन निर्माण निगम बनाने जा रही है, तो क्या इन विभागीय लोगों को उस में नहीं रखा जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी प्रकार के सुझाव दिये जा सकते हैं। परन्तु इस के बारे में यह स्वीकार कर लिया गया है कि यह सभी १६,००० मजदूर निर्माण कार्य पर ही लगे हुए थे। निर्माण कार्य समाप्त होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जायेगा। वे लोग ईंटें लगाने आदि के काम में प्रवीण हो सकते हैं पर कारखाने को चलाने के लिये उनकी सेवायें आवश्यक नहीं। यह सरकार पर है कि उन्हें रखे या न रखे। यह सभा सरकार को यह राय नहीं दे सकती कि काम हो या न हो इन लोगों को हटाया न जाये। मैं स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिये अनुमति नहीं देता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमेंट के मूल्यों के बारे में संकल्प तथा प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २० अक्तूबर, १९६० के सरकारी संकल्प संख्या एम-८(५)/६० की एक प्रति जिस में प्रशुल्क आयोग से सीमेंट उत्पादकों को कारखाने पर दिये जाने वाले उचित मूल्य का पुनरीक्षण करने के लिये कहा गया है ।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कांच की चादरों के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(दो) दिनांक २३ नवम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या १४ (१)—टी आर/६० ।

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इस के कारण बताने वाला विवरण ।

(चार) प्लाइवुड और चाय के बक्सों के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(पांच) दिनांक ३० नवम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या २८(१)—टी आर/६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल टी—२४९६, २४९७, तथा २४९८/६०]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १४ नवम्बर, १९६० को पारित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० को राज्य सभा ने अपनी १ दिसम्बर, १९६० की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिस के साथ उन्हों ने राज्य सभा द्वारा १ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैठक में पारित किये गये निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६० की प्रति संलग्न की है ।

निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६०

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६० को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा १४ नवम्बर, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

१. भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

२. भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†श्री मूलचन्द दुबे (फर्रुखाबाद) : मैं मोटर परिवहन कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करने तथा उन के काम की दशा को विनियमित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†श्री मूलचंद्दु बे (फर्रुखाबाद) : मैं कुछ समवायों के अधिमान-प्राप्त अंशों पर लाभांश को विनियमित करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक

संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

†श्री मूलचन्द दुबे (फर्रुखाबाद) : मैं मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६० संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य

†अध्यक्ष महोदय : एक 'ध्यान दिलाने' वाला प्रस्ताव है । श्री प्र० गं० देव अनुपस्थित हैं । क्या किया जाये ?

†एक माननीय सदस्य : उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

गुरु तेग़बहादुर के बलिदान दिवस को मनाने के लिए दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने २४ नवम्बर, १९६० को गुरुद्वारा रकाबगंज में एक दीवान का आयोजन किया था । इस से पूर्व स्थानीय अकाली नेताओं ने यह घोषणा की थी कि संसद् के सामने प्रदर्शन के लिये गुरुद्वारे से संसद् भवन तक एक जलूस निकाला जायेगा । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन जारी किये गये आदेशों के अनुसार संसद् भवन के आस पास बिना अनुमति जलूस निकालने तथा प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध हैं और चूंकि जलूस निकालना इन आदेशों का उल्लंघन करना था इसलिये स्थानीय प्राधिकारियों ने आवश्यक उपाय कर रखे थे । २४ नवम्बर के प्रातःकाल से ही क्वीन मेरीज़ एवेन्यू पर गुरुद्वारे की दीवारों के निकट बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गये थे और उन्हों ने उत्तेजनात्मक और अश्लील नारे लगाने शुरू कर दिये थे । कुछ अकालियों ने गुरुद्वारा के अन्दर से लाउडस्पीकर पर प्रदर्शनकारियों को नारे लगा कर लगातार उत्तेजित किया । १.४५ बजे प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में गुरुद्वारे के दरवाजे से बाहर आये और क्वीन मेरीज़ एवेन्यु के दोनों किनारों पर जमा हो गये वह लगातार उत्तेजनात्मक नारे लगाते रहे । ड्यूटी पर खड़े पुलिस पदाधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से पटरियों से हट जाने का अनुरोध किया परन्तु इन आदेशों का पालन करने के बजाये कुछ प्रदर्शन कारियों ने पुलिस की आंखों में रेता फेंका कुछ देर बाद एक उद्घोषित अपराधी के नेतृत्व में २१ अकालियों का एक जत्था पुलिस के घेरे को तोड़ने का प्रयत्न करते हुए संसद् भवन की ओर बढ़ा । उनके पीछे-पीछे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे । जत्थे के नेता समेत २६ व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया । इस पर प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू हो गये और उन्होंने ईंट, पत्थर, कँच के टुकड़े, टूटा फरनीचर आदि पुलिस की ओर फेंकने शुरु कर दिए । यद्यपि बहुत से पुलिस कर्मचारियों के चोटें आगई थीं परन्तु फिर भी उन्होंने अपने पर काबू बनाये रखा । प्रदर्शनकारी प्रदर्शनकारियों पर लगातार चीज़ें फेंकते रहे और उत्तेजनात्मक और अश्लील व्यवहार करते रहे जब कि ड्यूटी पर तैनात मैजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों ने उनको ऐसा न करने के बारे में बार-बार चेतावनी दी । लगभग ३ . ४५ बजे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आगे बढ़े जिससे संसद भवन तक जलूस पहुंच सके । पुलिस ने इनको आगे बढ़ने से रोका और फिर पत्थर तथा ईंटों की बर्षा शुरू हो गई । ड्यूटी पर तैनात एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने प्रदर्शनकारियों को बार-बार चेतावनी दी कि वह हिंसात्मक कार्य न करें अन्यथा उनको तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया जायेगा । जब इन सभी चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ तो एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उस सभा को अवैध घोषित कर दिया और तितर बितर हो जाने को कहा । जब इसको भी नहीं सुना गया तो एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अवैध सभा को तितर बितर करने के लिए अश्रुगैस का प्रयोग किया । इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारी कुछ पीछे हट गए । परन्तु वह बड़ी संख्या में पुनः वापस लौटे और पुलिस पर उन्होंने पत्थर फेंकना पुनः शुरू कर दिया। दोबारा अश्रुगैस का तब तक प्रयोग किया गया जब तक प्रदर्शनकारी पूरी तरह वापस न हो गये और उन्होंने पत्थर फेंकने बन्द न कर दिए । इस पूरे हिंसात्मक प्रदर्शन में पुलिस ने बड़े धैर्य से काम लिया । डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस और सुपरिंटेंडेन्ट आफ पुलिस तथा एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मंजिस्ट्रेट समेत ८६ अधिकारियों के चोटें आई । कुल ६१ प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए । स्पष्ट है कि प्रदर्शनकारियों ने पहले ही योजना बना ली थी कि बल प्रयोग करेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे क्योंकि उन्होंने ईंट, पत्थर आदि बहुत संख्या में इकट्ठे कर लिये थे और

---

†मूल अंग्रेजी में

अश्रुगैस का प्रभाव कम करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी भी जमा कर लिया था। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के हिंसात्मक और गुण्डागर्दी के कार्यों की सभा भर्त्सना करेगी। प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध मामले रजिस्टर कर लिए गए हैं और जाँच की जा रही है ।

पाकिस्तान को बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रधान मंत्री ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। जब सभा बेरुबाड़ी सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर विचार कर रही थी तब आपने कहा था कि संविधान के अन्तर्गत यह सभा उस परामर्श के प्रश्न में नहीं जा सकती जो मंत्री राष्ट्रपति को दें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य प्रश्न उसी विषय से सम्बद्ध होना चाहिए जो उस समय सभा के समक्ष हो। यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह मुझे लिख सकते हैं। इस तरह से ठीक नहीं है । इस विषय पर बाद में विचार किया जायेगा ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** दो तीन दिन पहले भी बेरुबाड़ी का प्रश्न सभा के सामने उठा था और उस समय मैंने इस पर वक्तव्य देने का वचन दिया था। जिस तरीके से यह प्रश्न यहां उठा है या पचिश्चमी बंगाल की विधान-सभा के सामने उठाया गया था, वह कुछ विधि संबंधी तरीकों और मामलों के बारे में था। मैं उन्हीं मामलों को सुलझाने का प्रयास करूंगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

जब एक राज्य सरकार या विधान सभा हमारे किसी काम की वैधता को गलत बताये या उस पर सन्देह करे तो हमें उस मामले पर पूरा विचार करना होगा। इस लिये इसका उत्तर तनिक बिस्तार से ही दिया जायगा :

गुणावगुणों के अलावा बेरुबाड़ी की समस्या में अनेक विधि सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं—अर्थात् हम ने उच्चतम न्यायालय के परामर्श का कहां तक पालन किया और राष्ट्रपति द्वारा पश्चिमी बंगाल को जो निदश किया गया था वह कहां तक ठीक है। पश्चिमी बंगाल विधान-सभा और वहां की सरकार ने उस निर्देश को चुनौती दी है । उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा ।

जहां तक इसकी वैधता का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल विधान-सभा ने वहां के मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित एक संकल्प पारित किया है जिसमें यह राय प्रकट की है कि अर्जित राज्य क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत उन्हें भेजा था, अमान्य एवं असांवैधानिक है । संकल्प में इस राय के आधार भी दिये गये हैं ।

आज प्रातः मैंने उच्चतम न्यायालय के परामश की काफी प्रतियां माननीय सदस्यों को भिजवायी हैं ताकि सभी इसे अच्छी तरह से देख लें। जिन सदस्यों ने इन्हें प्राप्त नहीं किया वे अब भी ले सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बंगाल विधान सभा ने विधेयक को अमान्य तथा असांवैधानिक घोषित करने के लिए जो कारण दिये हैं उनका परीक्षण करने के लिए सब से पहले हमें उन घटनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए जिनके कारण यह कानून बनाया गया। पारस्परिक खिचाव को दूर करने तथा सीमाओं पर शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के प्रधान मंत्री सितम्बर, १९५८ में मिले और उन्होंने सीमान्त समस्याओं पर बातचीत की। परिणामस्वरूप १० सितम्बर, १९५८ को १० मदों के बारे में आपसी समझौता हुआ। कुछ अन्य झगड़े भी अन्य दो करारों के अनुसार बाद में तय किये गये। एक समझौता २३ अक्तूबर, १९५९ को हुआ और दूसरा ११ जनवरी, १९६० को। १० सितम्बर, १९५८ तथा २३ अक्तूबर, १९५९ के समझौते पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के सीमा विवादों से सम्बद्ध थे तथा ११ जनवरी, १९६० का समझौता केवल पश्चिमी पाकिस्तान सीमान्त से सम्बद्ध था। इन तीनों समझौतों के अनुसार भारत को अपने कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को देने थे और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र भारत में लेने थे और सीमा में यत्र तत्र थोड़ा समायोजन करना था।

पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध केवल पहले दो समझौतों से है। पहले समझौते में पश्चिमी बंगाल सम्बन्धी मदें यह हैं :—

(१) भारत तथा पाकिस्तान के बीच बेरुबाड़ी संघ संख्या १२ का समान विभाजन।

(२) पाकिस्तान में कूच-बिहार के सारे छोटे क्षेत्रों का तथा भारत में पाकिस्तानी क्षेत्रों का विनिमय।

(३) २४ परगना में खुलना तथा जैसोर के बीच सीमाओं का समायोजन।

दूसरे समझौते में पश्चिमी बंगाल के बारे में जो मदें हैं वे महांनंदा, बुरुंग तथा कराटोआ नदियों के आसपास पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल की सीमा के समायोजन के सम्बन्ध में हैं।

बेरुबाड़ी संघ के हस्तांतरण तथा कूच बिहार के क्षेत्रों के विनिमय के बारे में समझौते को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर कुछ संदेह उत्पन्न हुआ था। इस कारण संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन उच्चतम न्यायालय की सलाह ली गयी कि क्या इन मदों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को कोई कानून बनाना होगा, संविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत बनाया कानून ही इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त रहेगा या फिर अनुच्छेद ३६८ के अनुसार संविधान का संशोधन करना होगा।

जिस समय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विचार शुरू किया उस समय पश्चिमी बंगाल सरकार को भी अपना विचार रखने का अवसर दिया गया और वहां के महाधिवक्ता न्यायालय के सामने पेश हुए। अनेक राजनैतिक दलों ने भी इस विषय में भाग लिया और उनके प्रतिनिधि श्री एन० सी० चटर्जी थे। उच्चतम न्यायालय की राय, सुप्रीम कोर्ट जनरल, १९६० में प्रकाशित हुई है। स्पष्टीकरण के लिए न्यायालय की राय के निम्न उद्धरण दिये जाते हैं :—

(१) निस्संदेह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत, विदेशी क्षेत्रों को अर्जित करने तथा अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने का अधिकार प्रभुत्व-सम्पन्नता का अनिवार्य तत्व है।

(२) एक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य के स्वाभाविक अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत द्वारा विदेशी क्षेत्रों का अर्जन उन क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्रों का अंग बनाता है। जब

एसा क्षेत्र इस प्रकार से ग्रहीत किया जाता है और वास्तविक रूप में भारत का अंग बनाया जाता है तब इस कार्य को संविधान के अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३(क) या (ख) के अन्तर्गत वैध बनाया जा सकता है ।

(३) उस प्रक्रिया के उदाहरणार्थ, जिसे संसद, नये क्षेत्र को देश का अंग बनाने के लिए अपना सकती है, चंद्रनगर विलय अधिनियम, १९५४ का उल्लेख किया जा सकता है ।

(४) अनुच्छेद ३ का सम्बन्ध भारत गणतंत्र के राज्यों की आंतरिक सीमाओं के समायोजन से है । अनुच्छेद ३ (ग) से क्षेत्र समर्पण करने के अधिकार का निहित तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता ।

(५) बेरुबाड़ी संघ सम्बन्धी समझौते के अनुसार भारत का क्षेत्र समर्पित किया जाना है । इसी प्रकार से कूच बिहार के इलाकों के विनिमय के करार के अनुसार भी कुछ भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के हवाले किये जाने हैं ।

(६) तदनुसार संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत कार्यवाही करके संसद् कानून बना सकती है और इस तरीके से बेरुबाड़ी संघ संख्या १२ तथा कूच बिहार के कुछ इलाकों को पाकिस्तान के हवाले करने से सम्बन्धित समझौते को कार्यान्वित कर सकती है । इस क्रियान्विति से अनुच्छेद १ की विलय वस्तु स्वाभाविक रूप में बदल जायगी और उसका संशोधन करना पड़ेगा तथा संविधान की प्रथम अनुसूची में भी परिवर्तन करना होगा ।

(७) संसद्, यदि चाहे, तो संविधान के अनुच्छेद ३ में संशोधन करने का कानून पारित कर सकती है ताकि भारत द्वारा विदेशों को हवाले किये जाने वाले क्षेत्रों के मामले भी उसके अन्तर्गत आ सकें । यदि ऐसा कानून पारित कर दिया जाय तो, संसद् संशोधित अनुच्छेद (३) के अन्तर्गत कानून बना कर उस समझौते को कार्यान्वित कर सकती है । दूसरी तरफ यदि अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत आवश्यक कानून बना दिया जाय तो वह अकेला ही इस समझौते को कार्यान्वित करने में सक्षम है, रहेगा ।

मैं ने आपको संक्षेप से न्यायालय की राय की मुख्य बातें बता दी हैं । इस राय से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत वर्तमान सांविधानिक ढांचे में अपने देश के क्षेत्र हस्तान्तरित करने तथा दूसरे देश का क्षेत्र लेने के विषय में सक्षम है । क्षेत्र देने पर अमल तभी हो सकता है जब कि संविधान का अनुच्छेद १ तथा प्रथम अनुसूची अनुच्छेद ३६८ के अधीन संशोधित किये जायें और दूसरी ओर जो क्षेत्र भारत ले उन्हें अनुच्छेद २ या ३(क) अथवा (ख) के अन्तर्गत खपाया जा सकता है ।

उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव भी दिया था कि संसद् अनुच्छेद ३ में ही ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे क्षेत्र समर्पित करने के मामले उसके अन्तर्गत आ जायें और फिर साधारण कानन के अनुसार ही समझौते पर अमल किया जा सकता है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अनुच्छेद ३ को संशोधित करने के सुझाव को सरकार ने पसंद नहीं किया क्योंकि भविष्य में अपने क्षेत्र दूसरों के हवाले करना आसान हो जाता। हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों में कठिनाइयां बनी रहें अन्यथा संसद में साधारण बहुमत से ही ऐसे कानून पास हो सकते हैं। इस कारण हमारे सामने केवल यही रास्ता रह गया था कि हम अनुच्छेद ३६८ के अनुसरण में अनुच्छेद (१) तथा प्रथम अनुसूची में संशोधन करके, क्षेत्र को देने के समझौते पर अमल करें और अनुच्छेद (३) के अन्तर्गत अर्जित क्षेत्रों को खपायें।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस प्रणाली से दो विधेयक बनाने होंगे, एक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद १ तथा प्रथम अनुसूची का संशोधन करना होगा तथा दूसरे से अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत अर्जित क्षेत्रों के लिये व्यवस्था करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने दोनों के लिए अलग-अलग विधेयकों की आवश्यकता को प्रकट किया है। दोनों चीज़ों के लिए एक विधेयक नहीं बनाया जा सकता क्योंकि दोनों को पारित करने की प्रक्रिया भी भिन्न है। मैं यह इस लिए बता रहा हूं कि पश्चिमी बंगाल की विधान सभा ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि दो विधेयकों के स्थान पर एक विधेयक ही होना चाहिए था। किन्तु जो राय हमें दी गयी थी उसके अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता था और यदि हम ऐसा करते तो वह उच्चतम न्यायालय के परामर्श के प्रतिकूल होता। इस मामले में भारत के महान्यायवादी का परामर्श भी लिया गया और उन्होंने भी यही बताया कि दो विधेयकों की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद ३ से सम्बन्धित विधेयक अर्थात् अर्जित राज्य क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० को अनुच्छेद ३ के परन्तुक के अधीन राज्य विधान सभा को निर्देशित किया जाना था। तदनुसार राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को निर्दिष्ट करने के आदेश को जारी किया गया और उसे पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के पास एक पत्र के साथ प्रेषित कर दिया गया जिसमें प्रार्थना की गयी कि वह इस विषय की सूचना अपने मुख्य मंत्री को दे और विधान-सभा द्वारा इस विषय पर विचार करने का प्रबंध करायें। विधेयक की ४०० प्रतियां विधान सभा में भी भेजी गयी ताकि उन्हें सदस्यों में बांट दिया जाय। दूसरे विधेयक की भी ४०० प्रतियां वहां पर भेज दी गयीं। दोनों विधेयकों का राज्य-सरकार ने परीक्षण किया और उन पर कुछ राय प्रकट की।

अर्जित क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० के बारे में विधान-सभा ने कहा कि उन्हें इस पर इसके अतिरिक्त और कुछ राय प्रकट नहीं करनी कि अर्जित क्षेत्रों के नागरिकों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। विधेयक की सांविधानिकता या वैधता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। अब हमें उन कारणों को भी देखना चाहिए जिनके आधार पर यह संकल्प पारित किया गया कि यह विधेयक अमान्य एवं असांविधानिक है।

पहला कारण तो तथ्य का प्रश्न है और उस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं।

दूसरा कारण भी यद्यपि तथ्य पर आधारित है किन्तु इसमें समझौते को एक तथा अविभाज्य बताया गया है। किन्तु समझौते को अविभाज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अनुसार कतिपय क्षेत्रों का अर्जन होगा और कुछ का हस्तांतरण। क्षेत्रों का अर्जन और उनका हस्तांतरण दो अलग चीज़ें हैं। यह राय देकर कि समझौते को कार्यान्वित करने के लिए अर्जन तथा हस्तांतरण के विषयों पर दो कानून बनाने होंगे, उच्चतम न्यायालय ने स्वयमेव प्रकट कर दिया है कि समझौता अविभाज्य नहीं है और न्यायालय की राय के अनुसार दो विधेयकों की आवश्यकता होगी।

तीसरा कारण उच्चतम न्यायालय की राय के अनुकूल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जहां तक क्षेत्रों के अर्जन का सम्बन्ध है उस के बारे में संसद् समझौते की कार्यान्विति के लिए अनुच्छेद ३ से सम्बद्ध विधेयक बना सकती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि क्षेत्रों के दिये जाने के लिए अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही वैध न होगी।

चौथे कारण के बारे में न्यायालय ने बताया कि समझौता अमल में लाने के दो तरीके हैं; अर्थात् अनुच्छेद ३६८ के अनुसरण में अनुच्छेद १ तथा प्रथम अनुसूची में संशोधन करके क्षेत्रों के हस्तांतरण को वैध बनाया जाय और अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत कार्यवाही करके अर्जित क्षेत्रों को देश का अंग बनाया जाय। इसी के साथ ही वैकल्पिक दृष्टि से उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि सरकार चाहे तो अनुच्छेद ३ में ही संशोधन करके क्षेत्रों के हस्तांतरण का मामला उसी के अन्तर्गत ला सकती है और फिर साधारण विधेयक के द्वारा समझौते को क्रियान्वित किया जा सकता है। सरकार ने इस तरीके को न अपना कर पहले वाला तरीका अपनाया है। इस कारण यह कहना ठीक नहीं कि विधेयकों का मसविदा बनाते समय न्यायालय के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया।

जहां तक पांचवें कारण का सम्बन्ध है, यह सच है कि अर्जित क्षेत्रों को भारत का अंग बनाने के बारे में समझौते के एक भाग पर अमल करने के लिए अनुच्छेद ३ के उपबंधों का प्रयोग किया जा रहा है और वस्तुतः यह बात उच्चतम न्यायालय की राय के अनुसार है।

यह कहा गया है कि क्षेत्रों का अर्जन कुछ भी तो नहीं है क्योंकि कुछ अपने इलाके देकर उनके बदले में ही हम दूसरे क्षेत्र ले रहे हैं और इसी कारण इस प्रकार के समझौते को अलग-अलग विधियों द्वारा कार्यान्वित करना संविधान के प्रतिकूल है। परन्तु यह बात ही पूर्ण रूप से सत्य नहीं कि क्षेत्रों का अर्जन, क्षेत्रों के समर्पण के फलस्वरूप हो रहा है। क्षेत्रों का विनिमय तो कूच बिहार के क्षेत्रों के बारे में ही है। अन्य क्षेत्रों के अर्जन तथा समर्पण का निर्णय उनके अपने गुणावगुणों के आधार पर किया गया है। उच्चतम न्यायालय की यह स्पष्ट राय है कि इस विषय में दो अलग विधेयक होने चाहिएं और इन बातों का मतलब यही हुआ कि इस राय के अनुसार बने विधेयक संविधान के प्रतिकूल नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय की इस राय के सामने निर्णय की अविभाज्यता का प्रश्न महत्व हीना है।

छठा आधार यह है कि समझौते को दो विधेयकों द्वारा कार्यान्वित करने की प्रणाली आपत्तिजनक है क्योंकि इससे राज्य की विधान सभा अपने क्षेत्र के हस्तांतरण के बारे में अपनी राय नहीं दे सकती। यह परिणाम तो संविधान के उपबन्धों के अनुरूप ही है। अनुच्छेद ३६८ के अनुसार बनाये गये विधेयक को राज्य विधानसभा को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं परन्तु अनुच्छेद ३ के अधीन बने विधेयक को अवश्य निर्दिष्ट किया जाता है। समर्पित किये जाने वाले क्षेत्रों पर संविधान राज्य विधान सभा को चर्चा करने की आज्ञा नहीं देता। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि इस छोटे से परिणाम का परिहार नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा है :

> "कि विधेयक को प्रत्येक सभा में कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाना होगा। तथा वह बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो तिहाई होगा।"

अर्थात् सभा के सभी दल ऐसे उपाय से सहमत होंने चाहिएं और यही सुरक्षात्मक उपबन्ध है।

राज्य विधान सभा को सारी बात ठीक से समझाने के उद्देश्य से संविधान (नवां संशोधन) विधेयक की पर्याप्त प्रतियां भी भेज दी गयीं थीं। पता नहीं उन्हें सदस्यों को बांटा गया या नहीं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अत : अर्जित राज्य क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० का मसविदा उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार तैयार किया गया है और उसे अवैध या संविधान के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता ।

इसी एक बात पर मुझे काफी समय लगाना पड़ा है । यह इस लिए स्पष्ट किया गया है कि राज्य विधान सभा ने इस विधेयक को असांवैधानिक कहा है ।

अब एक दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया ठीक नहीं थी : ऐसा उनका कहना है । संकल्प के अन्त में पश्चिमी बंगाल विधान-सभा ने कहा है कि राज्य सरकार के माध्यम से राज्य विधान सभा को विधेयक निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद १६८ तथा अनुच्छेद ३ के परन्तुक के अनुसार गलत थी । अनुच्छेद ३ के परन्तुक में लिखा है कि राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधान सभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजेगा और उसे उस अवधि में राय देनी होगी जो निर्देश में उल्लिखित होगी ।

इस विधेयक को सौंपते समय राष्ट्रपति ने निम्न आदेश दिया था :—

"अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३ के परन्तुक के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा को यह विधेयक निर्दिष्ट करता हूं ताकि वह निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उस पर अपनी राय दे दें ।"

सभा को स्मरण होगा कि इससे पंजाब, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल की विधान सभाओं का सम्बन्ध था । निर्देश की तिथि २३ अक्तूबर थी । यह २३ नवम्बर को समाप्त होती थी । यह तो उन्होंने भी माना है कि निर्देश विधान सभा को था । पश्चिमी बंगाल विधान-सभा के संकल्प की प्रस्तावना में लिखा है :—

"जब कि अर्जित राज्य क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के के माध्यम से विधान सभा के पास उस पर राय देने के उद्देश्य से सौंपा गया है . . ." आदि आदि ।

अत : मुख्य आपत्ति यह है कि निर्देश राज्यसरकार के द्वारा क्यों किया गया । ऐसे विधेयक की पुरःस्थापना के लिए दो शर्तें हैं; एक तो यह कि इस पर राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए तथा दूसरे राष्ट्रपति इसे राज्य विधान सभा की राय जानने के लिए अवश्य भेजे । बाद की शर्त में प्रक्रिया का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । कानून का यह स्थायी सिद्धान्त है कि जहां पर संविहित अधिकार के प्रयोग की प्रक्रिया निर्धारित न की गयी हो वहां पर उस अधिकार को प्रयोग करने वाला प्राधिकारी अपनी ऐच्छिक प्रक्रिया से काम चला सकता है, परन्तु वह मनमानी के आधार पर नहीं होनी चाहिए ।

जब से संविधान लागू किया गया है तभी से राज्य विधान सभाओं की राय जानने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से विधेयक भेजे जाते रहे हैं । आंध्र राज्य निर्माण के सिलसिले में और राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था । बंगाल व बिहार तथा आसाम व भूटान की सीमाओं से सम्बद्ध विधेयकों में भी ऐसा ही किया गया था । जब कभी राष्ट्रपति अनुच्छेद ११७ के अन्तर्गत लोक-सभा को भी निर्देश देते हैं तब भी ऐसा ही किया जाता है और ऐसा प्राय होता रहता है । राष्ट्रपति के सिफारिश सम्बद्ध मंत्रालय को भी भेजदी जाती है ताकि उसे लोक-सभा में बता दिया जाय । इस कारण यह आपत्ति भी व्यर्थ है ।

इसके अलावा और बताइये राष्ट्रपति अपना काम कैसे चलाये ? क्या वह अध्यक्ष ही को सीधा लिखे ; यदि ऐसा हो तो सभा में प्रस्ताव कौन रखेगा। क्या वह इसको राज्यपाल को भेजे ? राज्यपाल को भी राज्य सरकार ही के पास आदेश भेजना होगा । विधान सभा में केवल राज्य सरकार ही काम कर सकती है । इसलिये विधि सम्बन्धी दृष्टि से तथा सामान्य रूप से भी राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को ही आदेश देना उचित था और इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती ।

इसके अलावा पश्चिमी बंगाल विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में भी अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत उसकी राय जानने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है । मैंने इन्हीं बातों में काफी समय लगा दिया है ताकि यह प्रकट कर सकें कि हमने सदैव बड़े ध्यान से काम चलाया है ।

समझौते के बाद ही हमने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया था कि इसे किस रीति से करें । कूच बिहार के क्षेत्रों को छोड़ कर—शेष चीजें रेडक्लिफ एवार्ड का ही निर्वचन थीं। पाकिस्तान तथा भारत के विचार इस बारे में अलग-अलग थे । दूसरे शब्दों में यदि एक विशेष निर्वचन था तो यह आरम्भ से ही था । ऐसी बात नहीं कि किसी मध्यस्थ या न्यायाधीश ने निर्वचन किया हो । हमारे अनुसार विभाजन के समय से ही वह निर्वचन चला आ रहा था । इसे क्षेत्रों का समर्पण नहीं कहा जा सकता । यद्यपि इसका परिणाम ऐसा हुआ परन्तु यह रेडक्लिफ पंचाट की ही मान्यता है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता - मध्य) : बेरुबाड़ी तो कोई संलग्न क्षेत्र नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बेरुबाड़ी का झगड़ा तो था ही। ठीक है कि यह साथ का छोटा क्षेत्र नहीं है । छोटे क्षेत्रों का विवाद अलग था । कूचबिहार में संलग्न इलाकों का रेडक्लिफ पंचाट से कोई सम्बन्ध नहीं था । यह विनिमय तो सरकारों ने सुविधा के लिये किया है ।

बेरुबाड़ी संघ का मामला रेडक्लिफ पंचाट के निर्वचन के प्रश्न से सम्बद्ध मामलों में से एक था । किन्तु इसके बारे में भारत तथा पाकिस्तान की राय अलग अलग थी । इसलिये टेक्निकल दृष्टि से इसे क्षेत्रों का समर्पण नहीं कहा जा सकता । यह बात रेडक्लिफ पंचाट का ही स्पष्टीकरण है । किन्तु तब भी हमने यही सोचा कि चूंकि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है इस कारण संसद् का ध्यान इस की ओर आकृष्ट करना चाहिये उसके बाद १ अप्रैल, १६५६ को भी इस विषय पर चर्चा चली और कुछ तर्क वितर्क भी हुए । इस कारण हमने राष्ट्रपति को परामर्श दिया कि वह इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय लें और न्यायालय ने एक वर्ष में राय दी ।

हमें न्यायालय की राय पर ही चलना था । न्यायालय ने दो सुझाव दिये । एक तो यह था कि संविधान ही को बदल दिया जाये ताकि भविष्य में साधारण बहुमत से ही ऐसे कानून बन सकें । परन्तु उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया । हमने भी उस तरीके को पसन्द नहीं किया ।

मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह कि पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों से कहां तक पूछा गया । आज से डेढ़ वर्ष पहले मैंने सभा में एक वक्तव्य दिया था । शायद माननीय सदस्यों को उसका स्मरण न रहा हो । इसलिये मैं कुछ विस्तृत रूप से इसके बारे में बताऊंगा । पाकिस्तान ने बेरुबाड़ी वा झगड़ा १६५२ में उठाया । इस विषय पर काफी पत्र-व्यवहार हुआ और बातचीत भी हुयी । रेडक्लिफ पंचाट के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान दोनों

---

†नूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ही बेरुबाड़ी के सारे क्षेत्र का दावा करते हैं। जो भी पत्रव्यवहार हुआ उसमें पश्चिमी बंगाल सरकार अक्सर भाग लेती रही। पश्चिमी बंगाल सरकार तथा भारत सरकार की राय एक ही थी कि बेरुबाड़ी का सारा क्षेत्र भारत ही में आना चाहिये और उनकी राय भी ऐसी ही थी। तब ऐसी स्थिति आई जब कि सीमा सम्बन्धी सारे झगड़े आगे आए और हमने पूरी कोशिश से उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। पाकिस्तान की भी यही इच्छा थी क्योंकि सीमान्त पर नित्य झगड़े रहने लगे थे। हमने भी सीमा सम्बन्धी झगड़े निबटाने ही में कल्याण समझा क्योंकि सीमा के अनिश्चित होने के कारण ही झगड़े होते थे।

१९५८ में सचिवीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ। यद्यपि उसमें अनेक प्रस्ताव और प्रति-प्रस्ताव रखे गये परन्तु कोई समझौता न हुआ। सितम्बर, १९५८ में दोनों देशों के प्रधान मंत्री दिल्ली में मिले। उन्होंने अपने सचिवों से शेष मामलों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर फिर से विचार करने को कहा। दोनों सचिवों की बातचीत हुयी। उसके थोड़े समय बाद पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ कुछ तर्क वितर्क हुआ; इस मामले से कामनवैल्थ सचिव का शुरू से ही गहरा सम्बन्ध रहा है अतः उन्होंने एक लम्बा नोट लिखा जिसे मैं नीचे दे रहा हूं :—

"दोनों देशों के सचिव मिले :

विभिन्न प्रस्तावों पर थोड़ी चर्चा होने के बाद, कामनवैल्थ सचिव ने सुझाव दिया कि सम्बद्ध भारतीय राज्यों की सरकारों (अर्थात् बंगाल, असम तथा पंजाब) के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाय और इन पर उनकी प्रतिक्रिया जानी जाय। भारत की ओर से पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा के मुख्य सचिव बुलाये गये तथा पाकिस्तान की ओर से पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिव बुलाये गये। भारतीय राज्यों के मुख्य सचिवों ने कहा कि वे अपने राज्यों के भू-अभिलेख निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों से परामर्श करना चाहेंगे। पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के सम्बन्ध में प्रस्ताव व्यावहारिक हैं परन्तु वह अपने साथियों से सलाह करेंगे।"

दरअस्ल वे अनेक प्रस्तावों पर विचार कर रहे थे। बंगाल का सम्बन्ध पूर्वी क्षेत्रों सम्बन्धी प्रस्तावों से ही था। इसमें बेरुबाड़ी का विवाद भी शामिल था। अतः वहां के मुख्य सचिव ने कहा कि वह सारे पहलुओं पर विचार करेंगे। नोट में आगे लिखा है :—

"पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्वी सीमा सम्बन्धी प्रस्ताव व्यावहारिक हैं परन्तु वह अपने साथियों से परामर्श लेना चाहेंगे। कामनवैल्थ सचिव ने कहा कि बेरुबाड़ी संघ संख्या १२ के साथ ही नक्शे में दो कूच-बिहारी क्षेत्र दिखलाये गये हैं इसलिये बेरुबाड़ी के बारे में निर्णय करते हुए यह सोच लेना होगा कि इन क्षेत्रों तक कैसे पहुंचा जायेगा। पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव ने अपने साथियों से परामर्श किया और वापस आने पर बताया कि बेरुबाड़ी संघ का विभाजन इस रीति से किया जाये कि कूच-बिहारी के एक क्षेत्र के साथ, जो पश्चिमी बंगाल में रहेगा, संचार व्यवस्था बनी रहे और दूसरा क्षेत्र बेरुबाड़ी के आधे भाग के साथ पाकिस्तान में चला जाय। पाकिस्तान के विदेशी सचिव

इस बात से सहमत हो गये और बेरुबाड़ी के विभाजन का सूत्र पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों के परामर्श से तैयार किया गया तथा इसे सचिवों की सिफारिशों में अभिलिखित कर दिया गया ।"

"ऊपर इस विषय के तथ्यों का निरूपण है तथा उस चीज़ का वर्णन है जो अफसरों की बैठक में १० सितम्बर को हुआ । जहां तक बेरुबाड़ी के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके अनुसार यह ठीक ही है कि पश्चिमी बंगाल के अफसरों ने इसके विभाजन की सिफारिश नहीं की और न ही यह सिफारिश भारत सरकार के अधिकारियों ने की । बेरुबाड़ी के विभाजन का प्रस्ताव पाकिस्तान के प्रति-प्रस्तावों में से एक था और हमारे सामने यह प्रश्न था कि हम इन सबको सामूहिक रूप से स्वीकार करें या नहीं । पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों ने इन प्रति-प्रस्तावों का विरोध नहीं किया बल्कि एक सूत्र तैयार किया जिसके अनुसार बेरुबाड़ी का विभाजन इस ढंग से करने का प्रस्ताव था जिससे वह इलाका हमारे पास रहा चला आता जिसके जरिये अत्यावश्यक संचार व्यवस्था की सुविधा बनी रहती । अर्थात् भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारियों की मंत्रणा के फलस्वरूप एक तदर्थ निर्णय किया गया । किन्तु इस समझौते की जिम्मेदारी भारत सरकार की है । परन्तु यह कहना भी ठीक न होगा कि पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव से बेरुबाड़ी संघ सम्बन्धी पाकिस्तानी प्रस्तावों के बारे में राय नहीं ली गयी ।"

दोनों मुख्य सचिव इसी कारण यहां आये थे । हम बराबर उनकी राय मांगते रहे थे । बेरुबाड़ी का मामला अलग नहीं था ।

जैसा कि मने पहले कहा था हो सकता है कि कुछ गलत धारणायें हो गयी हों । किन्तु एक बात स्पष्ट है और वह यह कि उनसे बराबर परामर्श लिया गया और उन्होंने यही विचार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रकट किया ; हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि शायद यही एकमेव उपाय है । किन्तु मुझे तो यही बात बतायी गयी । जो बात मुझसे कही गयी उसमें तनिक भी सन्देह नहीं क्योंकि बंगाल के बारे में मैंने स्पष्ट रूपसे पूछा था कि क्या वहां से वरिष्ठ अधिकारी आये हैं या नहीं । मुझे बताया गया कि वहां के मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव तथा भू-अभिलेख निदेशक आए हैं ।

पाकिस्तान के साथ हुए सम्मेलन के बाद अगले ही दिन अर्थात् ११ सितम्बर को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में एक बैठक हुई और उसमें क्रियान्विति का प्रश्न उठाया गया । उस समय पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव चले गये थे पर दूसरे अधिकारी थे । बेरुबाड़ी संघ के बारे में जो बात हुई उसकी कार्यवाही सारांश में कहा गया है कि बेरुबाड़ी संघ के विभाजन के बारे में कामनवैल्थ सचिव ने व्याख्या की कि क्षैतिज विभाजन का अर्थ यह नहीं कि वह इस रीति से हो कि उसका प्रभाव विद्यमान संचार प्रणाली पर पड़े जिसे उसे यथासंभव रूप में ठीक तरह पर रखना होगा ।

उसके बाद "पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही" का भी उल्लेख है । इस बैठक की कार्यवाही का सारांश तथा समझौते के दस्तावेज़ राज्य सरकार को १८ सितम्बर, १६५८ को भेजे गये और उनसे आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी । १० अक्तूबर, १६५८ को वहां के मुख्य सचिव का एक पत्र आया । उसमें लिखा था कि पाकिस्तान सरकार में तबदीली आ जाने से—वह तबदीली तभी आयी थी—क्या इस संधि पर कोई असर पड़ेगा ? कामन-

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

वैल्थ सचिव ने उसे उत्तर में लिखा कि पाकिस्तान की नयी सरकार ने सूचना दी है कि वह पहले के सभी करारों पर कायम रहेगी अत: इन मामलों की कार्यान्विति को न रोका जाय। ३० अक्तूबर, १९५८ को पश्चिमी बंगाल सरकार से बेरुबाड़ी संघ की जनसंख्या आदि के आंकड़े संसद् में प्रश्नों के उत्तर देने के लिये मांगे गये। १४ नवम्बर को पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसका उत्तर दिया और लिखा कि जलपाईगुड़ी जिले के डिप्टी कमिश्नर को और जानकारी देने के लिये लिखा गया है। २४ नवम्बर, १९५८ को अग्रेतर जानकारी भी भेज दी गयी। १५ नवम्बर को तो पश्चिमी बंगाल सरकार ने, बेरुबाड़ी संघ के स्वीकृत विभाजन के आधार पर कूच-बिहार के इलाकों के विनिमय के बारे में विधेयक के मसविदे में कुछ संशोधनों का भी सुझाव दिया।

मेरे पास इस प्रकार के अनेक पत्र हैं इसी कारण इस मामले को विस्तृत करता जा रहा हूं। इस सारे पत्र-व्यवहार से ज्ञात हो जायेगा कि उस समय पश्चिमी बंगाल सरकार ने संकेत भी नहीं कया कि उन्हें समझौता स्वीकार नहीं है। वस्तुत: उनकी बातें तो ठीक इससे उलट थीं।

९ दिसम्बर, १९५८ को प्रधान मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बहस के समय संसद में बेरुबाड़ी संघ पर कुछ विचार रखे। १५ दिसम्बर को श्री ज्योति बसु ने पश्चिमी बंगाल विधान सभा में इस वक्तव्य के बारे में प्रश्न रखा। मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया कि भू-अभिलेख निदेशक ने विभाजन का सुझाव नहीं दिया था। उन्होंने मेरे वक्तव्य की प्रति मांगी और मैंने उसे भेज दिया। मैंने कहा कि इस समझौतेकी जिम्मेदारी मेरी है, निदेशक की नहीं। इतने कड़े निर्णय के लिये मैं बेचारे निदेशक पर जिम्मेदारी नहीं थोपना चाहता था।

उस के बाद १६ दिसम्बर को मैंने राज्य सभा में वक्तव्य दिया। २९ तथा ३० दिसम्बर को बंगाल की विधान सभा तथा परिषद् में बेरुबाड़ी के हस्तान्तरण पर वाद-विवाद हुआ और उन्होंने संकल्प पारित करे कि बेरुबाड़ी भारत ही का अंग रहे। उसके बाद प्रधान मंत्री तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री में काफी पत्र-व्यवहार हुआ।

मैं यहां यह फिर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौरान बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी बराबर दिल्ली में रहे। उन्होंने कभी यह न कहा कि उन्हें यह निर्णय मंजूर नहीं है। पर मैं यह मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है, और मुख्य रूप से मुझ पर है। पर यह कहना गलत है कि उनसे पूछा नहीं गया। हां, यह मैं मानता हूं कि स्वीकृति के मामले में कुछ अस्पष्टता जरूर रही थी और सारी चीज़ साफ नहीं हुई। किन्तु मौन सहमति सदैव रहती रही।

रेडक्लिफ पंचाट के विधि सम्बन्धी निर्वचन से बेरुबाड़ी का विषय संदिग्ध हो गया था। यदि समझौता न हुआ होता तो सारी चीजें ही रह गयी होतीं; मामले को शायद नये न्यायाधिकरण को सौंपना पड़ता। हमारा विचार है कि यह समझौता सामूहिक रूप से भारत तथा पश्चिमी बंगाल के हित में है। हम स्पष्टतया यह भी बता देना चाहते हैं कि हमारे अनुसार न केवल यही श्रेयस्कर था कि समझौता सामूहिक रूप से हो बल्कि बेरुबाड़ी की समस्या भी विभाजन से हल हो जाय। दूसरा तरीका इसे किसी न्यायाधिकरण को सौंप देने का था जो चाहे किसी भी देश के पक्ष में निर्णय दे डालती। इस कारण हमने इसी चीज को भारत के हित में समझा। कई बार अपनी नापसंद की चीज भी पसंद करनी होती है।

उसके बाद १ अप्रैल, १९५९ को इसे उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया और उन्होंने १४ मार्च को अपनी राय दी। इस प्रकार लगातार आठ वर्षों तक यह मामला चलता रहा और इस सम्बन्ध में बातचीत होती रही, पत्र-व्यवहार भी खूब हुआ। बाद में पाकिस्तान भी इस चीज़ का इच्छुक हो गया कि अब समझौता होना ही चाहिए। पहले हमारे अनेक सम्मेलन इसी कारण व्यर्थ रहे क्योंकि पाकिस्तान का रवैया ठीक न होता था। किन्तु इस मामले को वे भी निपटाना चाहते थे और हम भी; हमें सीमाओं पर शान्ति चाहिए थी।

सभा को इस पर इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। ठीक वातावरण में सम्मेलन हुए और सभी पक्ष मामला निपटाने के पक्ष में थे। हम तो स्वाभाविक रूप में बेरुबाड़ी को अपने इधर ही रखना चाहेंगे। किन्तु यह प्रश्न एक व्यापक प्रश्न था और जो निर्णय किया गया वह ठीक ही है। मेरी धारण है कि यह समझौता पश्चिमी बंगाल के हित में है और भारत के भी।

यह तो दुखपूर्ण सत्य है कि अनेक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। बेरुबाड़ी की कुल जनसंख्या १२,००० के करीब है। आधे क्षेत्र की जनसंख्या ६००० के करीब बैठी। उसमें कुछ लोग मुसलमान हैं। शायद उनकी संख्या अधिक न हो। दो तिहाई इसमें विस्थापित हैं। यह निस्संदेह दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं लोगों को जो एक बार उजड़ चुके हों दोबारा उजड़ने की नौबत आये। हम सब की सहानुभूति उनके साथ है और हमें उनके पुनर्वास के लिए यथासंभव सहायता देने को तत्पर रहना है।

यह सारी चीज़ अचानक ही नहीं हुई वरन् इस सम्बन्ध में अनेक बार विचार हुआ है। इस सम्मेलन में जो चर्चा हुई वह साफ थी और पाकिस्तान की ओर से किसी प्रकार का दबाव नहीं था। हम हर बात पर सहमत हुए और तभी हमने पाकिस्तान को वचन दिया था। हमने दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किये। उसके बाद यह चीज़ संसद् के सामने आयी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं कर रहा था। मैं ने प्रधान मंत्री की हैसियत से बातचीत की है। और भारत के प्रधान मंत्री का वचन कोई हल्की चीज़ नहीं है। भारत सरकार की ओर से किया गया समझौता न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी कुछ पवित्रता भी है। यह देश का वचन है। मैं यह नहीं चाहता कि लोग कहें कि हम अपने वचनों का पालन नहीं करते। हमें अपने वचनों पर अटल रहना होगा। दो पक्षों में समझौता होता है उसे अमल में लाना पड़ता है। केवल सम्भव तरीका यही है कि पहले करार को बदलने के लिए सहमति हो। वैसा इस समय संभव है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। इस समय हम किस आधार पर यह कह सकते हैं कि हम अपने वचनों से मुकरते हैं।

मुझे खेद है कि मैंने सभा का काफी समय लिया है परन्तु यह मामला ही महत्वपूर्ण था।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को परिचालित किया जाय।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : दोनों विधेयकों की प्रतियां भी, जो पश्चिमी बंगाल विधान सभा को भेजे गये थे, हमें मिलनी चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : भाषण की प्रतियां परिचालित कर दी जायेंगी। विधेयकों की प्रतियां पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मुझे थोड़ा अवसर प्रदान किया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह से तो विषय पर चर्चा आरम्भ हो जायेगी । अब मैं केवल एक प्रश्न की अनुमति दे सकता हूं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्षेत्रों का अर्जन करना या समर्पण करना प्रभुत्वसम्पन्नता का तत्व है, और कानूनी पेचीदगियों को चालाकी से हल किया जा सकता है, और जिस क्षेत्र के बारे में वह निर्णय किया जा रहा है वहां पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित आबाद हैं, जिससे जनता और भी परेशान है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कैसा प्रश्न है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : वहां की जनता की राय जाने बिना ही उन्हें दूसरे देश के हवाले कर देने का विषय ऐसा है जिसके हर परिणाम पर संसद् को विचार करना चाहिए। वह विषय साधारण नहीं है । इस पर सहानुभूति से विचार होना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो आप इस पर चर्चा चाहते हैं । श्री चौधरी ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर): प्रधान मंत्री ने कहा है कि बेरुबाड़ी का विवाद रेडक्लिफ पंवाट से ही सम्बन्धित है । परन्तु इसी प्रश्न पर राय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हम इसे साधारण विवाद नहीं मान सकते हैं वरन् इस समझौते के अनुसार भारत को अपना कुछ क्षेत्र देना पड़ेगा । इसलिये हमें इसी दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों ने न्यायालय की सम्मति से पहले या बाद में अपनी असहमति प्रकट की थी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उच्चतम न्यायालय के सामने वह मामला था कि कुछ निर्णयों को अमल में लाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाय । इसमें सन्देह नहीं कि जब आप रेडक्लिफ पंचाट का निर्वचन करते हैं तो बेरुबाड़ी का प्रश्न उत्पन्न होता है । अतः न्यायाल में समझौते को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया का सुझाव दिया । चूंकि हमें स्वयं इस मामले में सन्देह था अतएव हम ने इसे न्यायालय को सौंपा । हमें न्यायालय की राय मंजूर है । जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है उन्होंने दिसम्बर, १९५८ में असहमति प्रकट की तथा बाद में सभा में संकल्प भी पारित किया जिसका मैंने उल्लेख किया था । उसके बाद फिर मामला उठा और सभा ने पुनः वैसा ही संकल्प पारित किया । अतः सहमति का कोई प्रश्न नहीं है । हमें कुछ ऐसी चीजें करनी होती हैं जिन्हें हम चाहते नहीं क्योंकि अन्यथा और खराबी की आशंका रहती है ।

†**श्री नाथ पाई** : एक प्रश्न और

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार तो पूरी चर्चा होने लगेगी । जो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं वे लिखित प्रश्न भेज दें । मैं उन्हें प्रधान मंत्री के पास भेज दूंगा और देखूंगा कि उनके स्पष्टीकरण की जरूरत है या नहीं ।

†**श्री त्यागी** : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि जब विधेयक ही आने वाला है तो इसी विषय पर अलग से चर्चा कैसे हो सकती है । यह प्रक्रिया गलत होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने भाग लिया तो क्या उन्होंने बंगाल के मुख्य मंत्री से परामर्श लेना उचित समझा था। मुख्य सचिव तो आखिर पदाधिकारी ही था। क्या उन्हें वहां के मुख्य मंत्री की राय नहीं जाननी थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सारी बात मुख्य सचिव के समक्ष हुई है और उसका सारांश बंगाल सरकार को भी भेजा गया है।

†**श्री रंगा** : परन्तु प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री को बुला कर उनकी राय क्यों न ली। जब प्रधान मंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किये उस समय उनकी धारणा क्या थी ? हर आदमी जानता है कि ऐसी बातों में राज्य के मंत्रिमंडल से सलाह ली जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक क्षेत्र देने का सम्बन्ध है वह इसी सभा की सहमति के बिना हो सकना असंभव है। अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि चर्चा इस समय हो अथवा बाद में। इस पर विचार होगा। हर चीज़ इस सभा की रजामंदी से होनी है। जो स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों को चाहिए वे उसके बारे में लिख दें। उस पर विचार होगा।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री दातार द्वारा १ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

> "कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय गृह मंत्री उत्तर देंगे।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं आप से तथा माननीय सदस्यों से अपनी गुरुवार की अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगता हूं जब कि सभा में इस विधेयक का विचार प्रस्ताव पेश किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रेस गैलरी के सदस्य एक-एक शब्द नोट करने के लिए बहुत उत्सुक मालूम पड़ते हैं। मैं माननीय सदस्यों से तनिक जोर से बोलने का अनुरोध करूंगा। प्रेस गैलरी के सदस्यों को नीचे की ओर ज्यादा नहीं झुकना चाहिए। अभी तो केवल कापी ही नीचे गिरी है, ऐसा न हो कि कोई सदस्य ही मेरे ऊपर गिर पड़े।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं अपनी सभा से गुरुवार की अनुपस्थिति के लिये क्षमा प्रार्थना कर रहा था जब कि मेरे सहयोगी श्री दातार ने इस विधेयक का विचार प्रस्ताव पेश किया था। मुझे इस बात का भी दुख है कि अपनी अनुपस्थिति के कारण मैं विरोधी पक्ष के सुविख्यात नेताओं के ओजपूर्ण भाषण नहीं सुन सका। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं और किसी हद तक उनसे सहमत भी हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि समस्त प्रश्न पर सही दृष्टिकोण से विचार किया जाये। यदि हमने गत दस वर्षों के इतिहास को ध्यान में रखा होता तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध न किया होता। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह कुछ माननीय सदस्यों को अरुचिकर लगेगा क्योंकि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं यद्यपि उनका सम्मान अवश्य करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पंत]

पिछले दस वर्षों में निरोध विधि के प्रख्यापन के सम्बन्ध में काफी सुधार हुआ है। विधेयक के पारित होने पर पहले वर्ष में लगभग १०,००० व्यक्ति नजरबन्द किये गये थे जब कि इस वर्ष सितम्बर तक यह संख्या केवल १०६ रह गई है।

मैं श्री अशोक मेहता के इस विचार को ठीक मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को पवित्र समझा जाना चाहिये और हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रताओं से वंचित न किया जाये। परन्तु तथ्य यह है कि सभी देशों में समाज के लिये अहितकर बातों के सम्बन्ध में विशेष कानून बने हुये हैं। श्री अशोक मेहता ने नागरिक स्वतंत्रता की पवित्रता का निर्देश किया और श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा चूंकि नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या केवल १०० या १०६ रह गई है इसलिये इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं समझता हूं कि वह विरोधियों को नेस्त नाबद कर देने और यातना शिविरों में भर देने की नीति में विश्वास करते हैं। हम ऐसा नहीं करते। वह इस लिये असन्तुष्ट हैं कि हम केवल अपने देश के नागरिकों की स्वतंत्रताओं को कायम रखने का ही नहीं वरन् उनको बढ़ाने का भी प्रयत्न करते हैं। मैं समझता हूं कि उनके असंतोष का कारण नजर बन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या में कमी है।

यह विधेयक, जैसा कि मैंने कहा था, पहली बार १६५० में पुरःस्थापित किया गया था अर्थात् संविधान के लागू होने के तुरन्त पश्चात्। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करना है जो अन्यथा न्यायालयों में पेश नहीं किये जा सकते हैं और जिनका निरोध लाखों व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिये आवश्यक हो जाता है। वह बुरी चीज भले ही हो परन्तु मैं समझता हूं कि समस्त विधियां सर्वोदय की दृष्टि से एक प्रकार से अवांछनीय हैं। आचार्य कृपालानी ने कल यह विचार व्यक्त किया था। उन्होंने भाषा, प्रादेशिकता तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में बढ़ती हुई कट्टरता के खतरों का संकेत किया था तथा उसके प्रमाण हम सभा के अन्दर भी देखते रहते हैं। उन्होंने उस सबके लिये नैतिक बल पर निर्भर रहने की सलाह दी। मैं चाहता हूं कि वह स्वयं वैसा करने में सफल हों और दण्डिक विधि को समाप्त कर सकें। कम से कम उन्हे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये तो अन्दोलन करना ही चाहिये जो संम्भवतः अन्य चीजों की अपेक्षा नैतिक साधनो से अधिक सरलता से दूर की जा सकती है परन्तु हम विशुद्ध नैतिक क्षेत्र में भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। इस लिये हमें ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जो आदर्श भले ही न हों—और मनुष्य के अपूर्ण होने के कारण कोई भी चीज़ आदर्श नहीं हो सकती है—परन्तु देश की प्रगति और विकास तथा सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक परिस्थितियों उत्पन्न कर सकें।

सरदार पटेल ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय जो कुछ कहा था उसका प्रशंशात्मक निर्देश किया गया जो सर्वथा उचित है। परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने पूरा भाषण नहीं पढ़ा है। वास्तव में उन्होन यह कहा था कि इस सभा के अधिकांश सदस्य संविधान सभा के सदस्य रह चुकने के कारण अनुच्छेद २२ सम्बन्धी चर्चा से भली प्रकार परिचित हैं। परन्तु मैं अपनी अस्वस्थता के कारण उस चर्चा के समय उपस्थित नहीं था। मेरा विचार है कि उस समय सभा के समक्ष राज्य की सुरक्षा के सम्बन्धित कुछ पहलुओं पर समुचित जोर नहीं दिया गया था। उन्होने आगे यह भी कहा था कि नागरिक स्वतंत्रताओं पर विचार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिय कि थोड़े से लोगों की स्वतंत्रता के कारण लाखों व्यक्तियों की स्वतंत्रता खतरे में न पड़ जाय।

चर्चा के दौरान श्री मी० रु० मसानी ने यह सुझाव दिया था कि उन सिद्धातों की जांच करना और निरोध के सम्बन्ध में स्थायी विधेयक लाना वांछनीय होगा।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची पूर्व) : निरोध के सम्बन्ध में नहीं वरन् उपद्रवी तत्वों के सम्बन्ध में ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मेरा तात्पर्य केवल यह है कि आपने निरोध का तरीका और सिद्धांत स्वीकार किया था जो उपद्रवी तत्वों पर लागू हो ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : अब आप उसे भले ही स्वीकार न करें परन्तु उस समय आप ने उसे अवश्य स्वीकार किया था । प्रत्येक व्यक्ति की तरह आप भी अपने विचार बदलने के लिये स्वतन्त्र हैं ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैंने निरोध को नहीं स्वीकार किया था वरन् दल को गैर कानूनी करार देने के लिये तरीके का सुझाव दिया था । ये दो सर्वथा भिन्न चीजें हैं ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं लिखित प्रमाण के आधार पर वैसा कह रहा हूं । परन्तु मैं आपकी बात नहीं कर रहा था वरन् सरदार पटेल की बात कर रहा था । मैं यह बता रहा था कि सरदार पटेल का क्या विचार था और उन्हें आपका समर्थन प्राप्त था । वास्तव में वह सुझाव आपकी ओर से आया था और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था ।

जहां तक सरदार पटेल का सम्बन्ध है, वह निरोध के सम्बन्ध में एक स्थायी विधेयक लाने के सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार थे । मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं । यद्यपि मैं सरदार पटेल के प्रति अनन्य श्रद्धा रखता हूं परन्तु मेरा विचार है कि निरोध विधेयक के बिना काम चलना अधिक अच्छा होगा । परन्तु हमें अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिये ।

माननीय श्री अशोक मेहता ने बड़ा ओजपूर्ण भाषण दिया और उन्होंने जो कुछ कहा उसके कहने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है । परन्तु वह जानते हैं कि उनके एक प्रमुख साथी और उनके दल के एक पुराने सदस्य श्री पात्तुमथानू पिल्लई, जो अब केरल के मुख्य मंत्री हैं, ने इन से हम अधिनियम को अग्रेतर जारी रखने के लिये कहा है । मैं चाहता हूं कि वह भी कभी ऐसा जिम्मेदार पद संभालें क्योंकि वह जिम्मेदारी के भार से ही ठीक तरह सोच सकेंगे ।

परन्तु उन्होंने अपने भाषण में एक बात ऐसी कही है जिससे मुझे बहुत दुःख पहुंचा है क्योंकि उनसे ऐसी बात की आशा नहीं थी । उन्होंने कहा कि सरकार का उच्छेदन करना एक आधारभूत अधिकार है । मैं इसको समझने में असमर्थ हूं । 'उच्छेदन' शब्द में हिंसा का प्रयोग ध्वनित होता है । प्रजातांत्रिक प्रणाली में हम व्यक्तिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं । यह ठीक है कि प्रत्येक राजनतिक दल को सरकार के विरुद्ध सक्रिय प्रचार करने, मतदाताओं को अपना दृष्टिकोण समझाने और उन पदों को संभालने का पूर्ण अधिकार है । परन्तु यदि हम सरकार को बदलने के लिये ध्वंसात्मक तरीके अपनाते हैं तो मैं नहीं जानता कि राज्य का अस्तित्व कैसे संभव रहेगा ?

फिर हमें कुछ आधारभूत बातें समझनी होंगी जिन पर कुछ आलोचनायें आधारित हैं । प्रजातन्त्र में मतभेद का होना अन्तर्निहित है । चूंकि दलीय शासन पद्धति में एक दल सरकार का निर्माण करता है और दूसरा विरोध करता है इस लिये यह स्पष्ट है कि उनके विचार सर्वथा समान नहीं होंगे । ऐसी स्थिति में ऐसे मौके आ सकते हैं कि सरकार द्वारा किये गये निर्णय विरोधी पक्ष को पसंद न हों । यदि ऐसे मामलों में विरोधियों को संगठित प्रतिरोध का अन्दोलन करने की छूट दे दी जाये, चाहे वह शांतिपूर्ण ही हो, तो वह प्रजातन्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध होगा । संसद् अथवा राज्य विधान मंण्डल द्वारा पारित विधियों का जनता द्वारा माना जाना अत्यन्त आवश्यक है चाहे वे अच्छी हों अथवा बुरी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : केरल में भी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जी, हां । मैं केरल में पारित किन्ही भी विधियों का उल्लंघन नहीं करना चाहूंगा । यदि श्री ब्रजराज सिंह का समाजवादी दल सत्तारूढ़ होगा तो उसके द्वारा पारित विधियों का उल्लंघन भी मैं नहीं करना चाहूंगा । परन्तु माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने बड़े गर्व के साथ सविनय अवज्ञा अन्दोलन का संगठन किया । उनके नेता श्री प्र० ना० सिंह ने कल कहा था कि यदि कानून खराब हों तो इस प्रकार के अन्दोलन का संगठन किया जाना चाहिये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरा निवेदन है कि ऐसे अन्दोलनों के सम्बन्ध में एक मात्र परिमाण यह होना चाहिये कि वे शांतिपूर्ण हों ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : यदि मैं यह कहूं कि ऐसे सारे इरादे बेकार जाते हैं तो वह गलत नहीं होगा क्योंकि संगठकों के इरादे कैसे भी हों बड़े पैमाने पर कये गये सविनय अवज्ञा आन्दोलन में हिंसा आ ही जाती है और यदि हिंसा न भी हो तब भी यदि समस्त कार्यालय छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो सरकार नहीं चल सकेगी, रेलें नहीं चल सकेंगी, करों की वसूली नहीं की जा सकेगी और हम संसद् में उपस्थित नहीं हो सकेंगे । पता नहीं फिर प्रजातन्त्र कैसे चल सकेगा ? इसलिये आन्दोलन के परिणामस्वरूप हिंसा होती है या नहीं, यह सही मानदण्ड नहीं है ।

हमने इस प्रकार की अनेक चीजें होती देखी हैं । मैं जानता हूं कि मेरे अपने राज्य में एक समय बसें और डाकघर जलाये गये थे और सड़कों के लैम्प भी नष्ट कर दिये गये थे । जिन लोगों ने वह अ-आन्दोलन प्रारम्भ किया था उनके इरादे सम्भवत: इतन खतरनाक नहीं थे । वे आन्दोलन प्रारम्भ तो कर सकते हैं परन्तु उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते ।

इसलिए जब हम प्रजातन्त्र की बात करते हैं और यह कहते हैं कि यह विधेयक प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है तो हम यह भूल जाते हैं कि हममें से बहुतों में अभी तक प्रजातांत्रिक भावना का विकास नहीं हो पाया है । हम में से बहुत से अभी तक यह नहीं मानते हैं कि प्रजातन्त्र के कार्यकरण के लिए कानूनों के प्रति आज्ञाकारिता परम आवश्यक है । हम यहां तो कानून पारित करते हैं और बाहर उनका उल्लंघन करते हैं । यदि हम ऐसा करते हैं तो कोई भी प्रजातंत्र ठीक तरह नहीं चल सकता । हम जानते हैं कि हमारे अनेक पड़ोसी देशों में प्रजातंत्र नष्ट हो गया है और हमारे देश में भी बहुत से विध्वंसक तत्व हैं फिर भी हम कुछ शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं और ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनसे केवल अनिष्ट ही हो सकता है । इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो इस विधेयक जैसी छोटी चीजों को, जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना है, प्रजातंत्र का विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए ।

जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है, मेरे विचार से कुछ भाषणों में थोड़ी सी भ्रांति रही है । विधेयक का उद्देश्य केवल वर्तमान अधिनियम को तीन वर्ष के लिए बढ़ा देना है । उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है । हमें यह भी याद रखना चाहिए, और संभवत: श्री मसानी जानते हैं, कि चूंकि उन्होंने यह कहा था कि पुर:स्थापित किए गए विधेयक की जांच की जानी चाहिए इसलिए विधेयक की एक प्रवर समिति द्वारा जांच की गई थी और अनेक सुधार किए गए थे जिससे आज जो विधेयक हमारे सामने है वह १९५० में पुर:स्थापित किए गए विधेयक से बहुत भिन्न है । परन्तु यह संभवत: सभी मानेंगे कि विधेयक के उद्देश्य प्रसंशनीय हैं । शांति तथा व्यवस्था कायम रखना, भारत की प्रतिरक्षा, सभरण और सेवायें कायम रखना और देश की विदेशियों से रक्षा करना ऐसी बातें

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं जो सभा के सभी सदस्यों को स्वीकार्य है। यदि कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में दूसरों का साथ नहीं देता है तब अवश्य वह यह कह सकता है कि ये उद्देश्य प्रसंशनीय नहीं हैं। परन्तु ऐसा किसी ने कहा नहीं है। मेरा तो विचार है कि निरोध का सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया गया है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं जानता हूं कि आप 'नहीं' कहेंगे। कुछ लोगों, जैसे श्री मुकर्जी, को ऐसे विधेयक अथवा इससे भी कठोर विधेयक के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : मैंने यह कहा था कि यदि यह अधिनियम एक विशेष प्रकार के मामलों में लागू किया जाय तो वह ठीक रहेगा।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि निरोध का तरीका एक विशेष वर्ग के लोगों पर लागू किया जाये तो श्री मुकर्जी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक श्री मेहता का संबंध है, उनके भाषण में एक प्रकार से यह खेद प्रकट किया गया है कि अधिनियम को ध्वसांत्मक तत्वों के विरुद्ध स्वच्छन्दता से लागू नहीं किया गया है और श्री मसानी ने कहा—मैं नहीं कह सकता कि श्री मेहता उनसे सहमत हैं अथवा नहीं—कि यदि ध्वसांत्मक तत्वों पर पाबन्दी लगाने के लिए भी कानून बना दिया जाय तो उन्हें दुख नहीं होगा। हम अभी उन पर पाबन्दी नहीं लगाना चाहते। परन्तु यदि ऐसे लोग एक वर्ष के लिए निरोध में रखे जाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए जब कि वह उन्हें इस सभा से ही नहीं वरन् सभ्य समाज से भी सदा के लिए खदेड़ देना चाहते हैं? ऐसी अवधि लम्बी अवधि से तो अच्छी है। जो भी हो, जैसा कि मैं कह चुका हूं, विधेयक का सिद्धान्त सभी को स्वीकार्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तक मूल बातों का संबंध है, कोई आधारभूत मतभेद नहीं मालूम होता है। जैसा मैंने कहा था कुछ भ्रान्ति मालूम होती है। कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार मालूम होता है कि ऐसा विधेयक अनुच्छेद ३५३ अथवा ३५८ के अन्तर्गत आपातकाल घोषित किए जाने की अवस्था में ही ग्राह्य होगा। परन्तु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है।

यह विधेयक मौलिक अधिकारों के अध्याय का अंग है। अनुच्छेद २२ मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय का अंग है। और यह उसमें सम्मिलित है ताकि उन मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। यही कारण है कि यह उपबन्ध—अनुच्छेद २२—मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अध्याय में रखा गया है। आपातकाल से संबंधित अध्याय सर्वथा भिन्न है। वह संविधान के प्रायः अन्त में ह और उसमें धारायें ३५२, ३५८ आदि हैं। इसलिए यह उस प्रकार के आपातकाल का प्रश्न नहीं है क्योंकि उस प्रकार के आपातकाल में यदि ३५२ के अन्तर्गत घोषणा की जाती है तो उसके परिणामस्वरूप समस्त नागरिक अधिकार समाप्त हो जायेंगे।

इसलिए यह अन्तर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। श्री भरूचा ने अपने भाषण में कहा कि यह बुरा कानून है अथवा विधि विरुद्ध है और रौलट एक्ट से भी अधिक खराब है। मुझे उनके इस कथन से कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह अत्युक्ति के आदी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन ने युद्ध के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की। परन्तु वह यह भूल गए कि ब्रिटेन में बन्दी प्रत्यक्षीकरण पहले व दूसरे दोनों युद्धों के दौरान निलम्बित कर दिया गया था। इतना ही नहीं वरन् वहां गृह मंत्री को किसी भी व्यक्ति को कितने भी समय के लिए, बिना किसी मंत्रणा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

बोर्ड अथवा न्यायालय को निर्देश किए, नजरबन्द रखने का अधिकार दिया गया था। इसलिए जहां तक मूल सिद्धान्तों का प्रश्न है हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि वर्तमान परिस्थिति में इस कानून को कायम रखना आवश्यक है।

फिर यह कहा गया कि जब इन आंकड़ों की जांच की गई तो पता लगा कि आधे से अधिक मामले बंगाल में हुए थे और दूसरा नम्बर बम्बई का था। प्रो० मुकर्जी ने पूछा कि ऐसा क्यों है? कारण यही है कि आप वहां बहुत सक्रिय हैं। प्रत्येक तीसरे महीने, यदि इससे जल्दी नहीं तो, कोई न कोई आन्दोलन होता रहता है। कभी शरणार्थी आन्दोलन है, कभी खाद्य आन्दोलन और कभी मूल्य आन्दोलन। आन्दोलनकारी सड़कें रोक लेते हैं, रेलवे लाइन पर लेट जाते हैं और कलकत्ता का जीवन पूर्णतः अस्तव्यस्त हो जाता है। अनेक अवसरों पर जानें भी गईं और सम्पत्ति भी नष्ट की गई। इसलिए कार्यवाही करना आवश्यक हो गया।

बम्बई में यह कुछ छोटे पैमाने पर हुआ। परन्तु अभी भी उन दिनों की याद, यद्यपि वह सर्वथा मिटी नहीं है, चेतावनी का काम नहीं करती है। मैं अभी अभी पढ़ रहा था कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने कहा है कि यदि जनवरी की किसी तारीख तक उनकी मैसूर और महाराष्ट्र के बीच सीमा के समायोजन से संबंधित मांगें स्वीकार नहीं की गईं तो वह सत्याग्रह प्रारंभ करेगीं। पहले उन्होंने मैसूर में सत्याग्रह प्रारंभ किया था परन्तु बाद में उसे वापस ले लिया गया। अब वह सत्याग्रह महाराष्ट्र में ही कुछ जिलों में किया जाएगा। फिर उस राज्य में नाग विदर्भ आन्दोलन भी है जिसने माननीय डा० अणे के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। हम जानते हैं कि वहां सत्याग्रह के नाम से क्या क्या किया गया और इस वर्ष मई में नागपुर में क्या उपद्रव हुआ तथा भविष्य का क्या कार्यक्रम है। यदि ये सत्याग्रही ऐसा करते रहे तो देश में शांति नहीं रह जायेगी। फिर श्री इन्दुलाल याज्ञिक, श्री ब्रजराज सिंह और श्री प्रभुनारायण सिंह ने अपने भाषणों में भविष्य का संकेत किया। जहां तक श्री याज्ञिक का संबंध है, वह सत्याग्रह के बड़े भक्त हो गए हैं और उन्होंने सत्याग्रह चलाने की घोषणा की है। जब ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की घोषणायें करते हैं तो हम इस विधेयक को वापस कैसे ले सकते हैं क्योंकि वैसा करने से समस्त सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

कुछ नजरबन्द किए गए व्यक्तियों के निर्देश भी किए गए थे। जहां तक मास्टर तारासिंह के मामले का संबंध है, मैं सभा के सामने वे आरोप नहीं रखना चाहता हूं जो उनको दिए गए नोटिसों में लगाए गए हैं। परन्तु मैं श्री मसानी की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मास्टरजी का पक्ष लिया था और सरकार की निन्दा की थी। स्वतंत्र दल ने एक समिति नियुक्त की थी जिसके श्री क० म० मुन्शी सभापति थे तथा श्री नि० चं० चटर्जी, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, श्री कर्तारसिंह कैम्बलपुरी, पेप्सू के रिटायर्ड जज और श्री सी० बी० अग्रवाल, रिटायर्ड जज सदस्य थे। समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ १५ में कहा है कि इस संबंध में केवल एक प्रश्न विचारणीय है कि क्या मास्टर तारासिंह के कार्यक्रम पर प्रतिबन्ध लगाना जनहित की दृष्टि से आवश्यक था। उस कार्यक्रम के अनुसार मास्टरजी को २९ मई को अमृतसर स्थित मलिका साहिब से एक शहीदी जत्थे का नेतृत्व करते हुए जलन्धर, आदमपुर, होशियारपुर, नंगल, रूपड़, पानीपत, सोनेपत, आदि स्थानों की यात्रा के लिए रवाना होना था तथा १२ जून को सायंकाल ३.२० पर दिल्ली पहुंचना था जहां सरकार के समक्ष पंजाबी सूबे की मांग रखी जानी थी। रास्ते में उन्हें अनेक सभाओं में भाषण देना था जिससे सिख उत्साहित होकर जुलूस में सम्मिलित हों। यदि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कहीं कोई गड़बड़ हो जाती तो उससे शांति तथा व्यवस्था भंग हो जाने की संभावना थी।

अतः पंजाब में मई के तीसरे सप्ताह में जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसको देखते हुए सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार के लिए प्रतिरोधात्मक कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था ताकि वह शहीदी जत्था अपनी तूफानी यात्रा प्रारंभ न कर सके ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : क्या माननीय मंत्री उस प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । वैसे श्री मसानी स्वयं भी अपने कार्यालय से प्रतियां लाकर यहां वितरित कर सकते हैं क्योंकि वह प्रतिवेदन छप चुका है ।

दूसरा मामला श्री प्र० ना० सिंह का है जिसका स्वयं उन्होंने ही निर्देश किया था । मैं उस मामले के संबंध में वक्तव्य दे चुका हूं । जहां तक तथ्यों का संबंध है, मैं समझता हूं कि यह निर्विवाद है कि समाजवादी दल ने समस्त उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन किया था । वाराणसी जिले में चन्दौली और चकिया श्री प्र० ना० सिंह के चार्ज में रखे गए थे । पहले दिए गए वक्तव्य के अनुसार उन्होंने लोगों को स्वयंसेवक बनने और कानून विरुद्ध आन्दोलन में भाग लेने के लिए उकसाया था । उन्होंने लोगों को उत्तरी चकिया के जंगलों में पेड़ काटने, पड़ती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने, तहसीलों तथा अन्य सरकारी दफ्तरों पर धरना देने, नहरें काटने, रेल-गाड़ियों की जंजीर खींचने और अन्य प्रकार से कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : नहरें काटने और पेड़ काटने की बात उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री की गढ़ी हुई है ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : उस भाग को छोड़ दीजिये । बाकी बातें भी इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त है । मेरा निवेदन है कि इस मामले में बदनीयती तनिक भी नहीं है क्योंकि तथ्य सर्वथा सही हैं । उच्च न्यायालय ने माननीय सदस्य को मुक्त कर दिया क्योंकि उसमें कुछ अनियमिततायें हुई थीं । परन्तु जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है वे सर्वथा निर्विवाद हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : वह आन्दोलन समस्त उत्तर प्रदेश में किया गया था फिर श्री प्र० ना० सिंह को ही क्यों गिरफ्तार किया गया तथा अन्य जिलों के लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं समझता हूं कि लगभग २००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उत्तर प्रदेश में केवल श्री प्र० ना० सिंह तथा वाराणसी का एक अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : वह इसलिए गिरफ्तार किये गये कि संसद्-सदस्य होने के कारण उनका अपराध दुगना हो जाता है । जो व्यक्ति कानून बनाता है यदि वही उसे भंग करे तो वह अत्यन्त निन्दनीय है ।

फिर श्री वाजपेयी ने कलकत्ता के किसी जनसंघी नेता के मामले का निर्देश किया । मैं उस मामले के ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता परन्तु कार्यवाही करने के गंभीर कारण थे । उस कार्यवाही का मंत्रणा बोर्ड और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन किया गया था । उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकायें नामंजूर कर दी गई थीं । मैं समझता हूं कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप का यह अंतिम उत्तर है । जब उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार की कार्यवाही का समर्थन किया जाता है तो उस आदेश के औचित्य के सम्बन्ध में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह सिफारिश की है कि बन्दी को यथाशीघ्र मुक्त कर दिया जाय परन्तु उसे छोड़ा नहीं गया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है । मैं तो इतना ही जानता हूं कि उसने बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका नामंजूर की है । फिर उच्चतम न्यायालय में भी याचिका पेश की गई थी तथा उसने भी बन्दी के मुक्त किये जाने का आदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा ।

फिर श्री तेवर के मामले का भी निर्देश किया गया था । मैं नहीं जानता कि प्रो० मुकर्जी ने ऐसे मामले का समर्थन कैसे किया क्योंकि वह मामला सभा में आ चुका है तथा मैं उस पर वक्तव्य भी दे चुका हूं : रामनाथपुरम् जिले में प्रायः अराजकता का बोलबाला था और हरिजनों के लगभग २००० घर जला दिये गये थे जिसमें अनेक व्यक्ति मारे गये । उन माननीय सदस्य को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वह उपद्रव समाप्त हो जाये । नियमित रूप से मुकदमा साक्ष्य एकत्रित किये जाने के पश्चात् ही चलाया जा सकता था परन्तु इस बीच में उपद्रवियों को अपनी मनमानी नहीं करने दिया जा सकता था ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । क्या किसी माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में उनके किसी ऐसे कार्य की निन्दा की जा सकती है जिसके लिए वह न्यायालय द्वारा सर्वथा निर्दोष पाये गये हों ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें औचित्य प्रश्न की कोई बात नहीं है : यह ठीक है कि इस प्रकार के निर्देश नहीं किये जाने चाहिए परन्तु यदि ऐसे निर्देश किये जाते हैं तो माननीय मंत्री को स्थिति का स्पष्टीकरण करना ही होगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : जब न्यायालय ने उनको सर्वथा निर्दोष बताया है तो फिर सभा में इस प्रकार के दोषारोपण क्यों किये जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने न्यायालय का निर्णय पढ़ा नहीं है । परन्तु यदि न्यायालय ने उन्हें निर्दोष बताया है तो फिर उन मामलों का निर्देश किया जाना सर्वथा अनावश्यक है ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : श्री तेवर का नाम श्री मुकर्जी ही लाये थे. मैंने स्वयं वसा नहीं किया था । श्री मुकर्जी ने ही यह कहा था कि उनका निरोध अनुचित है । इसलिए मुझे सभा को यह बताना पड़ा कि निरोध आदेश किन परिस्थितियों में पास किया गया था । यदि श्री तेवर के सम्मान के विरुद्ध कुछ कहा गया है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं । उसकी जिम्मेदारी माननीय सदस्य पर ही है जिन्होंने यह सवाल उठाया था । मैंने वह निर्णय नहीं देखा है परन्तु मुझे विश्वास है कि जहां तक मेरे द्वारा बताये गये तथ्यों का सम्बन्ध है वे सर्वथा सही हैं । वास्तव में मैंने उनका पूरा हवाला नहीं दिया है क्योंकि उन शर्मनाक दुर्घटनाओं की स्मृति को कुरेदना शोभनीय कार्य नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि हम ने माननीय गृह मंत्री से इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया है तथा उनके प्रतिवेदन के अंश सभा-पटल पर रखे जाने चाहिए और परिचालित भी किये जाने चाहिए । उस समय जो कुछ हुआ उससे समस्त देश चिंतित है ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : वह मामला माननीय सदस्य द्वारा सभा की जानकारी में लाया गया था । जब मुझ से प्रश्न पूछा जाता है तो मेरे स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति कसे की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर मैं कुछ अन्य मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। यह कहा गया कि केरल में साम्यवादी सरकार के कार्यकाल में निवारक निरोध अधिनियम को क्रियान्वित नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि धारा १४४ भी लागू न की गई होती, गोली चलाये जाने की घटनायें भी न हुई होतीं, लाठी चार्ज भी न हुआ होता और एक लाख के लगभग व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी न की गई होती। यदि थोड़े से व्यक्तियों के निरोध से इन सब बातों को बचाया जा सकता तो अधिक अच्छा होता ताकि अधिकांश जनता अपनी नागरिक स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकती।

मेरा विचार है कि जब आसाम में भयंकर उपद्रव हुए थे उस समय यदि इस अधिनियम का अधिक प्रयोग किया गया होता तो परिस्थिति संभवतः इतनी खराब न होती। इस प्रकार हम जनता की नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना चाहते हैं और यदि सामाजिक व्यवस्था भंग करने वालों को बन्दी करके हम वह उद्देश्य प्राप्त कर सकें तो यह वांछनीय है अन्यथा उनकी भी गंभीर हानि होगी क्योंकि निरोध स्थान में जाने से उनका बहुत नुकसान नहीं होता है। अन्यथा यदि उन पर गम्भीर अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जायेगा तो सम्भवतः दण्ड कहीं अधिक गम्भीर होंगे। इसलिए वह कम से कम जनता और समाज के हित में है।

श्रीमान्, व्यवस्था कायम रखना राज्यों का काम है और सभी राज्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। शान्ति तथा व्यवस्था का भार राज्यों के कन्धों पर है। हमारा काम उनकी सहायता करना है। संसद् उनको आवश्यक सहायता प्रदान करती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और यदि समस्त सदस्य नहीं तो अधिकांश सदस्य उसका समर्थन करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री ब्रजराज सिंह के संशोधन संख्या १ पर मतदान लूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री बनर्जी के संशोधन पर मतदान लूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री ब्रजराज सिंह के संशोधन संख्या २ पर मतदान लूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में १७२, विपक्ष में ४१

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पर खण्डशः विचार होगा। पहले हम खण्ड २ को लेंगे।

खण्ड (२)--१९५० के अधिनियम ४ की धारा १ का संशोधन।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई संशोधन रखे जाने हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपना संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : एक सशोधन (संख्या १०) मेरा भी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अनियमित है । श्री ब्रजराज सिंह ।

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि गृह मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में उन आधारों को नहीं लिया जिनको कि उठाया गया था और अपना केस इस तरीके से रखने की कोशश की जिस तरीके से कि एक योग्य वकील अदालत में रखता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह तो माना जायगा कि गृह मंत्री महोदय बहुत अच्छे वकील रहे हैं और उन्हें वही चीज पसन्द होती है जोकि उनके पक्ष की हो । मुझे ताज्जुब है कि आज गृह मंत्री महोदय ऐसा महसूस करते हैं कि गांधी जी ने जिस परम्परा को हिन्दुस्तान में प्रारम्भ किया वह परम्परा सिर्फ इसलिए समाप्त की जानी चाहिए कि आज वक्त के लिए कांग्रेस की सरकार है । मैं नहीं समझता कि गृह मंत्री महोदय अपने इस सिद्धान्त पर दृढ़ हैं . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अभी ताजा याद होगा कि स्पीकर साहब ने क्या कहा है । क्लाज नम्बर २ का स्कोप इतना ही है कि इस एक्ट की मियाद इतनी हो । अब जहां तक गांधी जी के उसूल की बात है तो वह तो एक अलग चीज है और इसकी मियाद बजाय तीन साल के एक साल भी चले तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है । इस क्लाज में तो सिर्फ मियाद के बारे में बोलने का स्कोप है कि वह तीन साल क्यों हो उससे कम वक्त के लिये क्यों न हो ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं दरअसल में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आपकी व्यवस्थायें यह हुई हैं कि ऐसे अमेंडिग बिल में जहां पर कि उस एक्ट की मियाद बढ़ाने का प्रश्न हो तो यह तो ठीक है कि हम उसकी मैरिट्स पर नहीं जा सकते हैं और यह कि उस पर अमेंडमेंट्स मूव नहीं करने देंगे लेकिन उसका जो सारा मैटर है उस सारे पर बहस की जा सकेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तमाम बहस ५, ६ घंटे हो तो चुकी । अब इस समय तो हाउस के सामने केवल क्लाज नम्बर २ है जो कि मियाद से सम्बन्ध रखता है । बाकी जो उसके सारे उसूल थे उन तमाम पर ६ घंटे बहस हो चुकी है । फिर अभी स्पीकर साहब ने जो इसमें फैसला दिया है मैं उससे बाहर कैसे जा सकता हूं ।

श्री ब्रजराज सिंह : अब उन्होंने राय स्पष्ट नहीं की थी और पहले एक फैसला हो चुका है । खैर आपने जो फरमाया सो ठीक है । मैं सिर्फ उदाहरण की शक्ल में रखूंगा और जो आपने व्यवस्था दी है उसका पालन करते हुए आगे चलूंगा । अब आज चूंकि कांग्रेस सरकार मौजद है इसलिये गृह-मंत्री महोदय ऐसा सोच लें कि सत्याग्रह उचित नहीं है और कहीं पर कांग्रेसी सरकार न हो और कोई विरोधी सरकार कायम हो तो वहां पर सत्याग्रह या प्रत्यक्ष कार्यवाही उचित समझी जाय, यह ऐसी दलीलें हैं जो कि समझ में आने वाली नहीं हैं । गृह मंत्री महोदय को यह बताने की जरूरत नहीं है कि अभी उनके जमाने में ऐसा सब कुछ हो चुका है । खैर इस सब को छोड़ते हुए मैं अब यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने यह तय कर लिया है कि आपको निवारक नजरबन्दी कानून रखना ही है . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दातार : वह फिर उसी प्रश्न पर जा रहे हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं आ रहा हूं । असल में उपाध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह है कि सन् १९५० में स्वर्गीय सरदार पटेल ने यह बिल पेश करते हुए फरमाया था उसमें और श्री दातार महोदय और अभी गृह मंत्री महोदय ने जो फरमाया है, फर्क है । पटेल साहब ने जिस बैक ग्राउन्ड को लेकर इस बिल को पेश करते हुए स्पीच दी थी उस बैकग्राउन्ड को हमारे दातार साहब समझते नहीं हैं और इसलिये उसे हंसी में उड़ाना चाहते हैं । असल में जब किसी की आजादी का सवाल पेश हो तो सरकार को उसे बहुत गम्भीरता से लेना चाहिये और उसे हंस कर उड़ाने की जरूरत नहीं है । अगर सरकार ने यह तै ही कर लिया है कि उसे यह डिटेंशन ला रखना है तब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि डिटेंशन ला रखते हुए आप जितनी सुविधाएं दे सकते हैं वे डेटीन्यूज को देने की कोशिश कीजिये ।

उदाहरण के लिये मैं आपसे कहता हूं कि आप मूल एक्ट को इस अमेंडिंग बिल के द्वारा तीन साल के लिये बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने क्लाज नम्बर २ पर यह संशोधन दिया है कि आप एक्ट को तीन साल न बढ़ा कर केवल तीन महीने के लिये बढ़ाइये । हो सकता है कि दातार साहब को यह सुन कर हंसी आये क्योंकि उनको हंसी आते रहने की आदत है । मैं समझता हूं कि खुद गृह मंत्री महोदय उसके उसूल को जानना चाहते होंगे कि आखिर हम क्यों उसका विरोध करते हैं । कहा जा सकता है कि तीन महीने के कोई मानी नहीं होंगे लेकिन एक बात जरूर मानी जा सकती है और मेरा वह अमेंडमेंट भले ही न मान लेकिन इस ऐक्ट में ही एक अभी ऐसी व्यवस्था है कि १२ महीने तक के लिये आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं, उसको नजरबन्द रख सकते हैं । आपके पास अब भी अधिकार है कि अगर आप चाहें तो एक नियम बना लें और राज्य सरकारों को हिदायत कर दें कि पहले चांस में कोई व्यक्ति ६ महीने से ज्यादा नजरबन्द नहीं किया जायेगा । आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके कि अनुसार आप हमेशा ही एक साल के लिये रखेंगे ? आज भी कानून में ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप चाहें तो किसी व्यक्ति को १२ महीने से कम के लिये डिटेन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उसे इतने ही महीने के लिये डिटेन किया जायेगा । इसलिये आप इसमें यह व्यवस्था अथवा तबदीली कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले इंस्टेंस में ६ महीने से ज्यादा कैद में नहीं रखा जायेगा । दूसरी बात यह है कि हर साल इस डिटेंशन बिल पर आप बहस करवायेंगे और यह देखेंगे कि इसका वर्किंग कैसे हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन अगर आपका संशोधन वह मंजूर कर लें ।

श्री ब्रजराज सिंह : मेरा संशोधन न मानें तो मैं यह सुझाव दे रहा हूं । वैसे मेरा संशोधन मानना उनके लिये इतना आसान नहीं है .....

उपाध्यक्ष महोदय : पहले तो आप यह कोशिश कीजिये कि आपका संशोधन माना जाय ।

श्री ब्रज राज सिंह : मैं तो यह सोच कर कह रहा हूं कि अगर मेरा संशोधन न माना जा सकता हो तो जो दूसरे सुझाव मैं दे रहा हूं उनको मान लिया जाय । अभी भी इस एक्ट में यह है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कम के लए .....

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि अगर उनकी बात को मान लिया जाय कि छः महीने हो, एक साल से ज्यादा न हो, तो क्या उस सूरत में वह इस ऐक्ट को मुस्तकिल तौर पर रखने के लिये राज़ी हो सकते हैं ?

श्री ब्रजराज सिंह : मुस्तकिल तौर पर इसको रखने के लिये हम कभी भी राजी नहीं हो सकते हैं, फिर चाहे वह एक साल के लिये या दो साल के लिये या तीन साल के लिये हो। हम किसी भी सूरत में इसके हक में नहीं हो सकते हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो काला कानून है, जिसको कि लालेस ला कहा गया है, इसके रहते हुये भी जितनी अधिक से अधिक सहूलियत दी जा सकती हैं, नागरिकों की आज़ादी के लिहाज़ से, उतनी सहूलियतें देने की आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिये । एक साल की इसमें व्यवस्था है और यह जो व्यवस्था है इसके अन्तर्गत आप नियम बना सकते हैं, बाहर वालों के लिये नहीं, बल्कि अपने लिये और आप आश्वासन दे सकते हैं कि पहले इंस्टेंस में कोई व्यक्ति छः महीने से ज्यादा के लिये डिटेन नहीं किया जायेगा ।

यहां पर इस सदन के एक माननीय सदस्य का नाम भी लिया गया है । श्री ले० अचौ० सिंह को छः महीने से ज्यादा डिटेन किये हुए हो गये हैं । श्री दातार ने उस दिन बड़ी हंसी में कहा कि वहां की मूवमेंट फिज़ूल आउट हो गई है । लोगों ने माफी मांग ली है । एक बात तो यह है और दूसरी बात यह भी है कि जिस पार्टी ने वहां पर मूवमेंट को चलाया था उसने विधिवत् उसे वापस भी ले लिया है । अब इस ऐक्ट में व्यवस्था है कि सरकार अगर चाहे तो **सुओ मोटो** भी किन्हीं लोगों को डिटेंशन से छोड़ सकती है । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह **सुओ मोटो**, अपने आप ही लोगों को छोड़ने की व्यवस्था जो है, इसे आप कब इस्तेमाल करते हैं ? मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है और वहां पर देखा है कि ऐसे लोगों को भी जिन्हें आप गुण्डा कहते हैं, **सुओ मोटो** छोड़ दिया गया है । गुण्डों को तो आप **सुओ मोटो** छोड़ सकते हैं, किन्तु ये जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनको आप छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं और वह भी उस सूरत में जब कि आपके अपने कथनानुसार मूवमेंट फिज़ूल आउट हो गयी है और जिस पार्टी ने मूवमेंट चलाई थी, उसने उसको वापिस ले लिया है । वह इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं, और उनको छोड़ने के बारे में आप विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं, जो कि बहुत हैरानी की बात है ।

मैं चाहता हूं कि आप आश्वासन दें कि भविष्य में लोगों को छोड़ने का जहां तक सम्बन्ध है, आपके पास जो यह पावर है इसका आप और अधिक प्रयोग करेंगे । यह जरूरी नहीं है कि आप एडवाइज़री बोर्ड के सामने जायें । मामले हाई कोर्ट में भी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं । लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि जहां आप यह आश्वासन दें कि छः महीने से ज्यादा किसी व्यक्ति को रोके नहीं रखा जायेगा, उसी के साथ साथ आप यह आश्वासन भी दें कि तीन महीने के बाद उसके केस को रिव्यू आप करेंगे और खुद ही देखेंगे कि क्या ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो गई है जिसमें कि उसे छोड़ा जा सकता है । **सुओ-मोटो** छोड़ने की जो बात है, अपने आप छोड़ने की जो बात है, उसके बारे में आप आश्वासन दें कि आप इसका और अधिक इस्तेमाल करेंगे । जिन लोगों को आप रोक कर रखते हैं, जिनको डिटेन करते हैं, उनकी आज़ादी का आप अपहरण करते हैं । गृह मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते हैं कि जिसको वह डिटेन करते हैं, जिसकी आजादी का वह अपहरण करते हैं उसको शायद इससे भी बड़ी सज़ा दी जा सकती है, लेकिन वह देना नहीं चाहते हैं । जहां तक बड़ी सज़ा देने का ताल्लुक है, जो जुर्म करता है, उसको उस जुर्म की सज़ा आप दें और जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा दे सकते हैं दें, अगर साल से अधिक सज़ा दे सकते हैं तो वह भी दें । लेकिन यह कह कर कि उसे एक साल के लिये रोक कर हमने उसको माफ कर दिया, यह खुद कानून की अवहेलना है और इसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है । जो एडवाइज़री बोर्ड की बात आपने रखी है, उस एडवाइज़री बोर्ड के बारे में आप कहते हैं कि वह ज्यूडिशल है और उसी के साथ साथ . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह या तो थर्ड रीडिंग में कहा जा सकता है या फिर जनरल डिसकशन के वक्त कहा जा सकता था। इस संशोधन में इसे कैसे कहा जा सकता है ?

श्री ब्रजराज सिंह : अगर थर्ड रीडिंग में बोलने की आप मुझ आज्ञा दें, तो मैं तब कह लूंगा। यह बहुत जरूरी चीज है। लेकिन मैं इसके बारे में अधिक न कहते हुए अभी समाप्त कर देता हूं।

मैंने तीन महीने की बात कही है। यह बात मैंने इस वास्ते कही है कि आप जनतंत्र को सफल देखना चाहते हैं और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम अपने दिल से चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में जनतंत्र सफल हो और उसे हम अपना खून दे करके भी सफल बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन इस तरह के कानून बना देने से जनतंत्र सफल नहीं हो सकता है। आप कानून किन के लिए बना रहे हैं, क्या उनके लिये नहीं बना रहे हैं जिनको राजनैतिक लोग कहा जाता है ? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बेलगाम में इस ऐक्ट का प्रयोग किया गया है, मनीपुर में जहां पर रिसपांसिबल गवर्नमेंट के लिये आन्दोलन चलाया गया था, इसका इस्तेमाल किया गया, उत्तर प्रदेश में जहां जनता की मांगों को लेकर सत्याग्रह किया गया था, इसका प्रयोग किया गया, गवर्नमेंट एम्पलायीज़ की जो जनरल स्ट्राइक हुई थी, उसके सिलसिले में इसका प्रयोग किया गया है, पंजाब में इसका इस्तेमाल किया गया है और क्या ये सब चीजें यह जाहिर नहीं करती हैं कि आपने इस कानून की राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है ? यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि तीन महीने की बात जो मैंने अपने संशोधन में कही है, उसको मान लिया जाये, तीन महीने से अधिक इसको न रखा जाए और तीन महीने के बाद अगर आप देखते हैं कि विरोध मजबूत हो गया है और जो आन्दोलन है वह लगातार सालों तक चलता रहेगा, तो मैं समझता हूं कि आपका यह कानून उपयोगी साबित नहीं होगा, इस कानून से कुछ होने वाला नहीं है, इस वास्ते बेहतर है कि इसका इस्तेमाल न हो। अगर आपका मंशा है कि इस कानून के इस्तेमाल से आपके विरुद्ध जो आन्दोलन करते हैं, उनको आप रोक सकेंगे, तो यह आपकी भूल है। जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है वह इसलिये किया है कि तीन महीने के बाद अगर फिर भी इस कानून की आपको आवश्यकता महसूस हो, तो दुबारा इसको हाउस में आप लायें और इस पर बहस करायें। बार बार इस पर बहस करवाते रहने का नतीजा यह निकलेगा कि आपकी नौकरशाही जो बेलगाम हो कर काम करती है, जाली रिपोर्टें बनाती है, जरूरत न होते हुए भी आदमी को डिटेन कर लेती है, वह इस मनोवृत्ति की शायद न रहे, वह शायद बदल जाये। जो गैर-कानूनी कार्यवाही इस समय करती है, नहीं कर सकेगी और इससे जनता को सुरक्षा मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधन को मान लिया जायेगा।

श्री गो० ब० पन्त : उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के हुक्म की तामील नहीं कर सकता हूं।

उन्होंने सत्याग्रह की बात कही है। वह तो यहां पर उठती नहीं है। मुझे एक मिसाल याद आती है। एक आदमी कोई कुएं में गिर गया। उसे निकालने के लिये रस्सी नीचे डाली गई और झटका देकर उसको ऊपर उठाया गया। कोई दूसरा आदमी पेड़ पर चढ़ गया, चोटी पर चढ़ गया, उसको भी फिर नीचे आने में दिक्कत हुई। उसने पहले उसको नीचे कुएं में से निकाला था, वह अक्लमन्द था। उसने कहा कि उसके भी पैर पकड़ कर झटका दो ताकि वह नीचे आ जाये। उसके पैर पकड़ कर झटका दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि वह तो नीचे आ गया और बच गया मगर दूसरा आदमी उसके नीचे आने से मर गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मिसालों का जहां तक सम्बन्ध है, वे हमेशा ठीक नहीं उतरती हैं।

[श्री गो० ब० पन्त]

अभी जैसा मैंने अर्ज़ किया है, मुझे इसमें दिक्कत होती है कि आपकी तजवीज़ को मैं मान सकूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

अन्य संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं इस विधेयक के तृतीय वाचन की अवस्था पर, अब कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था । लेकिन माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कुछ बातें कहीं हैं और उनकी बात का काफी वज़न होता है, इसलिये मैं चाहता हूं कि उनके बारे में कोई गलतफ़हमी की गुंजाइश नहीं रहने देनी चाहिये ।

वसे यह स्पष्ट है कि मैं और मेरा दल इस नजरबन्दी के सिद्धान्त के विरोधी हैं ।

माननीय मंत्री ने मेरे उस भाषण का हवाला दिया है, जो मैंने १९५० में विधेयक की पुर:स्थापना के समय दिया था । यदि माननीय मंत्री उसे गौर से पढ़ें, तो उसमें भी मैंने स्पष्ट कहा था कि लोकतंत्र के विरुद्ध देश के अन्दर और बाहर की तानाशाहियत की शक्तियों का आक्रमण विफल बनाने के लिये, सरकार को उस बुराई की जड़ तक पैठने की कोशिश करनी चाहिये, बहुत सोच-विचार कर ऐसा कोई विधान तैयार करना चाहिये, जो मूल प्रश्न से कतराने की कोशिश न करे । उसको इस तरह के विधान द्वारा भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे पैदा नहीं करने चाहियें । उसके लिये ब्राजील और चिली का रास्ता अपनाना ज्यादा अच्छा रहेगा कि संसद् में अधिनियम पारित करके कम्युनिस्ट पार्टी को गैर-कानूनी कर दिया जाये । उस पर ब्राजील के उच्चतम न्यायालय ने भी यही निर्णय दिया था कि ब्राज़ील की कम्युनिस्ट पार्टी उस देश के लोकतांत्रिक संविधान में विश्वास नहीं रखती ।

माननीय मंत्री शायद इसे ज्यादा सख्त कदम समझते हों । लेकिन इससे आम नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण तो नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री की यह बात बिल्कुल सही है कि युद्ध-काल में ब्रिटन के गृह-सचिव को निवारक निरोध की ऐसी शक्ति दी गई थी। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि उन गृह-सचिव ने युद्ध काल में ही विख्यात फासिस्ट-नेता, सर ओस्वाल्ड मोस्ले को रिहा किया था। उसके बारे में, श्री चर्चिल जैसे व्यक्ति ने कहा था कि स्वतंत्र देशों में कार्यपालिका को ऐसी शक्ति केवल तभी दी जा सकती है, जब समूचे देश पर कोई भारी खतरा मंडरा रहा हो। और तब भी संसद् को उसके प्रयोग के बारे में बड़ी सतर्कता रखनी चाहिये।

माननीय मंत्री अपने देश के बारे में तो नहीं कह सकते कि हमारा संविधान और हमारा देश आज खतरे में है।

माननीय मंत्री ने मास्टर तारासिंह की नजरबन्दी का उल्लेख करते हुए कहा था कि श्री मुंशी के नेतृत्व में मेरे दल ने जो पंजाब जांच समिति बनाई थी, उसके प्रतिवेदन में भी मास्टर तारासिंह की नजरबन्दी का समर्थन किया गया है। माननीय मंत्री ने उस प्रतिवेदन के एक भाग से उद्धरण दिया था। उसी प्रतिवेदन के दूसरे भाग में कहा गया है कि समिति की राय में पंजाब सरकार ने अति की है और जनता को आतंकित करने का प्रयास किया है। समिति ने स्पष्ट कहा है कि योजनापूर्ण हिंसा के आरोप के पक्ष में उसे कोई प्रमाण नहीं मिला है। समिति ने यह भी कहा है कि यदि मास्टर तारासिंह पर ऐसा कोई आरोप था, सरकार को ऐसा कोई प्रमाण मिला था कि वह पाकिस्तान के साथ साजिश कर रहे हैं, तो उसके लिये उचित वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिये थी। समिति की राय स्पष्ट है कि संदेहों के आधार पर मास्टर तारासिंह को नजरबन्द करना सर्वथा अनुचित है।

इसीलिये मैं कहता हूं कि इस निवारक निरोध व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। आशा है कि समूचे देश के हितों की दृष्टि से, मास्टर तारासिंह की नजरबन्दी शीघ्र ही समाप्त की जायेगी।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–पूर्व) : मैं अपने पूरे जोर से इसका विरोध करता हूं।

इस विधेयक के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और शांति के हितों की रक्षा करना है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह अधिनियम समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध नहीं है। यह गुण्डागर्दी रोकने के लिये नहीं है। इस अधिनियम में सब से बड़ी ज्यादती की बात यही है कि यह पुलिस अधिकारियों को इतनी शक्ति दे देता है कि वे निर्णय कर सकते हैं नागरिकों के दोषी होने या न होने का।

सलाहकार बोर्ड के सामने सुनवाई की व्यवस्था भी बिल्कुल बेमतलब है, क्योंकि नज़रबन्द व्यक्ति को उसके सामने अपनी बात रखने के लिये कोई भी कानूनी सहायता नहीं मिलती।

इसके पक्ष में एक यह तर्क भी दिया गया है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम पर आपत्ति नहीं की है। लेकिन इन न्यायालयों ने तो इतना ही कहा है कि कार्यपालिका ने विधि का पालन किया है। इस अधिनियम की काली करतूतों का भंडाफोड़ तो तब होता जब उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को नजरबन्दी के कारणों की जांच करने की शक्ति भी दी जाती।

अब प्रश्न है कि इस अधिनियम को लागू क्यों किया गया है। हम देख चुके हैं कि इसका प्रयोग गैर-लोकतांत्रिक ढंग से जनता की भावनाओं के दमन के लिये किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

१९५३ में, बंगाल में ट्राम का किराया बढ़ाने के विरोध में खड़े होने वाले आन्दोलनकारियों को इसी अधिनियम के अन्तर्गत एक महीने के लिये नजरबन्द किया गया था। बाद में, न्यायाधिकरण ने जनता की बात को ही सही ठहराया था।

इसी अधिनियम का प्रयोग संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन और महा गुजरात आन्दोलन के विरुद्ध किया गया था।

इस अधिनियम को ग़लत ढंग से लागू किया जाता रहा है। जनता को विधियों का पालन करना चाहिये। लेकिन जन-आन्दोलनों में हिंसा हमेशा तभी शुरू है जब सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया है। और आज कोई भी ईमानदारी के साथ नहीं कह सकता कि देश पर भारी खतरा मंडरा रहा है। यदि कोई साधारण खतरा है भी, तो सामान्य उपायों से उसका सामना किया जाना चाहिये।

इसलिये, इस अधिनियम को संविधि-पुस्तक से निकाल बाहर करना चाहिये।

†**श्री गो० ब० पंत**: श्री मसानी ने अपने ही पहले के भाषण का उल्लेख किया है। मैंने उनके उस भाषण का ही एक भाग उद्धृत किया था। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही थी, जिसके लिये मुझे जिम्मेदार ठहराया जा सके। यदि उनके भाषण की रिपोर्ट ही ग़लत हो, तो मुझे उस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना है।

†**श्री मी० ब० मसानी**: मैं ने भी अपने भाषण की रिपोर्ट से ही उद्धत किया है।

†**श्री गो० ब० पन्त** : तब यदि उनके भाषण में ही परस्पर असंगत बातें कहीं गई हों, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मेरे भाषण में कोई असंगति नहीं।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैंने जो उद्धरण दिया था, यदि वह भी उनके भाषण से मेल खाता है तो हमारे बीच कोई अन्तर नहीं रह पाता।

'स्वतंत्र' पार्टी द्वारा नियुक्त जांच समिति ने मास्टर तारासिंह के मामले के बारे में अलग से पूरा एक अध्याय रखा है। सारे तथ्य बताने के बाद, समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। समिति ने निश्चित तौर पर कहा है कि मास्टर तारासिंह पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है।

†**श्री मी० रु० मसानी** : जी, नहीं।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैंने वही भाग पढ़ कर सुनाया है। हां, समिति ने किसी अन्य स्थल पर अवश्य कहा है कि जो सब किया गया है वह शायद जरूरी नहीं था। लेकिन मास्टर तारासिंह के मामले में समिति ने जो भी कुछ कहा है, उसका यही मतलब निकलता है जो मैंने आपको बताया है। उसके बारे में कोई ो रायें नहीं हो सकतीं। मेरे ख्याल में और तो कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसका उत्तर दिया जाये।

श्री साधन गुप्त का ख्याल है कि कुछ मामलों के बारे में सरकार ने अपनी राय बदल दी है। सरकार हमेशा हर मामले पर सोचने-समझने और अपनी राय बदलने के लिये तैयार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोकतांत्रिकता की अपेक्षा है कि सभी मामलों का निबटारा शान्तिपूर्ण ढंग से मतदान द्वारा किया जाये, सीधी कार्यवाही या हिंसात्मक साधनों से नहीं। यदि श्री साधन गुप्त भी इसे मानते हैं, तो हमारे बीच कोई मतभेद नहीं रह जाता। यदि वह इसे नहीं मानते, तो वह लोकतांत्रिकता को नहीं मानते। आजकल नाग-विदर्भ समिति नाग-विदर्भ को महाराष्ट्र से पृथक कराने के लिये आन्दोलन चला रही है। श्री साधन गुप्त की राय में हमें वहां क्या करना चाहिये?

†**श्री साधन गुप्त**: उनकी नजरबन्दी तो नहीं है।

†**श्री गो० ब० पन्त** : नजरबन्दी नहीं, तो क्या उनको सिर फुटौवल करने दी जाये?

†**श्री साधन गुप्त**: सामान्य विधि के अन्तर्गत उन पर मुकदमे चलाये जायें।

†**श्री गो० ब० पन्त** : माननीय सदस्य ने बिना सोचे-विचारे, कुछ कह दिया है। इस में मैं उनकी राय नहीं मानता। मैं ऐसे उद्गारों को कोई महत्व नहीं दे सकता। प्रश्न तो यह है कि महाराष्ट्र से नाग-विदर्भ क्षेत्र को पृथक् किया जाये या नहीं। इसका उन्होंने कोई उतर नहीं दिया। मुझे अधिक कुछ नहीं कहना।

मेरा अनुरोध है कि प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाये।

श्री ब्रजराज सिंह: इस ऐक्ट की दफा ४ में आपने कहा है कि कुछ रेगुलेशंस फौर आर्डर्स बना सकते हैं कहीं रूल का विधान नहीं है लेकिन क्या यह सत्य है कि कुछ राज्यों और खास कर दिल्ली प्रशासन ने कुछ रूल्स बनाये हुए हैं जो रूल्स कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाते हैं जसे जेल में जाकर पुलिस के इंस्पैक्टर द्वारा आप इंटरव्यू करायेंगे और उनसे कुछ मामलों का पता लगायेंगे?

श्री गो० ब० पन्त : मुझे कोई इल्म नहीं है किसी ऐसे रूल के बारे में जो कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यह जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि वह मौलिक अधिकारों के बरखिलाफ होगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में १६५, विपक्ष में ३३

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ब्रजराज सिंह** : हम इस पर खेद प्रकट करना चाहते हैं। हम सभा-भवन त्यागते हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री जगदीश अवस्थी : मैं समझता हूं कि आज के दिन संविधान और प्रजातंत्र की हत्या की गई है। इसलिये यह एक काला दिन माना जायेगा और यह काला कानून मैं आपकी छाती पर फेंकता हूं।

[इसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा-भवन से उठकर चले गये]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : श्रीमान्, मैं एक बात कहना चाहता हूं । सभा में कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी विषय पर चर्चा, उस के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियत समय से आगे बढ़ जाती है, ऐसे समय संसद् कार्य मंत्री खड़े हो कर कह देते हैं कि चर्चा में अधिक समय लिया जा रहा है । मेरा सुझाव है कि उस के स्थान पर सरकार को मुखबन्द प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं इस विषय का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । कार्य मंत्रणा समिति ने इस विषय के लिये ५ घंटे का समय दिया था किन्तु जब सभा में इस विषय पर चर्चा आरम्भ हुई तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह अनुरोध किया कि इस के लिये समय एक घंटा और बढ़ाया जाय । जब बढ़ा हुआ समय भी समाप्त हो गया तब मैंने उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि ६ घंटे की अवधि भी समाप्त हो गई है । इस में ग़लती क्या है ? मैं समझता हूं कि मुझे किसी भी विषय पर चर्चा समाप्त करवाने का प्रस्ताव रखने का अधिकार है, भले ही कोई सदस्य उस समय बोल रहे हों ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति किसी विषय पर चर्चा के लिये कोई निश्चित अवधि निश्चित कर देती है । सभा की राय से वह समय बढ़ा भी दिया जा सकता है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि समय की समाप्ति के पश्चात् संसद्-कार्य मंत्री मुखबन्द प्रस्ताव रखें तथा उसे बहुमत से पारित किया जाय । होता यह है कि वे अध्यक्ष को सिर्फ सूचित कर देते हैं कि समय समाप्त हो गया है; वे कोई प्रस्ताव नहीं रखते । कोई भी सदस्य कह सकता है कि समय समाप्त हो गया । इस में कोई विशेष बात नहीं है ।

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०-६१

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अब, रेलवे सम्बन्धी अनुपूरक अनुदान की मांग पर चर्चा करेंगे ।

वर्ष १९६०-६१ के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुदान की निम्नलिखित अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	६०,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदान की मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	श्री त० ब० विट्ठल राव	सर्वेक्षण के कार्य में शीघ्रता की आवश्यकता ।	रु० १००
	श्री त० ब० विट्ठल राव	राशि को बढ़ा कर दो लाख रुपये करने की आवश्यकता	रु० १००

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि इस रेलवे लाइन के बन जाने से सिंगरौली कोयला खानों का विकास हो सकेगा । इस प्रकार मध्यप्रदेश में कोयले का उत्पादन बढ़ जायेगा । मैं इस सम्बन्ध में मंत्रालय को आगाह कर देना चाहता हूं कि नई रेलवे लाइनें बनाने का कार्य बहुत सावधानी से किया जाय । हम ने छपरा कोरवा सम्पर्क रेलवे में बहुत शीघ्रता से कार्य किया और उस से यह आशा की थी कि कोरवा कोयला खान का उत्पादन लक्ष्य ४० लाख टन प्रतिवर्ष तक पहुंच सकेगा तथापि वहां रेलवे लाइन बन गई है तथापि अभी तक कोयले का उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

इसी प्रकार दामोदर करणपुरा क्षेत्र में दामोदर नदी पर पुल न होने के कारण इस क्षेत्र में कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा रहा है, जब कोयले की कमी के कारण किसी क्षेत्र के उद्योग बन्द होते हैं तो इस्पात खान तथा ईंधन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं । अतः इन दोनों मंत्रालयों के बीच समन्वय होना आवश्यक है ।

यह कहा गया है कि इस रेल सम्पर्क को बनने में दो वर्ष का समय लगेगा । क्या हम दो वर्षों के दौरान इतने कोयले का उत्पादन कर सकेंगे कि इस रेल सम्पर्क का पूरा पूरा उपयोग हो सके । साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि सिंगरौली कोयला खानों से रिहिन्द बांध तक कोयला पहुंचाने में क्या भाड़ा लिया जायेगा ? क्या इस लाइन में यात्री गाड़ियों की तरह कोयले पर भी अधिक भाड़ा लिया जायेगा । अन्त में मेरा सुझाव यह है कि इस रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में संबंधित मंत्रालयों में परस्पर समन्वय होना चाहिये जिस से कि इस रेल सम्पर्क का यथाशीघ्र अधिकाधिक लाभ उठाया जाये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मुझे पूरा विश्वास है कि इस रेल सम्पर्क से इस क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं का विकास होगा । यह परियोजना इस बात की उदाहरण है कि योजना मंत्रालय तथा अन्य दोनों मंत्रालयों ने एक दूसरे के समन्वय में काम किया है तथा मामले को तत्काल क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया है । वस्तुतः देश की महत्व-पूर्ण परियोजनाओं में इसी प्रकार का समायोजन और सहयोग होना चाहिये ।

इस परियोजना के द्वारा एक अविकसित क्षेत्र को विकसित होने का अवसर मिलेगा, मैं भी एक अविकसित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, अतः मैं इस परियोजना का महत्व भली भांति समझता हूं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री देश के अन्य अविकसित भागों के लिये भी यही सहानुभूति दर्शायेंगे । अतः मैं इसे सही दिशा की ओर एक कदम समझता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

मुझे ज्ञात हुआ है कि मंत्रालय इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण करने वाला है । इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे पिछले निर्वाचन क्षेत्र में भी पहिले एक रेलवे लाइन बनाने की योजना रखी गई थी, इस योजना के उद्देश्य एक छोटे से नगर उन्नाव को गंगल से मिलाना था, इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने कई सर्वेक्षण किये । अन्त में यह कह दिया गया कि वहां पर लाइन बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल आवश्यक सर्वेक्षण करवाये जाने चाहियें और रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू करवा दिया जाना चाहिये । जहां तक रेलों द्वारा ले जाये जाने वाले कोयले के भाड़े का सम्बन्ध है उसे कम से कम रखा जाय, क्योंकि रेलवे को एक विशुद्ध वाणिज्यिक समवाय नहीं कहा जा सकता है अपितु रेलवे एक राष्ट्रीय उपक्रम है जिस का उद्देश्य राष्ट्रहित की पूर्ति करना और देश की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ।

मैं आशा करता हूं कि इस से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को बल प्राप्त होगा, इस प्रकार इस से देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस रेलवे लाइन बनाने का समर्थन करता हूं । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में पूरी जांच हो चुकी है । मुझे माननीय मंत्री के उत्तर से संतोष नहीं हुआ । उस चर्चा के पश्चात् से मुझे ज्ञात हुआ कि सरकार ने उस मामले के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की है, तथापि मैं यह बताता हूं कि कोई भी मामला किसी एक मंत्रालय का स्वतंत्र मामला नहीं होता है वस्तुतः उस सम्बन्ध में मंत्रालयों का संयुक्त दायित्व रहता है । मैं आशा करता हूं कि कोयला खानों के विकास के सम्बन्ध में माननीय मंत्री परस्पर विचार करेंगे तथा देश के हितों पर ध्यान रखते हुए पूर्ववर्तिता निश्चित करेंगे ।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : इस मांग के सम्बन्ध में जो व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया हुआ है उस से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उस में जिस बिजली घर का जिक्र किया गया है वह सिंगरौली का बिजली घर है या कि रिहन्द बांध पर बनने वाला बिजली घर है । यह भ्रान्ति इस कारण भी पैदा हो गई है कि दोनों बिजली घर एक दूसरे के बहुत निकट हैं, यदि इस का तात्पर्य रिहन्द के बिजली घर से है तब इस कार्य में इतना विलम्ब नहीं होना चाहिये था । यह सर्वविदित है कि सिंगरौली कोयला खान भारत की सब से बड़ी खान में से एक है । इस का कोयला भी प्रथम श्रेणी का कोयला समझा जाता है । अतः इस खान के विकास में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड द्वारा १३ वर्ष का समय लगाना उचित नहीं कहा जा सकता है । वस्तुतः यह बात निश्चयात्मक रूप से कही जानी चाहिये थी कि वहां रेलवे सम्पर्क लाइन बनाई जायेगी, सर्वेक्षण केवल इस के व्यय के सम्बन्ध में किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि मुगलसराय, जहां का यार्ड भारत के सब से बड़े यार्डों में एक है, उस के यातायात को घटाने के उद्देश्य से एक अन्य लाइन गड़हा-रोबर्ट्सगंज में बनाई जा रही है, इस के लिये यह भी आवश्यक है कि गाजीपुर में एक पुल बनाया जाय अतः इस पुल को तीसरी पंचवर्षीय योजना में अवश्य शामिल किया जाय ।

उत्तर प्रदेश में कुल बिजली की क्षमता बहुत कम है । रिहन्द और सिंगरौली बिजलीघरों के बन जाने से उत्तर प्रदेश को भी कुछ बिजली उपलब्ध होने लगेगी, अतः यह रेलवे लाइन बहुत आवश्यक है । सरकार को चाहिये कि वे सभा में यह वचन देवें कि इस लाइन का निर्माण अवश्य किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस पूरक मांग का मैं बहुत स्वागत करता हूं । इस में मुझे केवल इतना ही कहना है कि इस पूरक मांग में अभी केवल सर्वे की बात कही गई है बावजूद इसके कि नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने कहा है कि यह रेल लाइन २४ महीने के अन्दर लगा दी जाय । प्लानिंग कमिशन की भी मांग है कि वह रेल लिंक पूरी की जाये । मैं तो चाहता था कि इस सर्वे की पूरक मांग के साथ ही साथ रेल लाइन बनाने की भी पूरी मांग की गई होती क्योंकि यह सर्वे नेक्स्ट बजट में पांच, छः महीने में आने वाला है । लेकिन तो भी जितना है मैं उस का स्वागत करता हूं ।

अभी मेरे एक पूर्ववक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यवसाय की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है और उद्योग व्यवसाय को वहां पनपाने के लिये इस ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है । इसी ध्येय को मद्देनजर रखते हुए रिहन्द डैम का निर्माण हुआ और जिस के लिये अभी कहा जाता है कि वह धीरे धीरे सन् १९६२ में बिजली देना प्रारम्भ करेगा । यह डैम पूर्वी जिलों में उद्योग व्यवसाय बढ़ाने के लिय प्रारम्भ हुआ था लेकिन अब बड़े बड़े कल कारखाने वहां बन रहे हैं और उसमें बिजली अधिक चली जा रही है और आवश्यकता इस बात की है कि इस बिजली और पावर की कमी को पूरा करने के लिये एक और थरमल प्लांट बने ताकि आज जो बिजली की कमी अनुभव हो रही है उस की पूर्ति की जा सके ।

अभी मेरे भी भाई श्री विट्ठल राव ने कहा कि सम्बद्ध मंत्रालयों में आवश्यक सहयोग नहीं है लेकिन मैं तो देखता हूं कि इस में दोनों का बड़ा सहयोग है । यह पहला मौका है कि एक पूरक मांग रेलवे मिनिस्ट्री की हो और उस अवसर पर कोल के भी मिनिस्टर साहब बैठे हों । इसलिये जहां तक मंत्रालयों में सहयोग का सम्बन्ध है वह मौजूद है । रेलगाड़ी बना कर तैयार रखनी है क्योंकि आखिर जो कोयला निकलेगा वह रेलगाड़ी पर ही तो ढोया जा सकेगा । मुझे उम्मीद है कि हालांकि हम धीरे धीरे चलते हैं लेकिन २४ महीने के भीतर हमारी यह रेल लिंक बन कर तैयार हो जायेगी । रेल लिंक बनाने में एक हमारे अध्यक्ष जो बोर्ड के हैं, काफी माहिर हैं और उन्होंने असम का रेल लिंक बहुत अल्पकाल में बनाया था । सम्भव है कि यह रेल लिंक भी जल्दी बन जाय । हमारा जो भाग है, वह काफी पिछड़ा हुआ है, जंगली हिस्सा है, पहाड़ी हिस्सा है । उससे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीनों प्रान्तों को लाभ होगा और तीनों के पिछड़े हुए भागों को काफी तरक्की मिलेगी । इसलिये . . .

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश को कैसे लाभ होगा ?

श्री सिंहासन सिंह : मध्य प्रदेश में सिंगरौली का कोयला बाहर जायेगा और बिजली वहां पहुंचेगी । इस तरह से उस को और दूसरे दो प्रान्तों को तीनों को लाभ होगा । इस रास्ते मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जितनी शीघ्रता की जाय, अच्छा होगा । आजकल जो ढिलाई देखने में आती है, हम आशा करते हैं कि वह दूर होगी और कार्य जल्दी से सम्पन्न किया जायगा । सर्वे का काम जल्दी से जल्दी पूरा करके तुरन्त रेल लाइन बनाने की ओर आपको ध्यान देना चाहिये और कोई ढिलाई नहीं आने देनी चाहिये ।

जो आपने पूरक मांग पेश की है वह स्वागत की चीज़ है । मैं आशा करता हूं कि नेशनल कोल डिवेलेपमेंट काउंसिल ने जो सिफारिश की है, उस को मान लिया जायेगा और उस के अनुसार आप का सब सामान तैयार रहेगा । उधर से कोयला निकलना शुरू हो और इधर से आप की गाड़ियां चलना शुरू हो जायें, उन में देर न लगे. ऐसी आशा की जानी चाहिये ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वैल्लोर) : मैं इस अनुपूरक मांग का समर्थन करता हूं । वस्तुतः कोयला विकास कार्यों के लिये बहुत आवश्यक है अतः इस्पात खान तथा ईंधन मंत्रालय को चाहिये कि वह भारत भुतत्वीय विभाग से यह कहे कि वे सारे देश में कोयला निक्षेपों का पता लगाने के लिये व्यापक सर्वेक्षण करें । इस सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर ही रेलवे को पूर्ववर्तिता निश्चित करनी चाहिये । इस संबंध में रेलवे और इस्पात खान तथा ईंधन मंत्रालय को सहयोग से कार्य करना चाहिये ।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय,जो पूरक मांग के लिये प्रस्ताव आया है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ऊंचे दर्जे के कोल की रेलों की बड़ी आवश्यकता है और उसकी कमी को पूरा किया जाना बहुत जरूरी है, और उसके लिये रेल लिंक का होना लाजिमी है । मैंने देखा है कि हमारे यहां, जहां सेंट्रल और वैस्टर्न रेलवे है, ऊंचे दर्जे का कोयला एंजिनों को नहीं मिलता है जिसका नतीजा यह होता है कि कभी कभी एंजिन रास्ते में ही खड़े हो जाते हैं और उनकी जो चाल है वह धीमी पड़ जाती है । इसका नतीजा यह होता है कि गाड़ी अक्सर लेट होती है । जब मैंने गाड़ियों के लेट होने का कारण पूछा तो मुझे बताया गया कि ऊंचे दर्जे का कोयला नहीं मिलता है, बहुत हल्के ग्रेड का कोयला एंजिनों को सप्लाई किया जाता है इस वास्ते गाड़ियां अक्सर लेट हो जाती हैं । तो जहां से ऊंचे दर्जे का कोयला निकलेगा, उसका इस्तेमाल एक ही क्षेत्र के लिये नहीं होना चाहिये बल्कि उसको ऐसे क्षेत्र में भी ले जाया जाना चाहिये जहां उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है । जो हल्के ग्रेड का कोयला आज इस्तेमाल होता है, उससे एक तो गाड़ियां लेट होती हैं और दूसरे एंजिन भी खराब होते हैं । इस रेल लिंक से मध्य प्रदेश को तो लाभ होगा ही, दूसरे क्षेत्रों को भी होगा । हमारे यहां काफी कोयला है और उसको बाहर भी ले जाया जाना चाहिये । इसके बारे में इकोनामिक सर्वे हुआ है और उससे पता चला है कि मध्य प्रदेश में रेलों और रोड्स, दोनों की बहुत ज्यादा कमी है । इन दोनों की कमी की वजह से उसका डिवलेपमेंट नहीं हो रहा है । वहां पर रेलों और रोड्स, दोनों की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि और भी जो कई लिंक हमारे यहां हैं, जैसे नैरोगेज़ रेलवे लाइन है, उसको भी रिप्लेस करने की जरूरत है । कुछ मिसिंग लिंक्स भी हैं, जिनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये . . .

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मिसिंग लिंक्स मध्य प्रदेश में चली गईं ?

श्री राधेलाल व्यास : ग्वालियर से भिंड की नैरोगेज़ अगर इटावा तक मिला दी जाय, तो बड़ा फायदा हो सकता है और कई मील का चक्कर बच सकता है । ऐसे कुछ सर्वे हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । जो बैक्वर्ड एरियाज हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये । अगर इन मिसिंग लिंक्स को ठीक कर दिया जाये तो ट्रेफिक लोड कम हो सकता है । और जो नैरोगेज़ है, उस पर ध्यान दे करके एक तो देश को लाभ पहुंचाया जा सकता है, दूसरे जो ज्यादा ट्रेफिक रहता है, उसमें भी कमी की जा सकती है, तीसरे माल के आने जाने में सहूलियत हो सकती है और चौथे जो खर्चा पड़ता है, उसको भी कम किया जा सकता है । पिछड़े हुये इलाकों की तरफ ध्यान देना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं जो पूरक मांग रखी गई है, उसका समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री(श्री शाहनवाज खां)** : मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस मांग का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। अतः मेरे विचार से माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विस्तार से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

सभा के लिये यह हर्ष की बात है कि खोज से यह पता चला है कि इस कोयला खान में २३६० लाख टन घटिया प्रकार का कोयला और ३७१० टन बढ़िया प्रकार का कोयला मौजूद है। यह देश के लिये सौभाग्य की बात है। सभा को ज्ञात है कि दूर के क्षेत्रों से कोयला प्राप्त करने में उद्योगों को कितनी कठिनाई का सामना करना होता है। अतः इस कोयला क्षेत्र के विकास से देश को काफी लाभ होगा। इन खानों से रेलों को भी अच्छे और बढ़िया प्रकार का कोयला उत्तर में ही प्राप्त हो सकता है ।

इस सर्वेक्षण की आवश्यकता इस कारण हुई कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बिजली घर का काम १९६३ में प्रारम्भ करने को बहुत उत्सुक है। वे इस संबंध में सारी व्यवस्था कर चुके हैं, हम चाहते हैं कि हम उपयुक्त समय पर उनकी सहायता कर सकें ।

†**श्री कालिका सिंह** : आपका तात्पर्य रिहन्द बांध के बिजली घर से है या दूसरे बिजली घर से ?

†**श्री शाहनवाज खां** : माननीय सदस्य तापीय बिजली घर को रिहन्द बांध का बिजली घर समझ रहे हैं। रिहन्द बांध के बिजली घर में जल विद्युत तैयार होगी जब कि यह बिजली घर सिंगरौली के निकट बनेगा और इसमें तापीय विद्युत पैदा होगी। यह तापीय बिजलीघर ४५० मेगावाट बिजली पैदा करेगा। कई माननीय सदस्यों ने इस समन्वय भावना की प्रशंसा की जो कि इस परियोजना पर कार्य के दौरान परिलक्षित हुई। यद्यपि कुल सर्वेक्षण के लिये हमें १.९ लाख रुपये की आवश्यगकता होगी तथापि जब तक बजट प्रस्तुत न हो तब तक के लिये केवल ६०,००० रु० की मांग रखी गयी है।

माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह लाइन शीघ्रता से बन जाये। तथापि रेलवे लाइन बनाने के पूर्व कुछ आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही करनी होती है। ट्रेक तथा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करना होता है। इसके पश्चात् अन्तिम स्थिति सम्बन्धी सर्वेक्षण होता है। इन सब के स्वीकृत होने के पश्चात् लाइन का निर्माण होता है। इसके लिये २४ महीनों का समय रखा गया है।

मुझे प्रशन्नता है कि श्री सिंहासन सिंह ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष को आसाम रेल सम्पर्क को अनुसूचित समय में पूरा करने के लिये बधाई दी है। इसके अलावा कई अन्य रेलवे लाइनें भी हैं जो कि अनुसूचित समय में बन गयी हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वाशन देता हूं कि रेलवे अपनी ओर से बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखायेगी। हम इस लाइन को समय पर पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री विट्ठल राव उस दर को जानना चाहते थे जिस दर से हम इस लाइन में कोयला ढोयेंगे। सर्वेक्षण में प्रस्तावित रेल सम्पर्क में होने वाले व्यय का अनुमान लगाना भी शामिल होगा। तभी कोयले के लिये कोई विशेष दर निश्चित की जा सकेगी। इस लाइन की लम्बाई २६ मील है तथा ६०,००० रु० केवल इसके प्रारम्भिक सर्वेक्षण में व्यय होगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सर्वेक्षण का कार्य इस मौसम में पूरा हो जायेगा। श्री त० ब० विट्ठल राव ने यह आशंका प्रकट की है कि क्या उस क्षेत्रमें कोयले की खानों का विकास समय पर हो सकेगा। मैं इस सम्बन्ध में उन्हें यह बताना चाहता हूं कि तीसरी परियोजना के प्रारम्भ में दस लाख टन प्रथम श्रेणी का कोयला और १५ लाख टन कोयला तापीय विद्युत के कारखानों के लिये निकाला जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे जायें ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जी नहीं । मैं उन पर आग्रह नहीं करता ।

कटौती प्रस्ताव, सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की अनुदान की निम्न अनुपूरक मांग मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
२	विविध व्यय	६०,००० रुपये

रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा रेलवे उपक्रम द्वारा इस समय सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेलवे वित्त बनाम सामान्य वित्त सम्बन्धी अन्य आनुषंगिक विषयों का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन में, जो ३० नवम्बर, १९६० को संसद् में उपस्थापित किया गया था, की गई सिफ़ारिशों का अनुमोदन करती है ।"

सभा को मालूम है कि उल्लिखित पुनरीक्षण के लिये दोनों सभाओं की एक समिति नियुक्त की गई थी । उसकी नियुक्ति के लिये इस सभा ने २२ अप्रैल, १९६० को एक संकल्प स्वीकृत किया था और २८ अप्रैल, १९६० को राज्य सभा ने उससे अपनी सहमति प्रकट की थी । सभा को यह भी याद होगा कि १९५४ की रेलवे अभिसमय समिति का कार्य-काल १९५५–५६ से १९५९–६० तक पांच साल का था, और दोनों सभाओं ने अप्रैल-मई १९५९ में संकल्प पारित करके, उसका कार्य-काल एक वर्ष बढ़ा कर ३१ मार्च, १९६१ तक कर दिया था । उसका नतीजा यह हुआ है कि अब वर्तमान समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति का काल तृतीय-योजना-काल ही रहेगा । इस सामग्री की कुछ प्रतियां और साथ में रेलवे बोर्ड द्वारा समिति के विचारार्थ तैयार की गयी, इस काल के रेलवे वित्त की पूर्व-गणना सदस्यों के लिये संसद्-पुस्तकालय में रख दी गई हैं । लोक सभा सचिवालय के ३० नवम्बर, १९६० के बुलेटिन में इसकी सूचना दे दी गई थी ।

समिति द्वारा किये गये पुनरीक्षण से पता चलता है कि रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से पृथक करने का सिद्धान्त कुल मिला कर संतोषप्रद रहा है और उसके कारण रेलवेज़ अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकी है, अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बन सकी है । पृथक्करण की मुख्य विशेषता यही है कि रेलवेज़ अपनी खाता-पूंजी पर एक निर्धारित दर से लाभांश अदा करती है सामान्य कोष को । इसमें सन्देह नहीं कि रेलवेज़ को अपनी पहले की संचित निधियों—अवक्षयण रक्षित निधि और विकास निधि—में से काफी राशियां निकालनी पड़ी हैं । उसे विकास निधि में देने के लिये सामान्य राजस्व से कुछ अस्थायी ऋण भी लेने पड़े हैं । लेकिन, साथ ही यह भी नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

भूलना चाहिये कि रेलवेज़ ने रेलवे की द्वितीय योजना की कार्यान्विति के लिये ३७५ करोड़ रुपये से अधिक अंशदान किया है, जबकि द्वितीय योजना के अनुसार रेलवेज़ को अपने संसाधनों से उसकी कार्यान्विति के लिये केवल ३७५ करोड़ रुपये ही जुटाने थे। समिति ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि रेलवेज़ को इस काल में अपने दायित्व निभाने, और मजूरी तथा मूल्यों की वृद्धि के कारण बढ़े हुए कार्य-संचालन व्यय को पूरा करने के लिये माल-भाड़े की दरों में कुछ समायोजन भी करने पड़े थे।

अधिक विस्तार के साथ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि समिति ने जिस साढ़े चार प्रतिशत लाभांश की सिफारिश की है उसका एक बड़ा भाग पूंजी पर लगने वाला ब्याज है। चालू वर्ष के प्राक्कलनों के अनुसार उसकी औसत दर ३.५८ प्रतिशत है। यहां मुझे इस बहस से मतलब नहीं कि रेलवेज़ किस सीमा तक एक वाणिज्यिक उपक्रम है और किस सीमा तक एक सार्वजनिक उपयोग की सेवा है। वह जो भी हो, उचित यही है कि रेलवेज़ में किये जाने वाले इतने बड़े विनियोजन पर उसका ब्याज चुकाने के बाद, कुछ थोड़ा लाभ भी हो। समिति ने १९६१ से १९६६ के पांच वर्ष के काल के लिये जो साढ़े चार प्रतिशत लाभांश की सिफ़ारिश की है, उस के अलावा कुछ लाभ की भी व्यवस्था की गई है। वह लाभ वैसे तो काफी है, लेकिन एक प्रतिशत से कम है, जो इससे पहले रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाये, तो समिति ने सामान्य राजस्व और सामान्य कल्याण के लिये किये जाने वाले अंशदानों की अनुमति दे दी हैं। रेलवेज़, एक लोकोपयोगी सेवा संस्था के रूप में, ऐसा अंशदान अधिकाधिक पैमाने पर कर ही रही है। समिति ने १९५४ की अभिसमय समिति की सिफ़ारिशों के अनुसरण में स्वीकार किये गये इन दो सिद्धान्तों को जारी रखने की बात कही है; पहला सिद्धान्त तो यह कि सभी नयी लाइनों में होने वाले पूंजी विनियोजन पर अदा किये जाने वाले लाभांश के लिये कुछ वर्ष के शोध-काल की अनुमति दी जाये, और दूसरा यह कि रेलवेज़ के पूंजी-लेखे में सम्मिलित अधिपूंजीयन पर अदा किये जाने वाले लाभांश की दर घटाई जाये। रेलवेज़ के पूंजी-लेखे में लगभग १२० करोड़ रुपये का अधिपूंजीयन निर्धारित किया गया है। वर्तमान समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के सम्बन्ध में हमें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि उसकी खाता-पूंजी पर ब्याज की राशि से अधिक कोई लाभ होगा, क्योंकि वह घाटे में चल रही है और देश के हितों की दृष्टि से ही उसका संधारण किया जा रहा है। समिति ने इसी प्रकार यह भी सिफारिश की है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइनों की खाता-पूंजी से हमें लाभांश की आशा तो करनी ही नहीं चाहिये, जो बात १९५४ की अभिसमय समिति की सिफ़ारिशों में भी कही गई थी, लेकिन साथ ही यदि उनके कार्य संचालन में हर वर्ष कुछ हानि उठानी पड़े, तो उसकी पूर्ति भी रेलवे के राजस्वों से नहीं सामान्य वित्त से ही की जानी चाहिये। १९२४-२५ में रेलवे वित्त के पृथक्करण के समय ही यह व्यवस्था की गई थी।

वर्तमान समिति ने १९५४ की अभिसमय समिति की एक सिफ़ारिश के क्षेत्र का स्पष्टीकरण किया है। मुझे उसका भी थोड़ा उल्लेख करना चाहिये। स्पष्टीकरण यह है कि नयी लाइनों की खाता-पूंजी के लाभांश से सम्बन्धित आस्थगित राशि की पुनः अदायगी ६७वें वर्ष से शुरू होनी चाहिये और उसके साथ ही नयी लाइनों की शुद्ध आय में से चालू लाभांश की अदायगी भी होती रहनी चाहिये। १९५४ की अभिसमय समिति के प्रतिवेदन में ही इन शब्दों—"नयी लाइनों की शुद्ध आय में से"—के रहने का मतलब यह है कि ६७वें वर्ष से आस्थगित लाभांश की अदायगी तभी होगी जब नयी लाइनों की शुद्ध आय में से चालू लाभांश अदा करने के बाद कुछ राशि शेष बच रहे। वर्तमान समिति ने फैसला कर दिया है कि १९५४ की अभिसमय समिति की सिफारिश की यही व्याख्या

[श्री जगजीवन राम]

उचित रहेगी। समिति की अन्य महत्वपूर्ण सिफ़ारिश यात्री भाड़ा कर के रूप में सितम्बर १९५७ से रेलवे यात्रियों पर लगाये गये अतिरिक्त उपकर के पुनर्नवीकरण के बारे में है। उससे मिलने वाली राशियां सामान्य वित्त द्वारा विभिन्न राज्यों में बांटी जाती हैं।

अब समिति की केवल दो सिफ़ारिशों का उल्लेख रह जाता है, जो अवक्षयण रक्षित निधि और विकास निधि के लिये वित्त जुटाने के सम्बन्ध में हैं। सभा जानती है कि अवक्षयण रक्षित निधि के लिये १९५४ की अभिसमय समिति ने ३५ करोड़ रुपये रखने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन उसके लिये ४५ करोड़ रुपये रखने पर भी वह राशि अपर्याप्त सिद्ध हुई, क्योंकि रेलवेज़ को उन सभी का नवीकरण करना पड़ा जिनकी युद्ध और युद्धोपरांत काल से नहीं हुई थी और जिनमें कुछ ऐसी रेलवेज़ भी शामिल हैं जो देश स्वतंत्र होने के बाद केन्द्र के अधिकार में आ गई थीं। रेलवे भाड़ा-ढांचा जांच समिति ने इस विषय पर पूरी तौर से विचार करने के बाद यह सुझाव दिया था कि अवक्षयण रक्षित निधि में दी जाने वाली राशि में निरन्तर होती रहनी चाहिये थी, और उसे १९६०-६१ में ६६ करोड़ तक पहुंच जाना चाहिये था।

समिति ने तृतीय योजना काल में होने वाले नवीकरण का पूरा जायजा लेकर, उसी के आधार पर सिफ़ारिश की है कि अगले पांच वर्ष के दौरान अवक्षयण रक्षित राशि में कुल मिला कर ३५० करोड़ रुपये दिये जाने चाहियें। यदि हिसाब लगाया जाये तो १९६०-६१ की औसत खाता-पूंजी के आधार पर यह वार्षिक अंशदान औसत रूप में लगभग ३.८ प्रतिशत बैठेगा। रेलवेज़ की आस्तियों के कार्यक्षम संधारण की व्यवस्था करने के साथ ही उसके वित्तीय परिणामों का एक यथार्थवादी ढंग से जायजा लेने के लिये यही सब से अच्छा तरीका समझा गया है।

विकास निधि की स्थिति यह है कि यदि वर्तमान दरों और भाड़ों के आधार पर रेलवेज़ के अगले पांच वर्ष के वित्त का अनुमान लगाया जाये, तो उससे पता चलेगा कि विकास निधि में से किये जाने वाले अनुमित व्यय को पूरा करने लायक अतिरिक्त राशि रेलवेज़ के पास नहीं होगी। विकास निधि के लिये अतिरिक्त राशियों में से ही अंशदान किया जाता है। इसीलिये समिति ने सिफ़ारिश की है कि रेलवेज़ सामान्य राजस्व से अस्थायी ऋण लेना जारी रखे और वह उस ऋण पर केवल औसत ब्याज-दर पर ब्याज ही अदा करे, लाभांश की पूरी दर पर नहीं। १९५४ की अभिसमय समिति के प्रतिवेदन में भी यही व्यवस्था की गई थी। और, ३१ मार्च, १९६१ तक सामान्य राजस्व के प्रति विकास निधि की जितनी कुल देयता हो, उसे अगले वर्ष के हिसाब में न डाला जाये, क्योंकि उससे तृतीय योजना काल के लिये गड़बड़ी पैदा होगी। समिति ने इसीलिये उस देयता की अदायगी की सिफ़ारिश की है। इस तरह कि देयता की उस राशि को विकास निधि के खाते से निकाल कर तदर्थ रूप में पूंजी के खाते में डाल दिया जाये, यानी उसे पूंजी के खाते से अदा कर दिया जाये, राजस्व रक्षित निधि में से अदा कर दिया जाये। ३१ मार्च, १९६१ को देयता की शेष राशि लगभग ५३ करोड़ रुपये होगी।

वर्तमान समिति की सिफारिश के अनुसार, १ अप्रैल, १९५५ को जितनी भी नई लाइनों का निर्माण चल रहा था, और १९४९ की अभिसमय समिति की सिफारिश के अनुसार जिनका व्यय विकास निधि में से पूरा किया जा रहा था, अब उन सभी नई लाइनों की लागत पूंजी खाते से ली जायेगी। वैसे यह प्रस्ताव इस सामान्य सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है कि कोई भी निर्माण कार्य आरम्भ करते समय जो सिद्धान्त लागू थे, उसका निर्माण पूरा होने

तक वही सिद्धान्त उस पर लागू रहेगा। लेकिन यह प्रस्ताव १९५४ की अभिसमय समिति की सिफारिशों में स्वीकृत इस सामान्य सिद्धान्त के अनुकूल है कि सभी नयी लाइनों की लागत खाता पूंजी में से ली जाये। यह प्रस्ताव नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये कुछ सुझावों से भी मेल खाता है।

समिति ने रेलवे उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिये ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की है, इस दृष्टि से कि इस राशि को बढ़ाने के कई सुझाव दिये गये थे। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह न्यूनतम राशि है, और यह तृतीय योजना में की गई अस्थायी व्यवस्था के अनुरूप है। लेकिन बाद में वह बढ़ भी सकती है, जैसी कि सभी न्यूनतम व्यवस्थाओं में वृद्धि हो जाती है।

समिति ने तत्काल ही परिशोध-निधि शुरू करने की सिफारिश नहीं की है। इसलिये कि अगले पांच वर्ष में रेलवेज की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि अवक्षयण रक्षित निधि और विकास निधि के जरिये हमारा अधिकाधिक व्यय राजस्व के खाते से पूरा किया जायेगा, और पूंजी-खाते पर उसका अधिक दबाव नहीं पड़ने दिया जायेगा, जैसा कि १९४९ और १९५४ की अभिसमय समितियों ने व्यय के बंटवारे के बारे में तय किया था। यह प्रणाली एक अप्रत्यक्ष रूप से परिशोध निधि की कमी पूरी कर देती है। चूंकि खाता-पूंजी में समाविष्ट अधि-पूंजीयन पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ेगी, हालांकि वह लाभांश की पूरी दर पर नहीं होगी, इसलिये कहा जा सकता है कि कुल मिला कर रेलवेज़ की खाता-पूंजी पर निर्धारित लाभांश की प्रणाली के रूप में यह व्यवस्था मौजूद है कि रेलवेज़ की ओर से सामान्य राजस्व में काफी अच्छा अंशदान होता रहे।

मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि समिति ने ये सिफारिशें करते समय तृतीय योजना काल में रेलवेज राजस्व की आवश्यकताओं के साथ ही सामान्य वित्त की आवश्यकताओं को भी पूरी तौर से ध्यान में रखा है और उनको स्वीकार करना पूरे देश के हित में रहेगा।

मैं यह संकल्प सभा के समाने रखता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : अपना स्थानापन्न प्रस्ताव रखें।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन को, सभा की राय के साथ, फिर से समिति को सौंपा जाये, और समिति २० दिसम्बर, १९६० को, या उससे पहले सभा को अपना प्रतिवेदन दे।

इस प्रतिवेदन को देखने से बड़ी निराशा होती है। इसमें मूल प्रश्नों को समझने के प्रयास का अभाव दिखाई पड़ता है। समिति की सिफारिश सामान्य आय-व्ययक के हित में नहीं हैं।

समिति ने कुल मिलाकर ११ समस्याओं को लिया है। लेकिन किसी भी समस्या का संतोषप्रद हल नहीं बताया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

रेलवेज़ द्वारा सामान्य राजस्व में किये जाने वाले अंशदान की वर्तमान प्रणाली को ही ठीक बताया है । समिति आरम्भ से यही मान कर चली है कि कोई और प्रणाली अपनाई ही नहीं जा सकती। खाता-पूंजी के साथ अंशदान का सम्बन्ध जोड़ना, खाता-पूंजी के आधार पर अंशदान की राशि निर्धारित करना बुनियादी तौर पर गलत तरीका है। इसलिये कि खाता-पूंजी में अधि-पूंजीयन की मद और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइनों के निर्माण की मद, वगैरह सम्मिलित नहीं होती। खाता-पूंजी के ढांचे की जांच के लिये अलग से एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

खाता-पूंजी की राशि निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली के जरिये रेलवेज़ अपने उचित अंशदान को काफी घटा लेती है। रेलवेज कुल ४ प्रतिशत अंशदान क्यों करती है ; किस आधार पर ? और उस में भी ३.२ प्रतिशत ब्याज की दर शामिल रहती है ; अर्थात् रेलवेज़ देश के कल्याण के लिये केवल ०.८ प्रतिशत का अंशदान करती है।

†श्री जगजीवन राम : यह सब उस ४ प्रतिशत के अतिरिक्त है।

†श्री नौशीर भरूचा : यदि रेलवेज़ हमारे देश के कल्याण के लिये कुछ भी नहीं दे सकती, तो फिर उसके बने रहने का मतलब ही क्या हुआ ?

इस अंशदान के दो भाग किये जा सकते हैं — ब्याज और वास्तविक अंशदान। उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगले पंचवर्षीय काल में ब्याज की औसत दर कुछ अधिक, ३.५८ प्रतिशत तक होगी। इसीलिये ०.८ प्रतिशत अंशदान बनाये रखने के लिये उसे ४$^{1}/_{4}$ प्रतिशत कर दिया गया है। यह सर्वथा अनुचित है। इसलिये कि सामान्य राजस्व के खाते में केवल रेलवेज़ के उपयोग के लिये १४० करोड़ रुपये के ऋण लिये गये हैं, जिन पर ५$^{1}/_{2}$ से ६ प्रतिशत तक ब्याज अदा करना पड़ेगा।

जबकि रेलवेज़ कुल मिला कर ४ प्रतिशत ब्याज ही अदा करेगी। इस प्रकार, रेलवेज़ वास्तव में ब्याज के अतिरिक्त कोई और अंशदान नहीं करेगी। इस प्रकार सामान्य राजस्व को एक ओर तो डालरों के ऋण पर अधिक ब्याज अदा करना पड़ेगा, और दूसरी ओर रेलवेज की ओर से कोई वास्तविक अंशदान भी नहीं होगा। सामान्य राजस्व को पांच वर्ष तक ३/४ प्रतिशत की हानि होती रहेगी। रेलवेज़ को कम से कम ५ प्रतिशत अंशदान तो करना ही चाहिये ।

सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों का सारा व्यय प्रतिरक्षा आय-व्ययक से पूरा किया जाना चाहिये। उनके संधारण का दायित्व रेलवेज़ को सौंपना अनुचित होगा । वह सामान्य राजस्व से दिया जाना चाहिये। रेलवे अभिसमय समिति की इस सिफारिश से मैं सहमत हूं कि अनुत्पादक लाइनों पर २ प्रतिशत की दर रखी जानी चाहिये।

अवक्षयण रक्षित निधि का निर्धारण करने के लिये अभिसमय समिति ने किसी भी एक सिद्धान्त को आधार नहीं बनाया है। सिफारिश की गयी है कि अगले पांच वर्षों तक अवक्षयण रक्षित निधि में प्रति वर्ष ७० करोड़ रुपये की राशि दी जानी चाहिये। लेकिन इसका निर्धारण किस आधार पर किया गया है ? समिति ने किसी भी सिद्धान्त को आधार

†मूल अंग्रेजी में

नहीं माना है। और इसका परिणाम यह होता है कि एक ओर तो रेलवेज़ की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता नहीं चलता और दूसरी ओर पर्याप्त अवक्षयण निधि न होने से रेलवेज की पूंजी आस्तियों की दशा बिगड़ती जाती है। फिर अवक्षयण का हिसाब लगाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।

अवक्षयण का हिसाब लगाने का प्रयोजन यही है कि मशीनों की घिसाई-पिटाई का अनुमान लग सके। यदि अवक्षयण के लिये व्यवस्था न की जाये तो लागत लेख निरर्थक हो जाता है। और उसका लाजिमी नतीजा यही होता है कि पूंजी-आस्तियों की दशा खराब होती जाती है। इसीलिये रेलवेज़ की आस्तियों के अवक्षयण की गणना वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिये।

फिर सभी व्यावसायिक समवाय आस्तियों के सेवा-काल के अनुसार उनका अवक्षयण निश्चित करते हैं। लेकिन समिति ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया।

इसका एक और भी तरीका प्रचलित है। वह तरीका है नयी मशीन खरीदने का व्यय। मान लीजिये एक इंजन ४ लाख रुपये का हो और उसका सेवा-काल २० वर्ष हो, तो बीस वर्ष तक हर वर्ष कुछ राशि इस हिसाब से अलग रखी जाती है कि २० वर्ष बाद ४ लाख रुपये हो जायें। लेकिन तब तक इंजिनों की कीमतें भी तो बढ़ सकती है। तरीका कोई भी अपनाया जाये, अवक्षयण का निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिये। लेकिन समिति ने इन सब तरीकों और आधारों की ओर ध्यान ही नहीं दिया।

इसी के कारण रेलवेज़ की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता नहीं चलता। इस प्रकार सभा को गुमराह किया जा रहा है। अवक्षयण की पर्याप्त व्यवस्था किये बिना, रेलवेज़ अपना व्यय बढ़ाती चली जा रही है। यह पूंजी-आस्तियों के लिये खतरनाक है।

माननीय मंत्री ने अवक्षयण के लिये प्रति वर्ष ७० करोड़ रुपये रखने का औचित्य यह बताया है कि उनका अनुभव है कि इतनी राशि पर्याप्त होती है। लेकिने हमारा अपना अनुभव यह है कि रेलवे के इंजन-डिब्बों की हालत बहुत ही दयनीय है। लगता है कि जैसे कोई उनकी देखभाल करने वाला है ही नहीं। और क्या इसी अनुभव के आधार पर ७० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है? मैं तो समझता हूं कि इसके लिये कम से कम ९० करोड़ रुपये रखे जाने चाहियें।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६०
१४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	१८५९—८५
तारांकित प्रश्न संख्या		
६८०	सोडियम सल्फेट	१८५९—६०
६८१	नये उद्योग चालू करने के लिये लाइसेंस .	१८६०—६३
६८३	आयात लाइसेंस	१८६४
६८४	भारतीय प्रदेश को चीनी प्रदेश बताने वाले रूसी मान-चित्र .	१८६४—६५
६८५	पोर्टेबल टाइपराइटर	१८६५—६६
६८६	अभ्रक का निर्यात	१८६६—६८
६८८	कपड़ा उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल . .	१८६८
६९०	तिब्बत में काश्मीरी मुसलमानों की गिरफ्तारी .	१८६८—६९
७०३	तिब्बत से आने वाले काश्मीरी मुसलमान . . .	१८६९—७२
६९४	हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड . . .	१८७२—७३
६९५	लंका के तट पर भारतीयों की लाशें . . .	१८७४—७५
६९६	विस्थापित व्यक्तियों के दावे	१८७६
६९७	लोहा और इस्पात उद्योग में औद्योगिक सम्बन्ध .	१८७६—७७
६९८	भारतीय सीमा के बारे में शक करने वाले प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध	१८७७—७९
६९९	कांगों में भारतीय राजनयिक अधिकारी की पत्नी पर आक्रमण	१८७९—८१
७०१	आयात आवेदन पत्र	१८८१—८२
७०२	मेंढको का निर्यात	१८८२—८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
२	आधुनिक सतग्राम कोयला खान . . .	१८८३—८५

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१८८५—१९२६
तारांकित प्रश्न संख्या		
६८२	भवन निर्माण निगम	१८८५
६८७	जूते बनाने के लिए प्रशिक्षण	१८८५–८६
६८९	केन्द्र रसायन उद्योग	१८८६
६९१	राज्य व्यापार निगम	१८८६
६९२	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	१८८६–८७
६९३	छोटे पैमाने के उद्योग	१८८७
७००	हिन्दी में छपाई का काम	१८८७
७०४	हस्तिनापुर में विस्थापित व्यक्ति	१८८७–८८
७०५	गंधद्रव्य उद्योग	१८८८
७०६	संयुक्त राष्ट्र संघ को भारतीय प्रतिनिधिमंडल	१८८८
७०७	अनुशासन संहिता	१८८९
७०८	सिंदरी उर्वरक कारखाने में उत्पादन	१८८९
७०९	हिन्दी छपाई का काम	१८८९–९०
७१०	चाय के निर्यात का लक्ष्य	१८९०
७११	बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघे	१८९०–९१
७१२	पूंछ क्षेत्र में भारतीय गश्ती दस्ते पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना	१८९१
७१३	नई दिल्ली में खुले कुंए	१८९१–९२
७१४	ब्रिटेन को नारियल का निर्यात	१८९२
७१५	केरल में नारियल जटा उद्योग	१८९२
७१६	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में चीनी गुप्तचर	१८९३
७१७	दूसरी योजना और प्रसारण	१८९३
७१८	रूई की कीमतें	१८९३–९४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२५३	हिन्द-चीन	१८९४
१२५४	पंजाब राज्य में असैनिक निर्माण-कार्य	१८९४
१२५५	बिजली के केबल और वायर (ए सी एस आर) कन्डक्टर	१८९४–९५
१२५६	बिजली के पंखे	१८९५–९६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२५७	बिजली के बल्ब	१८९६
१२५८	ड्राइ बैटरी	१८९६–९७
१२५९	स्टोरेज बैटरी	१८९७
१२६०	महाराष्ट्र में पंजीबृत बेरोजगार व्यक्ति	१८९८
१२६१	दिल्ली में बेरोजगार व्यक्ति	१८९८–९९
१२६२	पूर्व पाकिस्तान से हिन्दुओं का आगमन	१८९९
१२६४	आकाशवाणी द्वारा पंजाबी पुस्तकों की समीक्षा	१८९९
१२६५	भ्रष्टाचार	१८९९–१९००
१२६६	बर्मा में भारतीय	१९००
१२६७	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	१९००
१२६८	दिल्ली में घरेलू कर्मचारियों का कल्याण	१९०१
१२६९	श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति	१९०१
१२७०	पोलीटिकल अफसर, सिक्किम	१९०२
१२७१	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	१९०२
१२७२	मेसर्स कपूर एलन एण्ड कम्पनी	१९०२
१२७३	प्रोटोटाइप चमड़ा प्रशिक्षण संस्था	१९०२–०३
१२७४	जम्मू और कश्मीर में कागज की मिलें	१९०३
१२७५	औद्योगिक लाइसेंस	१९०३
१२७६	उड़ीसा खनन निगम	१९०३–०४
१२७७	उड़ीसा में विस्थापितों के लिये बस्ती	१९०४
१२७८	वनस्पति तेल तथा तिलहनों का निर्यात	१९०४
१२७९	कलकत्ता ट्रामवे हड़ताल के बारे में जांच प्रतिवेदन	१९०४
१२८०	हतिया (रांची) में विशेषज्ञों का होस्टल	१९०५
१२८१	कोयला खनन मशीन	१९०५
१२८२	मैत्तर में अलमूनियम गलाने का कारखाना	१९०५
१२८३	प्रबन्ध अभिकर्ता	१९०६–०७
१२८४	विदेश में रहने वाले भारतीयों को सुविधायें	१९०७
१२८५	'सोल्विग दी प्रोबलम' नामक फिल्म	१९०७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१२८६	श्री लंका में भारतीय	१६०७–०८
१२८७	केरल का प्रविधिक—आर्थिक सर्वेक्षण	१६०८
१२८८	सिनेमा की कच्ची फिल्में .	१६०८–०६
१२८९	इंजन तथा डिब्बे . . .	१६०६
१२९०	मोटरगाड़ियां . .	१६१०
१२९१	उत्तर पूर्व भारत से चाय का निर्यात	१६११
१२९२	फिल्मों का निर्यात .	१६११
१२९३	ब्रिटेन में भारतीय . .	१६११
१२९४	अल्युमिनियम	१६१२
१२९५	जापानी हस्तशिल्प विशेषज्ञ का प्रतिवेदन .	१६१२
१२९६	नया नंगल नगर (टाउनशिप) .	१६१२
१२९७	नाइजीरिया . .	१६१३
१२९८	लाख . .	१६१३
१२९९	भविष्य निधि	१६१३–१४
१३००	काजू के छिलके का तेल . .	१६१४
१३०१	भारत में बर्मी पेंशनर .	१६१४–१५
१३०२	मैंगनीज विषाक्तता	१६१५
१३०३	तिब्बती के लामा विस्थापितों को अमरीकी छात्रवृत्तियां	१६१५
१३०४	तिब्बत में भारतीय . .	१६१५–१६
१३०५	बाढ़ों से सरकारी इमारतों को क्षति . .	१६१६
१३०६	कालीन उद्योग का सर्वेक्षण	१६१६
१३०७	आमों का निर्यात	१६१६–१७
१३०८	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी. .	१६१७
१३०९	सरकारी क्षेत्र .	१६१७
१३१०	माडर्न सतग्राम कोलियरी .	१६१८
१३११	युद्ध विराम सीमा का अतिक्रमण . . .	१६१८
१३१२	रामपुर में छोटे पैमाने के उद्योग . .	१६१६
१३१३	औद्योगिक प्लास्टिक . . .	१६१६
१३१४	नेफा का नया प्रधान कार्यालय	१६१६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३१५	कलकत्ता में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	१९१९–२०
१३१६	सीमेंट का विक्रय	१९२०
१३१७	मीटर बनाने की फैक्टरी	१९२०
१३१८	गुजरात स्टेशनों के रेडियो कार्यक्रम	१९२१
१३१९	वाराणसी में रेडियो स्टेशन	१९२१
१३२०	निर्यात संवर्धन निदेशालय	१९२१–२२
१३२१	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रम-अधिकारी	१९२२–२३
१३२२	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	१९२३
१३२३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम का नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तान्तरण	१९२३–२४
१३२४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से औद्योगिक कार्यों का नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तान्तरण	१९२४
१३२५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से विद्युत् कार्यों का दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरण	१९२४
१३२६	खेलों के सामान का निर्यात	१९२५
१३२७	चाय क्षेत्रों में पुनारोपण	१९२५
१३२८	चाय यंत्रों की किराया-खरीद योजना	१९२५
१३३०	विस्थापित राजनैतिक पीडितों को सहायता	१९२६
स्थगन प्रस्ताव		१९२६–२७
	अध्यक्ष महोदय ने भिलाई इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को जिसकी सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी और वें० प० नायर ने दी थी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१९२८
	(१) दिनांक २० अक्तूबर, १९६० के सरकारी संकल्प संख्या ऐम–८ (५)/६० की एक प्रति जिसमें प्रशुल्क आयोग से सीमेंट उत्पादकों को कारखाने पर दिये गये जाने वाले उचित मूल्य का पुनरीक्षण करने के लिये कहा गया है ।	

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कांच की चादरों के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के संबंध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(दो) दिनांक २३ नवम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या १४ (१)–टी आर/६०।

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण।

(चार) प्लाइवुड और चाय के बक्सों के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के संबंध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(पांच) दिनांक ३० नवम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या २८(१)–टी आर/६०।

राज्य सभा से सन्देश १९२८

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा ने १ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैंक में लोक सभा द्वारा १४ नवम्बर, १९६० को पारित कर्मचारी भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० का बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(दो) कि राज्य सभा ने १ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैठक में निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया . . १९२८

सचिव ने राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६० को सभा पटल पर रखा।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १९२९

(एक) सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और १४ नवम्बर, १९६० को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(१) भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक, १९६० .

(२) भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक, १९६०

विषय	पृष्ठ
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
श्री मूलचन्द दुबे ने मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६० संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	१९२९
श्री मूलचन्द दुबे ने अधिमान प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक, १९६० संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।	
विधेयक पर साक्ष्य--सभा पटल पर रखा गया . . .	१९२९
श्री मूलचन्द दुबे ने मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६० संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	१९२९—३१
गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने नई दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट २४ नवम्बर, १९६० को हुई घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।	
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१९३१—४३
प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने बेरूबाड़ी के पाकिस्तान को हस्तान्तरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में एक वक्तव्य दिया।	
विधेयक--पारित	१९४३—६०
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव और विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने और विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। सभी संशोधन अस्वीकृत हुये। विचार करने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में १७२; विपक्ष में ४१। तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर खंडवार चर्चा भी समाप्त हुई। विधेयक का पारित करने के प्रस्ताव पर सभा में पुनः मत विभाजन हुआ, पक्ष में १६५; विपक्ष में ३३। तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।	
अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०-६१ . . .	१९६०—६६
१९६०-६१ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के बारे में अनुदान की अनुपूरक मांग पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई और मांग पूरी पूरी स्वीकृत हुई।	

विषय पृष्ठ

संकल्प---विचाराधीन १९६६--७१

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। उस पर श्री नौशीर भरूचा ने एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि १९७१

रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा; और १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर विचार।

GMGIPND—LS III—1550 (Ai) LSD—27-12-60—115